लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

चार रुपये

Price : *Four Rupees*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20, सोमवार, 4 जुलाई, 1977/13 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 20, Monday, July 4, 1977/Asadha 13, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 305 से 308 और 314	Starred Questions Nos. 305 to 308 and 314	1—20
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 10	Short Notice Question No. 10	20—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 304, 309 से 313 और 315 से 323	Starred Questjons Nos. 304, 309 to 313 and 315 to 323.	23—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 2438 से 2498, 2500 से 2502, 2504 से 2506, 2508 से 2511 और 2513 से 2526	Unstarred Questions Nos. 2438 to 2498, 2500 to 2502, 2504 to 2506, 2508 to 2511 and 2513 to 2526	32—90
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	90—93
अनुदानों की मांगें, 1977–78—	Demands for Grants, 1977-78—	
कृषि और सिंचाई मंत्रालय--	Ministry of Agriculture and Irrigation—	
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala . .	93—100
रक्षा मंत्रालय--	Ministry of Defence—	
श्री पी० वी० नरसिम्हा राव	Shri P.V. Narasimha Rao . .	100—101
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yagya Dutt Sharma . .	105
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai	105—107
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi . .	107—108
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	108
श्री पी० वी० जी० राजू	Shri P.V.G. Raju .	109
श्री शिवाजी पटनायक	Shri Sivaji Patnaik .	109—110
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	110—111
श्री यदवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt . . .	111—112

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAG
श्री एस० आर० रेड्डी	Shri S.R. Reddy	112—113
श्री रुडोल्फ रोडरीक्स	Shri Rudolph Rodriques	113—115
श्री चांद राम	Shri Chand Ram	115
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	115—116
चौ० बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	116—117
श्री पी० के० कोडियन	Shri P.K. Kodiyan	117—118

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 4 जुलाई, 1977/13 आषाढ़, 1899 (शक)

Mondy, July 4, 1977/Asadha 13, 1899 (Saka)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई /

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली के किरायादार कल्याण संघ से ज्ञापन

***305. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान मालिकों के हाथों परेशान किए जाने के विरोध में दिल्ली के किरायादार कल्याण संघ ने 29 मई को प्रधान मंत्री के निवास स्थान के बाहर 24 घन्टे का धरना दिया था ;

(ख) क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) टेनेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन, पहाड़गंज, दिल्ली के कुछ व्यक्तियों ने 29 मई, 1977 को प्रधान मंत्री के निवास के पास धरना दिया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) ज्ञापन में दिए गए ब्यौरे का एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

कानून के उल्लंघन तथा विवाद के मामलों को सुलझाने निपटाने के लिए न्यायालयों में भेजे जाने चाहिए। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के संशोधनों को अन्तिम रूप देने से पहले एसोसिएशन के उन सुझावों पर विधिवत विचार किया जायेगा जिनका दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम पर प्रभाव पड़ सकता है ।

विवरण

प्रधान मंत्री को प्रस्तुत दिया गया ज्ञापन का ब्यौरा

1. अधिकांश मकान मालिक टैक्स बचाने के लिए और अपने किरायेदारों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें किराये की रसीद नहीं देते।

इसका सर्वेक्षण किया जाय और अपराधी मकान मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

2. ऐसे मामलों में जहां किराये की रसीद नहीं दी गई हो उसके लिए एक अध्यादेश जारी किया जाय जिसके अन्तर्गत किराये के दावे को केवल दो महीने तक ही सीमित किया जाय।

3. ऐसे मामलों में जहां किरायेदार को किराये की रसीद दी जाती है और मकान मालिक मकान को खाली करवाना चाहता है तो वह पुलिस से मिल जुल कर झूठे अपराधिक मामलों में किरायेदार को फंसाने की कोशिश करता है विशेष पुलिस को ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिए और न्यायालयों को ऐसे मामलों को रजिस्टर करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।

4. किरायेदारों की कठिनाइयों को दूर करने की तरफ प्राधिकारियों में सामान्यत: उदासीनता है।

5. प्राधिकारियों के ऐसे रवैये से किरायेदार मकान मालिकों की दया पर निर्भर हो जाते हैं जो पुलिस और गुण्डों से मिलकर किरायेदारों के साथ मारपीट करते हैं और उनके सामान को बाहर फेंक देते हैं, गरीब किरायेदारों के साथ इससे भी अधिक होता है।

6. मकान मालिकों के द्वारा सताये गए ऐसे पीड़ितों को उनके आवश्यक अधिकारों को दिलाने के लिए पुलिस की आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए और ऐसे मकान-मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

7. एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाय जिसमें उप राज्यपाल, पुलिस महानिरीक्षक, किरायेदारों और मकान-मालिकों के प्रतिनिधि शामिल हों। मकान-मालिकों द्वारा किरायेदारों के विरुद्ध झूठे अपराधिक मामलों की छानबीन करने के लिए इस समिति का सम्पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए तथा इसे इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक मकान-मालिक द्वारा उसके किरायेदार को किराये की रसीद दी जाय।

श्रीमती पार्वती कृष्णन्: किरायेदार कल्याण संघ को कमरतोड़ किराये की समस्या का बहुत समय से सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस संघ ने मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और इसका उत्तर जो दिया गया है वह केवल विवरण के बारे में ही जानकारी है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार का विचार कमरतोड़ किराये की समस्या को दूर करने और किरायेदारों को संरक्षण देने की दृष्टि से क्या कदम उठाने का है।

श्री बीजू पटनायक : सामान्यत : कानून के उल्लंघन के मामलों में किसी भी पक्ष द्वारा मामला उच्च न्यायालय में ले जाया जाता है। लेकिन इस मामले में एक संघ ने सुझाव दिए हैं, जिनका सम्बन्ध दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम से है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि सरकार के विचाराधीन दिल्ली किराया नियंत्रण अध्यादेश पर संशोधनों को अन्तिम रूप देने से पहले ज्ञापन में दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : संघ द्वारा एक मुद्दा यह उठाया गया है कि इस मामले पर सुव्यवस्थित रूप से विचार करने और कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका ढूंढने जिसके आधार पर किराया निर्धारित किया जाये और मकान मालिकों को पर्याप्त लाभ भी सुनिश्चित हो, के लिए सरकार को एक आयोग गठित करना चाहिए। यह मांग करने का यह कारण है कि मूल रूप में मकान पर खर्च किए गए रुपए के अतिरिक्त मकान-मालिक किरायेदारों से छुटकारा पाने और किराया बढ़ाने की दृष्टि से किरायेदारों को तंग करते है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के संबंध में आयोग गठित करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या वह ऐसा कोई आयोग गठित करने जा रही है ?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न के रूप में दिए गए सुझाव को ध्यान में रखा गया है। मैं माननीय सदस्य की विश्वास दिलाता हूं कि इस पर विचार किया जायगा।

आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में सोसायटियों को भूमि का आवंटन

***306. श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में 15 सोसाइटियों को 40 एकड़ से अधिक भूमि एक रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से आवंटित की गई थी जबकि इन क्षेत्रों में बाजार मूल्य 200 रुपए से 400 रुपए प्रति वर्ग गज तक था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

(ग) फरवरी, 1964 में जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार मान्यता प्राप्त स्कूलों एवं कालेजों तथा अस्पताल के भवनों के लिए 5000 रु० प्रति एकड़ की दर पर जो कि लगभग 1 रु० प्रति वर्गगज पड़ती है । यदि इस नीति के विरुद्ध कोई बात ध्यान में लाई जाती है तो उस पर गौर किया जाएगा ।

विवरण

जून, 1975 से मार्च, 1977 के अन्त तक 5000 रुपए प्रति एकड़ की दर से दिल्ली स्थित सोसाइटियों को अलाट की गई भूमि का विवरण।

क्रम सं०	स्थान	सोसाइटियों का नाम	आंवटित क्षेत्र (एकड़ में)	लगाई गई दर (प्रति एकड़)
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि				
1	जनकपुरी	हैपी माएंटेसरी स्कूल सोसाइटी	4.050	रु० 5000
2	जनकपुरी	एस० एस० मोटासिंह (नीला) चेरिटेबल ट्रस्ट	4.000	"
3	जनकपुरी	सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी	8.425	रु० 5000 तथा रु० 1 लाख प्रति एकड़ (होस्टल तथा स्टाफ क्वार्टर्स)
4	जनकपुरी	ओबराय ऐजुकेशन सोसाइटी	4.000	रु० 5000
5	सफदरजंग	सफदरजंग एनक्लेव ऐजुकेशन सोसाइटी	1.829	"
6	सफदरजंग	हिल ग्रोव ऐजुकेशन सोसाइटी	1.700	"
7	मालवीय नगर एक्सटेन्शन (बदरपुर के उत्तर में)	न्यू ग्रीन फील्ड एजूकेशन सोसाइटी	3.450	"
8	वजीरपुर फेज–II	गार्डन पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी	2.000	"
9	ईस्ट आफ कैलाश	टेगौर इन्टरनेशनल स्कूल सोसाइटी	1.180	"
10	नरायणा	ज्ञान मंदिर एजुकेशन सोसाइटी	1.940	"
11	जमरुदपुर	ब्ल्यू बल एजुकेशन सोसाइटी	1.700	"
12	राजौरी गार्डन	कैम्ब्रिज फाउंडेशन ऐजुकेशन सोसाइटी	4.000	"
13	राजौरी गार्डन	न्यू इरा एजुकेशन सोसाइटी	4.000	"
14	मुनीरका	जे० डी० टाइटलर स्कूल सोसाइटी	1.500	"
		आंशिक योग	43.774	

15	माता सुन्दरी रोड	माता सुन्दरी कालेज (दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति)	0.758	"
16	आर० के० पुरम	जनता आदर्श शिक्षा संस्थानसंस्थान	1.611	"
17	न्यू राजेन्द्र नगर	सन्त निरंकारी मंडल	3.830	"
18	तीस हजारी	सेंट स्टीफनस अस्पताल सोसाइटी	1.299	"
19	चाणक्यपुरी	ब्रिटिश स्कूल सोसाइटी	1.318	"
20	धौला कुंआ	भारतीय मांउटेनीयरिंग संस्थान	1.600	"
21	न्यू राजेन्द्र नगर	जे० डी० टाइटलर स्कूल सोसाइटी	3.500	"
22	आर० के० पुरम	नेशनल ऐसोसियेशन फार दी बलाइंड	0.500	"
23	आर० के० पुरम	दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी	1.412	"
24	राउज एवेन्यू	आन्ध्रा ऐजुकेशनल सोसाइटी	1.092	"

Shrimati Ahilya P. Rangnekar: Mr. Speaker, Sir, my question has not been answered. There have been 13 such cases during emergency which are concerned with the big congress leaders. Before this 300 societies had submitted applications for allotment of land but they have notbeen allotted any land, whereas those congress leaders have been allotted land out of turn. But there names do not appear in this list. For instance the Janata Society whose president is Shrimati Subhadra Joshi and Shri J.D. Tytler, President of Youth Congress have been allotted plots of land. All this has been done during emergency. 400 plots of land have been allotted out of turn to various societies of which there is no mention in the reply given by the hon. Minister. If this is correct, whether this matter will be inquired into or not ? Every society has been allotted 2 plots of land. These societies include J. D. Tytler and Shashi Bhushan. They have been allotted land out of turn. If this is so are you going to enquire nto this matter.

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्या ने आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में सोसायटियों को भूमि आंवटन किए जाने के बारे में प्रश्न उठाया है। अत : मैंने आपात स्थिति के दौरान किए गए भूमि आंवटन की एक सूची दी है; श्रीमती सुभद्रा जोशी को आंवटित की गई भूमि जिसका उल्लेख किया गया है, का मामला आपात स्थिति से पूर्व 1974 का है । जहां तक श्री शशि भूषण का सम्बन्ध हैं उन्हें रियायती दर पर भूमि नहीं दी गई थी। उन्हें एक लाख रुपए की दर से भूमि दी गई थी । दो दरों पर भूमि मिलती है, एक लाख रुपए प्रति एकड़ और 5,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से । अत: उनकी सोसायटी के साथ किसी प्रकार का विशेष पक्षपात नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कांग्रेस में किसी व्यक्ति को पारी से पहले भूमि आंवटित की गई थी ?

श्री बीजू पटनायक : यह सूचना उपलब्ध नहीं है । उन्होने यह प्रश्न किया है कि आपात स्थिति के दौरान किस को भूमि दी गई । और मैंने उन्हें तत्सम्बन्धी सूची दे दी है। जहां तक श्री टिटलर का सम्बन्ध है, उन्होंने भी एक लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया है । सर्वप्रथम उन्हें 0.2 एकड़ भूमि दी गई जिसका उन्होंने उपरोक्त दर से भुगतान किया । अगस्त, 1975 के बाद उन्हें भूमि का कब्जा दिया गया। जहां तक श्री शशि भूषण का मामला है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 25-5-73 को सूचना दी थी कि उनकी संस्था को एक लाख रुपए एकड़ की दर से बाधा एकड़ भूमि आंवटित की गई है। धनराशि जमा कराने के बाद 14-7-75 को भूमि आंवटित की गई और 11-4-77 को भूमि का पट्टानामा करने के बाद उन्हें भूमि का कब्जा दिया गया, जो आपात स्थिति के बाद की बात है ।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर: पारी से पुर्व भूमि आंवटित करने संबंधी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप की ओर से यह प्रश्न किया है ।

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्या के प्रश्न से यह बात नहीं उठती है ।

Shrimati Mrinal Gore : Mr. Speaker, Sir, are you going to investigate this matter or not ? If that is not known to you, will this matter be investigated now ?

श्री बीजू पटनायक : यह बहुत ही साधारण प्रश्न है। आपात स्थिति के दौरान 40 एकड़ भूमि आंवटित की गई थी ।

Shrimati Ahilya Pangnekar : If the land was allotted out of turn will you investigate this matter ?

श्री बीजू पटनायक : यह बात नहीं है कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे फाईल को पढ़ना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : हमें याद रखना चाहिए कि सम्बन्धित मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं ।

Shri Biju Patnai : We shall definitely inquire into this matter

अध्यक्ष महोदय : इनके पास जानकारी नहीं है। सम्बन्धित मंत्री यहां नहीं हैं, क्योंकि वह अस्वस्थ हैं। यही उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है ।

Shri Ugra Sen : Mr. Speaker, Sir, this question should be postponed for the time being. The concerned Minister, when he comes here, should answer this question.

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आज सभी प्रश्न इन मंत्री महोदय के नाम में हैं। लेकिन वह स्वस्थ्य नहीं है। इसलिए हम इन प्रश्नों को स्थगित नहीं कर सकते। इससे हमें दूसरे प्रश्नों से हाथ धोना पड़ेगा ।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar : The executive Councillor, Shri Madan Lal Khurana, of Metropolitan Council of Delhi has written a letter in this connection to the Home Minister. Is the hon. Minister aware of such a memorandum being received ? He has sent the memorandum on 11-5-77. I want to know whether this would be investigated or not ?

श्री बीजू पटनायक : माननीया सदस्या विषयान्तर कर रही है। मैं इस विषय को नहीं उठाना चाहता क्योंकि वह स्वयं ही अपने प्रश्न में फंस जायेंगी। पंजीकृत सोसायटिएों द्वारा जिन्हें भूमि आंवटित की जा सकती है केवल 20 आवेदन पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन पड़े हैं। उनकी संख्या 300 नहीं है। मंत्रालय में कुल 12 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। जहां तक श्री खुराना द्वारा गृह मंत्री या अन्य किसी को लिखे गये पत्र का सम्बन्ध है इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know whether the D.D.A has got any rules and regulations regarding allotment of land t the Societies. The land is allotted at e rate of Re 1 per sq. yard to the schools, colleges and the institutions of public interest. Mr. Tytler, who is President of Youth Congress is running a school which can be called a private teaching shop. यह एक गैर-सरकारी शिक्षण दुकान है। यह मान्यता प्राप्त नहीं है। यह पंजीकृत न्यास या ट्रस्ट भले ही हो, लेकिन इसका सारा लाभ एक ही व्यक्ति उठा रहा है। ऐसे बहुत से लोगों को भूमि आवंटित की गई है। क्या वह आपात स्थिति के दौरान या इससे पहले की अवधि, 1972 से 1977 तक उन सभी मामलों की जांच करायेंगे कि क्या उनमें अनियमितताएं हुई हैं अथवा नहीं। क्या वह हमें यह भी आश्वासन देगे कि अनियमितताएं होने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बीजू पटनायक : मैं केवल समिति ही नियुक्त नहीं करूगा बल्कि सरकार माननीय सदस्य को यह आश्वासन भी देता है कि जहां कहीं अनियमितताएं हुई हैं वहां सुधार किया जायेगा ।

श्री सोनूसिंह पाटिल : सरकार ने 1964 में भूमि आवंटन के बारे में आदेश दिये थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 1975–77 के दौरान ये आदेश जारी रहे थे, और क्या ये आदेश तत्कालीन सोसायटियों अथवा भावी सोसायटियों के लिए भी थे ? अब चूकि मामला घोटाले वाला लगता है क्या सरकार इसकी जांच करायेगी क्योंकि इस से सरकार को भारी धन राशि की हानि हुई है ?

श्री बीजू पटनायक : सरकार की यह नीति रही है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे स्कूलों, अस्पताल आदि को सस्ते दामों पर भूमि आवंटित की जाये। वस्तुतः अस्पतालों और ऐसी संस्थाओं के मामलों में भी जहां होस्टलों आदि का निर्माण होता है वह भूमि भी एक रुपया प्रति वर्ग गज की दर की बजाये एक लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि दी जाती है। लेकिन यह 20 रुपए प्रति वर्ग गज की है। जो सूची मैंने सदन में प्रस्तुत की है उसमें केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सोसायटियों या सस्थानों को ही भूमि दी गई है। जहां तक श्री टाइटलर के स्कूल का सम्बद्ध हैं मैं समझता हूं यह स्कूल अभी तक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि यदि कोई अनियमितता की गई है तो उसकी जांच की जायेगी और सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या यह सच है कि बेनामी भूमि आवंटन किया गया है और जिसको भूमि आवंटित की गई है वह कोई अन्य व्यक्ति है तथा वह मुनाफा कमाने की दष्टि से ऊंचे दामों पर भूमि बेचना चाहता है।

श्री बीजू पटनायक : सरकार की सहमति के बिना भूमि नहीं बेची जा सकती।

Shrimati Mrinal Gore : I want to know from the hon. Minister as to whether Government is aware of the fact that the land would be utilised for that purpose only for which it has been allotted ?;

श्री बीजू पटनायक : जी, हां, श्रीमन।

गुजरात में निर्धन लोगों के लिये आवास योजना

*307. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह कहा जाता है कि गुजरात राज्य में निर्धन लोगों सम्बन्धी आवास योजना खटाई में पड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात के विभिन्न जिलों में निर्धन लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मैं सैकड़ों अर्ध सिमित मकान धन के अभाव के कारण अगामी वर्ष काल में वर्षा से मिट्टी के ढेर बन जायेंगे ;

(ग) क्या ऐसा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निरुत्साहित रवैये के कारण हैं जिन्होने 16,000 आवेदन-कर्त्ताओं में से केवल 5,000 लोगों को ही ऋण दिया है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और धन के लिए अनुरोध किया है ताकि लोगों को कठिनाई न हो ; और

(ङ) उनके अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मकान बनाने में गरीब लोगों को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बैंक ने अपना कार्य तीव्र गति से किया है और 17,721 ऋण के आवेदनों में से 7,250 ऋण के आवेदन मंजूर किये हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैंने अपने चुनाव अभियान दौरे और चुनाव उपरान्त दौरे के समय स्वयं देखा है कि मेरे जिले में बेघर ग्रामीण निर्धन लोगों के सैकड़ों अर्धनिर्मित्त मकान पड़े हैं तथा गुजरात के अन्य जिलों की भी ऐसी ही स्थिति है। 8 जून, 1977 के दि इकानामिक टाइम्स में भी ऐसा ही समाचार प्रकाशित होने का समाचार मिला है। मेरे प्रश्न से पता चलता है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण निर्धन लोगों की आवास समस्या की पूर्णतः अवहेलना की और इस समस्या पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि (क) क्या यह सच है कि निर्माणाधीन 65464 मकानों में से कुल 34301 मकान ही पूरे बने हैं, (ख) ऋण देने की प्रगति बहुत ही धीमी पाई गई है और (ग) मुख्य कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय और स्थल कार्यलयों के बीच समुचित संचार व्यवस्था नहीं थी और इस से स्थिति और बिगड़ गई है। यदि हां, तो चालू वर्षा काल में इन अर्धनिर्मित मकानों को बचाने और उनकी सुरक्षा करने के लिए सरकार का विचार क्या ठोस कदम उठाने का है ?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य को पता है कि इन योजनाओं को अनेक संगठनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये योजनाएं जिला पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। विभिन्न स्वच्छिक संगठनों तथा एंजेसियों को भी कुछ धनराशि की व्यवस्था करनी होती है। कुल 1800 रुपये के प्राक्कलन में से राष्ट्रीयकृत बैंक 1000 रुपये का योगदान करेंगे। उपभोक्ताओं द्वारा श्रमदान के माध्यम से 150 रुपये जिला पंचायतों और स्वैच्छिक एजेसियों द्वारा 250 रुपये और सरकार द्वारा सहायता के रूप में 400 रुपये का योगदान दिया जायेगा। ये सभी बातें इस योजना के अन्तर्गत लानी हैं। इस योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार का विचार 4 वर्ष में लगभग तीन लाख मकान बनाने का है। 1977–78 के दौरान 75000 मकान बनाने का लक्ष्य है और 60,000 मकान निर्माणाधीन है और मानसून (वर्षा काल) से पहले ही पूरे हो जायेंगे। यह कार्यक्रम है। चूंकि इसमें विभिन्न एजेंसियां लगी हुई है, इसलिये कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन सरकार गुजरात सरकार की सहायता करने की कोशिश करेगी और हमारे हस्तक्षेप के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण दे दिये हैं और हम आशा करते हैं कि इस योजना पर तेजी से काम होगा।

श्री पी० एम० मेहता : क्या यह सच है कि भावनगर में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों, कम आय और मध्यम आय वाले लोगों के लिए 25,000 किराये के मकान बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को मार्ग दर्शी सिद्धान्त के अभाव में लम्बे अर्से से निलम्बित पड़ी है और यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने और योजना का काम आरम्भ करने के लिये आदेश देगी ताकि प्रस्तावित योजना पूरी हो सके। मार्ग दर्शी सिद्धान्त देने में देरी क्यों हुई और क्या देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बीजू पटनायक : इसमें कुछ उलझने रही हैं। अब योजना बनाई गई थी तब बैंकों से 1000 रुपये प्रति मकान के हिसाब से ऋण की व्यवस्था करने के लिये कहा गया था। बैंकों ने इतने धन की व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की इस सम्बन्ध में भारत सरकार वित्त मंत्रालय रिज़र्व बैंक और बैंक के बीच पत्र व्यवहार चला। बैंक इतने धन की व्यवस्था नहीं कर सके। वे थोड़ा थोड़ा धन दे रहे हैं और इसीलिये पूरी योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। लेकिन आशा है यह दिक्कत दूर हो जायगी और परियोजना शीघ्र पूरी हो जायेगी।

श्री हितेन्द्र देसाई : धन की इस कमी को देखते हुए क्या सरकार ग्रामीण आवास और विकास बोर्ड बनाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य जानते हैं कि बोर्ड बनाना और करोड़ों मकानों की देखभाल करना कितना कठिन है। यह व्यवहारिक नहीं है।

श्री हितेन्द्र देसाई : अपने नगरीय आवास और विकास बोर्ड बनाया हुआ है।

श्री बीजू पटनायक : लेकिन ग्रामीण आवास और विकास बोर्ड बनाना बहुत कठिन है और व्यवहारिक नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : गांवों में और एक शहरों में विशेषकर गन्दी बस्तियों में मकानों की हालत बहुत खराब है। उड़ीसा में तो गुजरात से भी अधिक खराब हालत है। चूंकि गांवों और शहरों में गरीब बहुत अधिक संख्या में हैं इसलिए क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया तेज की पायेगी ? अत: मंत्री महोदय ने बताया कि 17000 आवेदन-पत्रों में से 7000 आवेदन-पत्रों पर ही कार्यवाही हो रही है। बहुत से आवेदन पत्र निलम्बित पड़े हैं। क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण ऐसे ढंग से दिये जायें कि मकान वर्षा से पहले ही बन पायें क्योंकि वर्षा शुरू होने पर जितना भी मकान बना होता है उतना गिराना पड़ता है और लोगों को फिर धन की जरूरत होती है ?

श्री बीजू पटनायक : मैं कह चुका हूं कि मकान वर्षा से पहले ही बन पायेंगे। बैंकों को अधिक धन की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है उन्होंने 2500 करोड़ रुपये खाद्यान्न की वसूली के लिये लिये हैं। वे रिजर्व बैंक से और अधिक धन मांग रहे हैं। उन्हें इतनी बड़ी परियोजना में धन लगाने में काफी कठिनाई हो रही है।

श्री के० एस० चावड़ा : कर्मचारी वर्गों को मकानों के लिए प्लाट नीची जगहों पर दिये गये हैं। क्या सरकार राज्यों को कुछ आर्थिक सहायता देगी ताकि जिन नीची जगहों में मकानों के लिए प्लाट दिये गये हैं वहां प्लिंथ-स्तर को कुछ ऊंचा उठाया जा सके।

श्री बीजू पटनायक : सदस्य महोदय को यह प्रश्न राज्य सरकार के पास भेजना चाहिये। मैं तो धन की बात कर रहा हूं। केन्द्र के पास और धन नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई जानी चाहिये। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी योजना बनायेगी ?

श्री बीजू पटनायक : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या पूछ रहे हैं। मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

Shri Ugra Sen : The Hon'ble Minister has stated that the funds do not become available at the right time with Bank and Government also have their own difficulties. As such, will Government direct the Gujarat Government to form a Committee or a Board and make funds available to it for constructing the houses ? Thereafter Government may recover the matching grant from the Bank.

श्री बीजू पटनायक : हम योजना की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते। हम भी ग्रामीण जनता के लिये मकान बनाने के उत्सुक हैं। हमने बजट में ग्रामीण क्षेत्र मे अधिक धन लगाने की व्यवस्था कर दी है और बजट पास होने के बाद गुजरात को और धन दिया जायेगा।

Shri Ram Kanwar Berwa : It is not the problem of Gujarat alone, It is the problem of the entire country. This scheme has inspired poor people particularly those belonging to Scheduled caste to build their own houses. They have come to know that after their forming the Society they can get some amount by way of subsidy from Government and some by way of loans. As such, Government will take certain steps for these people at the Taluk district level ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया जो बातें इन्होंने कहीं हैं उन्हें नोट कर ले ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

*308. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मई, 1977 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में " आई० सी० ए० आर० बिड टु डिस्क्रेडिट एन–फिजीसिस्ट वर्क " (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का परमाणु भौतिक विद् के कार्य को बदनाम करने का प्रयास) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान् । भारत सरकार को दिनांक 5 मई, 1977 को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार की जानकारी है ।

(ख) इस समाचार में उठाये गये मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विवरण

'टाइम्स आफ इण्डिया' में दिनांक 5–5–1977 को प्रकाशित समाचार में उठाये गये प्रमुख मुद्दे और उन पर टिप्पणियां :

1. **वर्ष 1974 में, नाभिकीय अनुसन्धान प्रयोगशाला के वरिष्ठ भौतिकविद डा० पी० एन० तिवारी ने तिलहनों में द्रुत तथा नष्ट न होने वाले तेल के निर्धारण के लिए पल्स्ड एन. एम. आर. (न्यूक्लीयर मेग्नेटिक रेसोनेंस) तकनीक विकसित की । उन्होंने इस विषय पर एक प्रलेख भी प्रकाशित कराया ।**

टिप्पणी :

(i) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्राधिकारियों ने अपने दिनांक 3–5–74 के अपने पत्र में लिखा है :–

"विचाराधीन समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए डा० तिवारी के प्रलेख को हमारे तकनीकी स्टाफ के समक्ष उसकी इस सम्बन्ध में टिप्पणी तथा परामर्श हेतु भेजा गया । तिलहनी फसल प्रजनन् कार्यक्रम से सम्बन्धित एन. एम. आर. तकनीक के विकास सम्बन्धी प्रलेख में दी गई स्पष्टतः अशुद्ध सूचनाओं के कारण एजेंसी यह अनुभव करती है कि 300 पुनमुंद्रणों के लिए प्रायोजना की निधि का वांछित लागत लगाना न्योयोचित नहीं हो सकता ।"

(ii) प्राध्यापक लार्स फ्रेड्रिक्सन उस समय आई० ए० आर० आई० की नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला में यू. एन. डी. पी. प्रायोजना, जिसके अधीन डा० तिवारी की अनुसंधान की गयी थी, के प्रबंधक थे । उन्होंने कहा कि वे और प्राध्यापक लार्स एहरनबर्ग दोनों "आई. ए. ई. ए के कर्मचारी के आभार के अधीन उत्तरदायी विज्ञानी होने के नाते इस दावे को स्वीकार नहीं कर सके कि पल्स्ड एन. एम. आर. तकनीक का विकास इस प्रायोजना के अधीन किया गया । यह एक अनावश्यक तथा बिल्कुल अनुचित दावा होगा ।"

क्योंकि यह विवाद अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सम्बन्धित है, अतः इस मामले को परमाणु ऊर्जा विभाग को भिजवाने का प्रस्ताव है, जो आई ए ई ए के सम्बन्ध में सरकार का सहमति देने वाला (नोडेल) विभाग है ।

2. "एक विदेशी वैज्ञानिक ने संदिग्ध प्रामाणिकता के एक पत्र की प्रतिलिपि उनको पहुंचाई जो कि 'शरारतपूर्ण ढंग से' अस्पष्ट थी । इसमें वैज्ञानिक द्वारा तैयार किये गये अनुसन्धान पत्र में स्पष्टतः गलत सूचना के बारे में बताया गया है । भौतिकविद किसी भी स्थिति में उसके काम को चुनौती देने में वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं जुटा सका । डा० तिवारी को डा० फ्रेड्रिक्सन द्वारा अनौपचारिक रूप सूचित किया गया कि डा० एल० एहरनवर्ग को वह पत्र डा० स्वामीनाथन के प्रेरित करने पर भेजा गया था ।"

टिप्पणी :

स्वीडीश इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेन्सी द्वारा दी गई समाचार सूचना प्राप्त होने पर कृषि महाविद्यालय, स्वीडन, उपसाला के प्रो० लार्सफ्रेड्रीक्सन ने निम्नलिखित बात कही है :

"मैंने अनौपचारिक रूप से डा० तिवारी को सूचना दी है कि एक पत्र डा० स्वामीनाथन के प्रेरित करने पर डा० एन० एहरनबर्ग द्वारा भेजा गया है यह वक्तव्य पूर्ण रूप से और सर्वथा असत्य है । डा० एहरनबर्ग और मैंने साथ साथ डा० तिवारी को यह सूचना दी थी कि हमारी राय में प्रायोजना के अन्तर्गत एन० एम० आर० कार्य के विषय में उनके शोध पत्र में दिये गये कुछ वक्तव्य भ्रामक थे । मैंने यह भी कहा था कि यह खेद की बात है कि लेख प्रकाशित होने से पहले डा०तिवारी ने मुझ से और डा० एहरनबर्ग से सलाह नहीं ली थी, क्योंकि प्रशासनिक नियमों के अनुसार किसी भी प्रायोजना से प्राप्त हुए परिणामों को क्रियान्वयन (एक्जीक्यूटिव) ऐजेंसी की सहमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में आई० ए० ई० ए० को सूचित करना भी मेरा कर्त्तव्य था । ऐजेंसी ने आदेश दिया कि इन परिस्थितियों के कारण प्रायोजना निधि का प्रयोग पुनर्मुद्रित प्रतियों के खरीदने के लिए न किया जाये । तदनुसार मुझे एक औपचारिक पत्र द्वारा सूचना मिली और स्वभावतः मैंने उस सूचना की एक प्रतिलिपि डा० तिवारी को दी । इस सम्बन्ध में निश्चित ही कोई भी नियमविरुद्ध आचरण नहीं किया गया ।"

3. अप्रैल 1975 में एनेलेटिकल कैमिस्ट्री में प्रकाशित हुए एक पत्र में निम्नलिखित बातें थीं :—

"विश्लेषण से सम्बन्धित विभिन्न परिभावियों के प्रभाव के विवरण सहित तिवारी तथा उनके सहयोगियों द्वारा एक विधि विकसित की गई । यह विधि तिलहनों में तेल की मात्रा द्रुत तथा नष्ट न होने वाले निर्धारण के लिए एक पल्स्ड एन० एम० आर० तकनीक थी ।"

डा० तिवारी ने एक पुस्तक "फंडामैंटल आफ न्यूक्लीयर साइन्स" प्रकाशित की ।

टिप्पणी :

"एनेलिटिकल केमिस्ट्री" एक ऐसी पत्रिका है जिसमें समीक्षा और सारांश दिये जाते हैं । जिस लेख का हवाला दिया गया है, उसमें लगभग 500 सन्दर्भों का उल्लेख है उनमें कुछ उद्धरण ऐसे दिये गये हैं जिनको बिना किसी टिप्पणी के, जैसा लेखकों ने स्वयं लिखा है, उसी रूप में दिया गया है ।

डा० तिवारी की किताब के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भूतपूर्व निदेशक (डा० ए० बी० जोशी) ने निम्नलिखित समीक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया । यह समीक्षा फिजिक्स

बुलेटन खंड 17 पृष्ठ 89 (फरवरी 1976) में प्रकाशित हुई जिसे इन्स्टीट्यूट आफ फिजिक्स, लंदन ने प्रकाशित किया था :—

"यह आणविक भौतिकी का एक निम्नस्तिरीय परिचय है जिसमें बाद में एक अध्याय 'विकिरण रक्षा' पर और एक अध्याय 'कृषि तथा जीव विज्ञान में आणविक विज्ञान का प्रयोग' विषय पर है । सिद्धान्त रूप से यह पुस्तक तकनीकी महाविद्यालय के आरम्भिक पाठ्यक्रम के लिए आकर्षक प्रतीत होती है परन्तु इसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर कोई भयंकर भूलें सामने आती हैं जैसे एलेक्ट्रोन का आकार (10.8 से० मी०) न्यूक्लियस (10-12 से० मी०) की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा है । (औसत बाइंडिंग एनर्जी (ऊर्जा) 162 में 127 68 16-7.6'0 है । आणविक विज्ञान के प्रयोग के विषय में बताते हुए, लेखक कुछ दृढ़ता से बात पेश करता है । दुर्भाग्यवश, चर्चा अत्यन्त गुणात्मक और कुछ सतही है ।"

4. इण्डियन सोसायटी फार न्यूक्लियर टेकनीक्स इन एग्रीकल्चर एण्ड बायोलोजी द्वारा आयोजित "आणविक तथा सम्बन्धित तकनीकों द्वारा फसलों और पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाना" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका ।

टिप्पणी :

इंडियन सोसायटी फार न्यूक्लियर टेकनीक्स इन एग्रीकल्चर एंड बायोलोजी (कृषि तथा जीव विज्ञान में आणविक् तकनीकों की भारतीय सोसाइटी) एक व्यावसायिक वैज्ञानिक संस्था है जिसने "आणविक तथा संबंधित तकनीकों द्वारा फसलों और पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाना" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जिस में एक स्मारिका प्रकाशित की गयी थी ?

समिति की पत्रिका में दिए गए हाल के एक लेख में प्रधान सम्पादक द्वारा स्थिति का निम्न प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया है :

"स्मारिका में "कृषि में अणु अनुसंधान परियोजना" की मुख्य अनुसंधान उपलब्धियों पर विशेष प्रकाश डाला गया और स्मारिका में प्रकाशित सूचनाएं नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर से प्राप्त की गई । इस कार्य में सभी प्रयोगशालाओं के अनुसंधान योगदानों पर सामूहिक रूप से विशेष बल दिया गया है । इस सूचना में किसी भी वैज्ञानिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये अनुसंधानों पर न तो विशेष रूप से प्रकाश डाला गया और न ही उस को कम आंकने का यत्न किया गया । समिति द्वारा स्मारिका में प्रकाशित लेखों में किसी भी प्रकार का हेर फेर किये बिना पत्रिका के लिए प्राप्त सामग्री को एकरूपता रखने की दृष्टि से सम्पादित किया गया और उसकी वैज्ञानिक सामग्री में संशोधन नहीं किया गया ।

समिति द्वारा किसी भी वैज्ञानिक के अनुसंधान के महत्व को घटाने का इरादा नहीं रहा तथा भविष्य में इस नीति का कठोरता से पालन किया जाता रहेगा । इसलिए समिति को किसी ऐसे वैज्ञानिक से क्षमा मांगने की हिचकिचाहट नहीं, जो यह अनुभव करते हैं कि उनके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य को समिति की पत्रिका के किसी अंक में सही रूप में परियोजित नहीं किया गया, भले ही इस प्रकार का विचार उचित हो अथवा न हो ।"

5. "तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम द्वारा भी 20 जुलाई, 1974 को नाभिकीय अनुसन्धान प्रयोगशाला सम्मेलन में दिये गये भाषण में डा० तिवारी के नाम का उल्लेख किये बिना ही उनके अनुसंधान कार्य पर असहमति प्रकट की गयी ।"

टिप्पणी :

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत कृषि में अणु अनुसंधान प्रयोगों में प्राप्त सुविधाओं के अधिग्रहण समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने निराशा प्रकट की कि प्रयोगशाला में एन० एम० आर० स्पैक्ट्रोमीटर जैसे अच्छे उपकरण होने के बावजूद तिलहनों की अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित नहीं हो पाई हैं । उन्होंने तिलहनों के शीघ्रगामी सुधार की जरूरत भी महसूस नहीं की । यह स्पष्ट नहीं है कि तिलहन अनुसंधान में तीव्रता लाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को दी गई सलाह को डा० तिवारी के कार्य पर "असहमति की मोहर" समझा जाय । इसके अलावा वे पौध प्रजनन् वैज्ञानिक भी नहीं है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में एक सुस्पष्ट कार्य विधि द्वारा वैज्ञानिक कार्यों को मान्यता देते हुए पुरस्कार तथा पदोन्नति देने की पद्धति है । यह पद्धति सभी वैज्ञानिकों के लिए खुली है जिसमें डा० तिवारी भी शामिल हैं । इस कथन में सर्वथा कोई सत्यता नहीं है कि उनके कार्य को किसी प्रकार से बदनाम करने का प्रयत्न किया गया ।

यह अन्य आणविक भौतिक शास्त्रियों और वैज्ञानिक अकादमियों के लिए है कि वे उनकी खोजों की सार्थकता और महत्व का मूल्यांकन करें ।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : विवरण में कहा गया है कि कुछ वैज्ञानिक दलों में कुछ अनधिकृत टिप्पणियां की गई हैं । एक शोध कार्यकर्त्ता के विरुद्ध ये टिप्पणियां कैसे छपीं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पत्र में कोई अनधिकृत टिप्पणी नहीं छपी ।

श्री श्याम प्रसन्न भटटाचार्य : क्या कोई ऐसा सरकारी तंत्र है जिसके अन्तर्गत यहां सम्भव हो वहां देश में और इसके बाहर भी वैज्ञानिक चर्चा में सहायता दी जा सके ताकि कोई विभागीय प्रमुख किये गये शोध कार्य के प्रकाशन में बाधा उपस्थित न कर सके ? तभी शोध कार्य सफलतापूर्वक चल सकेगा और किसी वास्तविक शोध कार्य के विरुद्ध अनधिकृत टिप्पणी नहीं हो सकेगी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : शोध कार्य सदैव किसी विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में होता है और यह कार्य उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इसके अधिकारी होते हैं ।

श्री एम० सत्य नारायण राव : क्या यह सच है कि डा० पी० एन० तिवारी द्वारा गलत इस्तेमाल किये जाने के कारण एन० एम० आर० उपकरण को तीन बार नुकसान हुआ जिसमें लाखों रुपये की हानि हुई और क्या यह भी सच है कि यूगोस्लाविया के विशेषज्ञ दो अप्रैल, 1976 में इस उपकरण की मरम्मत करने के लिये आये थे उन्होंने कहा कि डा० तिवाड़ी ने उपकरण का गलत इस्तेमाल किया और यह सिफारिश की कि उपकरण को किसी अन्य योग्य व्यक्ति को सौंपा जाये ? क्या यह भी सच है कि डा० तिवाड़ी ने एम० एस० जी० पास करने के बाद पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त करने में 8 साल लिये और उनके अधीन किसी भी व्यक्ति ने पी० एच० डी० की डिग्री नहीं ली ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । इसके लिये अलग से नोटिस देना होगा ।

श्री अशोक कृष्ण दत्त : टाइम्स आफ इंडिया में 5 मई को इस लेख के छपने के बाद उसी पत्र में 12 मई को एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डा० आर० एस० चौगुले का सम्पादक के नाम पत्र छपा था जिसमें उन्होंने कहा कि डा० पी० एन० तिवारी का यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है और शोध में अपने योगदान को बढ़ा-चढ़ा कर बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार ने इस पत्र पर विचार किया ?

क्या सरकार ने विचार किया है 5 मई को छपे इस लेख के माध्यम से इस वैज्ञानिक को ही नहीं बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? यदि हां, तो सरकार इस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के बचाव में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: लेख में केवल डा० पी० एन० तिवारी को ही बदनाम करने की कोशिश की गई है, महा-निदेशक को नहीं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यह हालत परिषद् में थोड़े समय से चल रही है। सब बात डा० तिवारी के लिये कही गई है। परिषद् के लिए कही गई अन्य वैज्ञानिकों की रक्षा करने और ऐसी बातों को रोकने तथा उनकी जांच करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? हमें इस पर चर्चा करनी चाहिये क्योंकि डा० तिवारी पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अतः हमें इस पर पूरी चर्चा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसका फसला मंत्री महोदय नहीं कर सकते।

Shri Janeshwar Mishra : After suicide by Dr. Shah of the Indian Council of Agricultural Research, Gajendragadkar Commission was appointed to go into the working of the council and the Commission made recommendation to take action against the highest officer of the Council. Will the hon. Minister state categorically what action has been taken on the said recommendation ? If no action has been taken, what are the reasons therefor ?

Shri Surjit Singh Barnala : After the said report the Cabinet sub-committee went into the entire matter. It consisted of four cabinet Ministers. Their views were placed before the Cabinet and the decisions have already been taken.

Shri Janeshwar Mishra : It is a very serious matter. I want to know what decision was taken ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : निर्णय काफी लम्बा है क्योंकि सभी सिफारिशों के बारे में अलग-अलग निर्णय लिये गये थे। यह 4 या 5 पृष्ठों में है, यदि आवश्यक हो तो मैं पढ़ देता हूं।

श्री डी० डी० देसाई : क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की शासकीय निकाय में डा० सेठना और डा० रामना भी बैठते हैं और भाग लेते हैं और डा० एम० एस० स्वामीनाथन की ये दोनों बहुत इज्जत करते हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसका प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या यह सच है कि श्री पी० एन० तिवारी ने कभी आरोप लगाया था कि डा० स्वामीनाथन ने झूठे आंकड़े और गलत परिणाम पेश करके इनाम प्राप्त किया था ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई कि डा० तिवारी ने विशेषकर यह आरोप लगाया है, परन्तु कुछ ऐसा आरोप लगाया गया है।

श्री अरविन्दबाला पजनौर : हमने रिपोर्ट पढ़ी हैं कि तिवारी ने किसी मशीन को ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जिससे सरकार को हानि हुई और इसी कारण यूगोस्वलाविया से आये विशेषज्ञों

ने कहा कि इस व्यक्ति को कोई विशेष काम न सौंपा जाये। मेरे विचार में दिया गया उत्तर और रिपोर्टों से एकत्रित की गई हमारी जानकारी परस्पर विरोधी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ठीक क्या है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हो सकता है दोनों परस्पर विरोधी हों। हम जांच करेंगे कि ठीक कौन सी है। **(व्यवधान)**

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The atmosphere in the ICAR has not become clear ever after rec ipt of the Gajendragadkar Commission and the report of the cabinet sub-committee consisting of four Ministers. I suggest that some Members of Parliament alongwith some expert should go into the working of the council so that it function properly and without partisan.

Shri Surjit Singh Barnala : I feel that no politics should be involved so far as agricultural scientific research is concerned. But there has been some politics in it. We should keep it above politics because we want bumper crop.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The question is that the Gajendragadkar Commission was appointed following the suicide by Dr. Shah and then cabinet meeting was held, but the atmosphere has not so far been cleared. I want that a committee consisting of Members of Parliament and experts be appointed to go into the working of the council so that we can know what are its functions and what benefit has accrued to country from it.

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव से मामला और भी बिगड़ जायेगा।

अपने मकान होते हुए सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले निर्माण और आवास मन्त्रालय के अधिकारी

***314. श्री नवाब सिंह चौहान :**

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में उन अधिकारियों की संख्या, नाम तथा पदनाम क्या हैं, जिनके अपने मकान हैं परन्तु सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों की फेडरेशन ने इस नई नीति का विरोध किया है कि जिन अधिकारियों के अपने मकान हैं वे सरकारी आवास प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ग) क्या यह नई योजना इन अधिकारियों के दबाव में आ कर अपनाई गई है;

(घ) क्या इन अधिकारियों ने अपने मकान अत्यधिक किराये पर दिये हुए हैं और इसीलिए वे अपने मकानों में जाना नहीं चाहते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस योजना को किन कारणों से क्रियान्वित करना चाहती है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) उन अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं जो निर्माण और आवास मंत्रालय खास में कार्य कर रहे हैं (इस में संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय शामिल

नहीं हैं), जिन के दिल्ली/नई दिल्ली में अपने निजी मकान हैं और जो सामान्य पूल वास के दखल में हैं :—

	नाम सर्वश्री	पदनाम
1.	एस० चौधरी	संयुक्त सचिव
2.	एम० एम० राणा	मुख्य वास्तुक
3.	के० एल० गुप्ता	उप सचिव
4.	राम आसरा	अनुभाग अधिकारी
5.	वी० जम्बुनाथन	निजी सचिव
6.	श्रीमती जी० डी० मित्तल	ट्रेसर
7.	ओ० पी० गुप्ता	सहायक
8.	आर० जी० बिन्द्रा	सहायक
9.	वी० के० गुप्ता	वैयक्तिक सहायक
10.	नर सिंह	दफतरी

(ख) कई एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में हाल के निर्णय का समर्थन भी करने वाले हैं और विरोध में भी हैं । तथापि, फेडरेशन आफ गवर्नमेंट एम्पलाइज़ यूनियन से कोई अधिकृत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Nawab Singh Chauhan : Will the hon. Minister be pleased to state the reasons for which the rule the government employees owning houses will have to vacate government accommodation has been changed ?

Shri Chaudhuri, the Joint Secretary has let out his private house at exorbitant rent while he is occupying government accommodation at a monthly rent of Rs. 150/- only. Is it not a fact that he did not vacate government accommodation for this very reason ? I want to know the reasons for changing the rule ? Whether this rule has been changed simply because private houses of government employees can be let out on exorbitant rent?

श्री बीजू पटनायक : यह सही नहीं है । सरकार ने कई अन्य बातों के कारण भी इस मामले पर पुनर्विचार किया है । माननीय सदस्य को मालूम है कि दिल्ली में मकान बनाने की लागत बहुत अधिक है और यदि उन्हें पर्याप्त किराया नहीं मिलता तो वे ऋण की अदायगी नहीं कर सकते । इन लोगों ने सरकारी वित्तीय संस्थाओं या जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर अपने मकान बनाये हैं । अत: इन्होंने इस प्रकार के अभ्यावेदन दिये हैं ।

सरकार मामले पर पुनर्विचार कर रही है और कुछ अधिकारियों को सरकारी निवास के लिये मार्किट किराया देने के लिये कहा गया है । उन्होंने इस बारे में अभ्यावेदन दिये हैं और मामले पर पुनर्विचार हो रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

Shri Nawab Singh Chauhan : Whether it is a fact that many government employ es owning houses were forced to vacate government accommodation and even some employees, who do not own any houses, were also deprived of government accommodation ? Whether the officers, responsible for allotment of houses, have not got this action done in their favour by changing this rule ?

I would like to know from the hon. Minister whether he would try to get this rule changed again ?

श्री बीजू पटनायक : नहीं, कोई कानून बदलने की कोशिश नहीं की जा रही है । इस तरह के कुछ छोटे अधिकारी भी हैं । इन 10 व्यक्तियों में से 34 सचिव से नीचे अनुभाग अधिकारी तक 7 व्यक्ति हैं । अत: केवल उच्च अधिकारियों के पास ही सामान्य पूल से सरकारी आवास नहीं है । दिल्ली में सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाये गये कुल 4300 मकानों में से 100 से कम मकान उच्च अधिकारियों के हैं । अत: चपरासी और दफतरी जेसे छोटे अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और यदि उन्हें वापस जाने के लिये कहा जाता है तो वे ऋण की अदायगी नहीं कर पायेंगे और वे मुश्किल में पड़ जायेंगे । इसी कारण सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है । . . . . इस पर पुनर्विचार किया जा चुका है और निर्णय की घोषणा की जायेगी ।

श्री वसन्त साठे : यह प्रश्न उन सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित है जिनके अपने मकान हैं । इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के फेडरेशन द्वारा किये गये अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए सिविल लाइन्स और नई दिल्ली के सम्पन्न क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर सरकारी कर्मचारियों के लिये बहु-मंजली मकान बना कर इसका उपयोग करने की क्या सरकार की कोई योजना है ?

श्री बीजू पटनायक : सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ।

Shri Vijay Kumar Malhotra : Whether the ho . Minister is aware that there is great resentment among government employees because of declaration of this new policy ? If the government employees owning houses are allowed to keep government accommodation, the other employees will be deprived of government accommodation. They are paying exorbitant rent and they are in great difficulty. Whether any negotiations with the Members of this House and the Federation of Government employees will be held in this regard ar.d decision taken to change this policy or not ?

श्री बीजू पटनायक : जैसाकि मैंने बताया है कि 4303 सरकारी कर्मचारियों मे से, जिन्होंने दिल्ली में मकान बनाये हैं, 2.753 कर्मचारियों ने अपने मकान खाली कर दिये हैं । यह प्रक्रिया चल रही है । इस बीच उन्होंने कुछ अभ्यावेदन दिये है और सरकार ने कुछ निर्णय लिया है ।

Shri Mohan Lal Pipil : I want to know the number of officers and employees of the Central Government, who were asked to vacate government accommodation after recovering 4·66 times rent and market rent. Whether Government have sympathetic attitude for them and whether they will be given refund of the rent ? Whether they were forced to vacate or they voluntarily surrendered government accommodation.

श्री बीजू पटनायक : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Bhanu Kumar Shastri : There are no houses for the Mem'bers o f Parliament and the hon. Minister is answering the questions in a very light way that the matter is under consideration. I want to know whether the Government servants owning houses will be asked to vacate the Government quarters immediately or standard rent will be charged from them ?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन्हें तुरन्त सरकारी मकानों से निकाल दिया जाये । मैंने कहा है कि 4303 सरकारी कर्मचारियों में से 2753 कर्मचारियों ने मकान खाली कर दिये हैं । जो मकान अभी भी ऐसे सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में हैं, जिन के अपने मकान हैं, वे विशेष आधार पर हैं । उन से आय तथा बाजार

भाव आदि के आधार पर किराया लिया जाता है । क्या उन्हें तथा उन के नौकरों के मकानों में रहने वाले किरायेदारों को जबर्दस्ती वहां से निकाला जाये ? माननीय सदस्य को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अब कानून का शासन है तथा आपात काल नहीं है । हम अपने अधिकारियों को निकाल सकते हैं, लेकिन उन के किरायेदारों को नहीं जो नौकरों के क्वाटरों में रह रहे हैं ।

Shri Lakhan Lal Kapoor: There are Government servants who have rendered number of years of service, but they have not be n provided Government accommodation. I would like to know by what time Government accommodation will be provided to them ?

Secondly there are such corrupt officers who own 1, 2 or 4 house and they have rented out their house, whereas they are staying in Government quarters. I want to know whether any action will be taken against such officers ?

श्री बीजू पटनायक : यदि कोई ऐसा मामला सरकार के ध्यान में लाया गया, तो न केवल मकान खाली करबा लिया जायेगे बल्कि उन के विरुद्ध जांच भी की जायेगी ?

श्री सौगत राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में रहने वाले उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें आपात के दौरान मकान खाली करने के नोटिस दिये गये थे, वर्तमान सरकार के अधीन सरकारी मकानों में रहने की अनुमति होगी ?

श्री बीजू पटनायक : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है अभी तक कुछ भूतपूर्व मंत्रीयों तथा भूतपूर्व संसद् सदस्यों ने भी मकान खाली नहीं किये हैं और मकान खाली कराना एक कठिन कार्य हैं । परन्तु यह कार्यवाही की जा रही है कि जिन के पास अपने मकान हैं, वे सरकारी मकान खाली कर दें । जब तक वे मकान खाली करते हैं, तब तक के लिये उन्हें बाजार किराया देना होगा । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं विस्तृत जानकारी दे सकता हूं, लेकिन उस में समय लगेगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जायेगी कि वह उस कालावधि में अवश्य क्वार्टर खाली कर दें, ताकि उन कर्मचारियों को जिन्हें सरकारी मकान नहीं मिले हैं, सरकारी मकान दिये जा सके ?

श्री बीजू पटनायक : यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि वे मकान खाली कर दें ।

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Minister has just stated that he is considering the cases of those officers who have to repay the loan. I want to know whether the cases of those officers will also be considered who have vacated Government accommodation, because they wanted to get loan ?

एक माननीय सदस्य : इस का उन के पास कोई उत्तर नहीं है ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या यह उचित नहीं होगा कि उन से जिन के अपने मकान हैं और जो सरकारी मकानों में रह रहे हैं बाजार भाव पर किराया लिया जाये, राज सहायता प्राप्त दर पर नहीं ?

श्री बीजू पटनायक : जैसा कि मैंने कहा है सरकार उन से ऊंची दरों पर किराया ले रही है । आप चाहें तो मैं विस्तृत जानकारी दूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इस की जरूरत नहीं है ?

श्री शिव नारायण सरसोनिया खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्रीमान । केवल आप ही नहीं, अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

Shri Kishori Lal : I want to know whether the M.Ps. and Ex-M. Ps. who own houses in Delhi will also be asked to vacate Government houses ?

Shri Biju Patnaik : They are neither paying rent nor vacating

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

छात्र पर्वतारोहियों की मृत्यु

अ० प्र० सं० 10. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून को मनाली के समीप एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें लाहौल स्पीति पर्वत पर चढ़ते हुए तीन छात्रों की मृत्यु हो गयी थी;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनको बचाने के लिये कोई उपाय नहीं किये हालांकि इस दुर्घटना की सूचना उसे 17 जून, 1977 को दे दी गई थी;

(ग) क्या पर्वतारोही संघ (माऊंटेनियरिंग एसोसियेशन) के पास वायरलेस की व्यवस्था नहीं थी; और

(घ) भविष्य में एक सी घटनाओं की रोक थाम के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

दिल्ली पर्वतारोही संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उसके कैप्टन सुदेश कुमार के नेतृत्व में और पांच अन्य सदस्यों के साथ हिमाचल हिमालय में एक अभियान प्रायोजित किया । लाहौल तथा स्पीति क्षेत्र में एक पर्वत पर चढ़ते समय 16 जून, 1977 को लगभग 2 बजे दोपहर उस दल के साथ एक दुर्घटना हो गई । यह दुर्घटना लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर हुई । बताया गया है कि इस दुर्घटना के फलस्वरूप अभियान दल के दो सदस्यों की मृत्यु हो गई है ।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दुर्घटना और एक सदस्य के गुम होने के बारे में जिला लाहौल तथा स्पीति जिले के मुख्यालय, केलोंग में सूचना 17 जून, 1977 को सांय लगभग 4 बजे प्राप्त हुई थी । हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 जून,

को प्रातः 6 बजे दुर्घटना स्थल के लिए एक बचाव दल भेजा । इसके अतिरिक्त, केलोंग तथा कुल्लु प्रत्येक से एक-एक, दो चिकित्सा दल भेजे गए । दूसरा बचाव दल भारतीय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा भेजा गया था । धातु संसूचकों से लैस एक अन्य बचाव दल राज्य सरकार द्वारा भेजा गया था जो दुर्घटना स्थल पर 21 जून को पहुंच गया । इस दल ने यह रिपोर्ट दी कि दुर्घटना स्थल पर हिमस्खलन मलबे का भारी जमाव था । और वहां बचाव कार्य करना सम्भव नहीं था । भारत-तिब्बत पुलिस फोर्स, मनाली स्थित भारतीय पर्वतारोहण संस्थान और सेना के बर्फ तथा हिमस्खलन स्थापन के सदस्यों का एक बचाव दल 26 जून की सुबह दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुआ और उसने व्यापक रूप से खोजकार्य किया। 28 जून, को शरीर प्राप्त हुआ और उसे 30 जून को सड़क द्वारा दिल्ली लाया गया ।

बचाव कार्यों का पर्यवेक्षण लाहौल और स्पीति जिलों के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया था ।

दिल्ली पर्वतारोही संघ के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि ऐसे छोटे अभियानों के लिए जिसका उद्देश्य 19,000 फुट की उंचाई तक चढ़ना होता है, वायरलैस की सुविधाऐं प्रदान करने की प्रथा नहीं है । दिल्ली पर्वतारोही संघ द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाती है कि अभियान में भाग लेने वालों को आवश्यक अनुभव हो और वे उपयुक्त रूप से सज्जित हों, किन्तु इस प्रकार की दुर्घटनाऐं पर्वतारोहण के जोखिम का एक अंग होती हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, the question is not a political one. It is a question of great importance. But it is most unfortunate that the facts stated by the hon. Minister are not correct. I congratulate the hon. Minister and the Central Government that they have taken special interest in the matter. But there had been a great negligance and in human treatment has been meted out by Shri Harnam Singh, President of the Mountaineering Association who is son in law of a Minister to the boy who wanted to telephone to Delhi to inform the parents of the boy who met the fatal accident.

Three parties were sent. The first rescue party went upto the place, where they could go by jeep. The second party had no part ers and that also came back from the same place. The third party had ration only for four days and it also came back from the base. The result was that the accident occurred on 16th and the dead body was recovered on 28th. The hon. Minister know that another boy struggled for life for three days and had rescue work been in time, be could have been saved.

The hon. Minister paid a visit to the family of that boy. We are thankful to him or that. I want to know whether the hon. Minister will ask the Himachal Pradesh Government to conduct an enquiry in view of the fact brought to light by me and also by the family member of that boy, so that such accidents do not happen in future.

अध्यक्ष महोदय : आप ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछने में पांच मिनट लगा दिये । यह प्रश्न काल नहीं है । मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : महोदय, मैंने जो उत्तर दिया है, वह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है । मैं स्वयं संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने गया था और मुझे अब परिवार के मुखिया से हस्ताक्षरित अभ्यावेदन प्राप्त हो गया है । मेरा विचार है कि उस अभ्यावेदन को समुचित जांच करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के पास भेजा जाये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The behaviour of Shri Harnam Singh has been most objectionable in the matter. Will the Minister make an enquiry in this regard ? I want to know whether an expert Committee will be constituted to ensure that such accidents do not occur

in future ? I would also like to know whether some arrangements will be made for rescue for future ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : महोदय, जिस महानुभाव का नाम लिया गया है, उन के बारे में मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, तथापि शिकायत में जो कुछ दर्ज है उस समुचित जांच के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के पास भेजा जायेगा । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है वह नीति सम्बन्धी प्रश्न है । भारतीय पर्वतारोही संघ ने, जो इस प्रकार के अभियान चलाता है, बताया है कि जब कोई अभियान 20,000 फुट से अधिक ऊंचाई का होता है, तो अन्य सुविधायें दी जाती हैं । यह उस प्रकार का अभियान नहीं था, इसलिए वे कदम नहीं उठाये गये । परन्तु चंकि दुर्घटना हो गई है, मामले पर पुनर्विचार हो सकता है और हम इस पुनः भारतीय पर्वतारोही संस्था के साथ उठायेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या 15000 फुट से ऊंचे अभियान के मामले में बेतार की सुविधायें तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह एक पैचीदा मामला है, क्योंकि बेतार की सुविधायें सेना अथवा भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सहायता से प्रदान की जाती हैं । जैसाकि मैंने सभा को आश्वासन दिलाया है मैं इस मामले को भारतीय पर्वतारोही संघ के साथ उठाऊंगा ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि मामले की जांच करने के लिए वह हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्पर्क स्थापित करेंगे । मैं चाहती हूं कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाये और समूचे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाये । हम पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । सामान्यतया ऊंची चोटियों पर चढ़ाई जून के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाती है परन्तु इस मामले में ऐसी नहीं हुआ । दूसरे पर्वतारोही दल 11.30 बजे चढ़ाई शुरू करते हैं जबकि इस दल ने 13.30 बजे आरम्भ की । इस लिए घोर लापरवाही हुई है । इस लिए यह केवल हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखने का प्रश्न नहीं है । इस मामले की जांच करने के लिए तुरन्त एक आयोग गठित किया जाना चाहिए ताकि युवक और युवतियों में, जिन्हें पर्वतारोहण में रुचि है, विश्वास पैदा हो सके ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हिमाचल प्रदेश सरकार से मामला उठाकर हम उन की प्रतिक्रिया देखेंगे और यदि आवश्यक समझा गया, तो बाद में आयोग गठित किया जायेगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरे राज्य गुजरात से भी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों, कालेजों, तथा हाई स्कूलों से बड़े संख्या में लड़के तथा लड़कियां पर्वतारोहण अभियानों पर जाते हैं । इस लिए मैं इस दुर्घटना से चिंतित हूं । इस लिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह पर्वतारोहण संघ से कहेंगे कि न केवल ऊंचाई अपितु अभियान के खतरे के प्रश्न की भी जांच की जाये । यदि आप 15000 फुट का मानदण्ड रखते हैं, तो दुर्घटना 12000 फुट पर हो सकती है । प्रश्न उंचाई का नहीं, अपितु प्राकृतिक प्रकोप का प्रश्न है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जैसा कि मैंने कहा है, पर्वतारोहण खतरनाक है, ऊंचाई चाहे 15000 फट हो अथवा 12000 फुट । मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं इस मामले को पर्वतारोहण संघ से उठाऊंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं जानना चाहता हू कि पर्वतारोहण अभियानों के लिए सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं और क्या उन नियम का पालन करना पर्वतारोहण संस्थान, सम्बन्धित राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के लिए अनिवार्य है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह मामला खेल कूद के अन्तर्गत आता है और जहां तक मेरी जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई नियम नहीं बनाया है । जैसा कि मैंने कहा है यह मामला समुचित अधिकारियों के साथ उठाया जायेगा ।

Shri Nawab Singh Chauhan : The hon. Member who asked the question has said that the person who has misbehaved is the son-in-law of a Minister. I want to know whether an enquiry will be made as to who that man is and whose relation he is, so that confidence may be created in public, that will so ever one may be, no body can be allowed to misbehave with the public ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री विनोदभाई बी० सेठ : क्या संतप्त परिवार को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : ऐसी मांग नहीं की गई है । मैं स्वयं संतप्त परिवार से मिलने गया था । ऐसी कोई मांग नहीं की गई । परन्तु फिर भी चलते समय मैंने कहा था, कि वे मुझे बतायें कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

राजस्थान में दुर्लभ पाण्डुलिपियां

*304. **श्री चतुर्भुज** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कुछ संगठनों, भूतपूर्व रियासतों के नरेशों और नागरिकों के पास गणित, ज्योतिष, आर्युवेद, साहित्य, संस्कृति और इतिहास के विषयों पर लाखों दुर्लभ पाण्डलिपियां हैं;

(ख) क्या उनकी उपयुक्त सुरक्षा और देख-रेख के अभाव में इन दुर्लभ पाण्डुलिपियों का कोई उपयोग नहीं कर रहा है तथा कभी-कभी कुछ पाण्डुलिपियों को चोरी छिपे विदेश भेज दिया जाता है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विभिन्न विषयों से सम्बन्धित काफी संख्या में पाण्डुलिपियों राजस्थान के विभिन्न संगठनों के पास हैं। 'ओरियंटल स्टडीज इन इन्डिया' और 'डाइरेक्टरी आफ म्यूजियम्स इन इन्डिया' जैसे कुछ प्रकाशनों में यह उल्लेख है कि विभिन्न संग्रहालयों तथा संगठनों के पास कितनी पाण्डुलिपियां

हैं । भूतपूर्व राजाओं और अन्य नागरिकों के व्यक्तिगत कब्जे में पाण्डुलिपियों की संख्या का पता नहीं है हालांकि उनमें से अनेक ने अपनी सचित्र, चित्रित अथवा वर्णित पाण्डुलिपियों को पुरावशेष और कला निधि अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत पंजीकृत करा लिया है ।

(ख) यह सही है कि जो पाण्डुलिपियां व्यक्तियों के अपने अधिकार में हैं, उनका उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है । किन्तु, राजस्थान में पाण्डुलिपियों के चोरी होने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) सरकार बिना चित्र की पाण्डुलिपियों को शामिल करने के लिए पंजीकरण के क्षेत्र का विस्तार करने के प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय करेगी ।

Utilisation of Narmada Water for Irrigation Schemes

*309. **Shri Dharam Singh Bhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether Central Government have accorded approval for utilisation of Narmada water for Rami, Karjan, Sukhi and Hiran Irrigation Scheme and if so, the dates on which approval for each of these schemes was accorded ; and

(b) the names of the schemes for which approval has not so far been accorded indicating the reasons therefor and when the approval will be accorded ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Rami, Sukhi and Karjan Irrigation Schemes of Gujarat in the Narmada Basin were approved by the Planning Commission in May, 1975, February, 1977 and May, 1977 respectively.

(b) Modified report for the Hiran Project is awaited from the State Government and will be processed for clearance when received.

शारीरिक शिक्षा

310. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में शारीरिक शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का शारीरिक शिक्षा का विकास करने के लिए ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० [प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : 1968 में संसद द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरक शिक्षा तथा तेल के एक देश व्यापी कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर यथोचित बल दिया गया है ।

2. शारीरिक शिक्षा के प्रसार और साथ ही समग्र शैक्षिक संरचना में इसको दी जाने वाली प्राथमिकता की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की भूमिका राज्यों को पहल, नेतृत्व, समन्वय और परामर्शी सेवाएं देने तक सीमित है और सबको सूचना पहुंचाने के एक निपटान गह के रूप में कार्य करने की है ।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को जारी की गई मार्गदर्शी रूप-रेखाओं में राज्यों को स्कूल स्तर पर

शारीरिक शिक्षा, खेल तथा कूद को अनिवार्य बनाने और स्कूल परीक्षाओं में भाग लेने के हेतु पात्रता की पूर्व शर्त रखने तथा उनमें उत्तीर्ण होने की सम्भावना पर गम्भीर रूप से विचार के लिए सलाह दी गई है । कुछ राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों ने पहले ही इस सुझाव को कार्यान्वित करने का निर्णय ले लिया है तथा दूसरे इस पर विचार कर रहे हैं ।

4. दस जमा दो नई शिक्षा पद्धत्ति में माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था एक अनिवार्य विषय, कार्यकलाप के रूप में की गई है तथा प्रत्येक मुख्य कार्यकलाप में व्यापक पाठ्यक्रम और उपलब्धि के मानदण्डों का भी विकास किया गया है तथा उन्हें स्कूलों के लिए निर्धारित किया गया है और जमा दो स्तर पर शारीरिक शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी रखा गया है ।

5. जहां तक संभव हो सके कालेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों को खेल कूद तथा शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों में भाग लेने में समर्थ बनाने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को, व्यायामशालाओं के निर्माण खेल-मैदानों के विकास तथा उपकरणों की खरीद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

6. देश में शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों को पर्याप्त तथा दीर्घकालीन पूर्ति की व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने दो राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है अर्थात लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज ग्वालियर तथा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ।

7. केन्द्र सरकार, शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुछ निर्धारित शर्तों को उनके पुरा करने की शर्त पर शारीरिक सुविधाओं के सुधार के लिए तुलना के आधार पर, आंशिक रूप से सहायता देती है । सरकार 'योग' में शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रोन्नति के लिए कुछ चुनी हुई योग संस्थाओं को भी, आर्थिक सहायता देती है ।

केरल में समेकित मत्स्य बन्दरगाह

311. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में समेकित मत्स्य बन्दरगाह बनाने के लिये कोई परियोजना प्रतिवेदन है और क्या इन परियोजनाओं के लिये सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) केरल सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से विजिन्जाम, नीदाकारा तथा बेपुर में समेकित मत्स्य की विकास के लिये 1975 में परियोजना रिपोर्टें तैयार की थीं । विश्व बैंक के परामर्श से इस परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई थी और यह अनुभव किया गया कि परियोजना शुरू करने से पहले कुछ परिवर्तन करने जरूरी है । तदनुसार राज्य सरकार को सलाह दी गई थी । संशोधित परियोजना रिपोर्ट के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरे के उत्पादन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

312. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरे के उत्पादन से सम्बद्ध कृषि सम्बन्धी तथा अन्य अधिकारियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) चालू वर्ष में कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का विचार है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, केन्द्रीय कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय राज्यों कै सम्बोधित अधिकारियों के लाभ के लिये चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरे के उत्पादन की नवीनतम तकनीकों मे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर रहा है ।

(ख) इन प्रशिक्षण केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य यह है कि सम्बन्धित फसलों के उत्पादन की नवीनतम तकनीकों के विषय में विस्तार कार्यकर्ताओं के ज्ञान को अद्यतन रखा जाये।

(ग) चालू वर्ष के दौरान मन्त्रालय ने विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थानों में चावल, ज्वार, बाजरे तथा मक्का के विषय में क्रमश: 26, 10 6क 5 पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है ।

(घ) इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) इन फसलों के उत्पादन के मार्ग में आने वाली अड़चनों का पता लगाकर उन्हें दूर करने के तौर तरीके सुझाना (2) विभिन्न कृषि जलवायु की परिस्थितियों मे फसलों के पैकेज की विधियां (3) मिनिकिट प्रदर्शन की उपयुक्त विधिया (4) व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु खेतों का दौरा करना ।

भूतपूर्व मन्त्रियों के निवासों पर किया गया व्यय

*313. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सरकार द्वारा भूतपूर्व प्रधाव मंत्री. श्रीमती इंन्दिरा गांधी सहित भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के प्रत्येक मंत्री के नई दिल्ली स्थित निवास स्थान पर वर्ष 1974–75 से 1976–77 तक (1) नवीनीकरण, (2) सजावट, (3) रख-रखाव पर वर्षवार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अनियमिततायें पाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख) तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्नों के आरक्षित भण्डार की सीमा

*315. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग तथा व्यापार मंडलों के महासंघ के प्रमुख ने सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों के आरक्षित भंडार को 200 लाख टन तक सीमित रखा जाये और उसके ऊपर की मात्रा को देश में बेचा जाये अथवा निर्यात किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : सरकार ने इस संबंध में भारतीय उद्योग तथा व्यापार मंडलों के महासंघ के प्रमुख द्वारा 19 मई, 1977 को दिए गए तथाकथित वक्तव्य को देखा है । सरकार द्वारा नियुक्त किए गए वफर स्टाक रखने की नीति से संबंधित तकनीकी ग्रुप ने सिफारिश की है कि हालांकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 120 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का वफर स्टाक बनाना वांछनीय है, लेकिन वर्तमान भण्डारण संबंधी और अन्य कठिनाइयों को देखते हुए आगामी 2–3 वर्षों के लिए 100 लाख मीटरी टन का वफर हस्टाक तैयार किया जाना चाहिए । तकनीकी ग्रुप ने यह भी सिफारिश की है कि यह वफर स्टाक वर्ष की विभिन्न तारीखों को रखे गए 35 से 88 लाख मीटरी टन के कार्यचलन स्टाक से अतिरिक्त होना चाहिए ।

वफर और कार्यचालन स्टाक की मात्रा से संबंधित तकनीकी ग्रुप की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

दिल्ली/नई दिल्ली की कालोनियों में पीने के पानी की सप्लाई

*316. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकरी है कि दिल्ली और नई दिल्ली की अधिकांश कालोनियों में जून, 1977 के पहले सप्ताह में पीने के पानी का अभाव रहा ; और

(ख) यदि हां, तो पीने के पानी की उचित और नियमित सप्लाई के बारे में सरकार का भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जून, 1977 के प्रथम सप्ताह के दौरान दिल्ली नई दिल्ली की विभिन्न बस्तियों को सप्लाई किए गए पीने की मात्रा लगभग 2150 लाख गैलन थी जोकि प्रतिदिन इस पद्धति की अधिकतम उपलब्ध क्षमता है । फिर भी, निम्नलिखित कारणों की वजह से कुछ बस्तियों से कम पानी देने की शिकायतें मिलीं :—

(1) गर्मी के कारण पानी की मांग बढ़ गई और ऊपरी मंजिल के रहने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ा ।

(2) रेनी कुओं, नलकूपों तथा जल कलों को बिजली सप्लाई में गड़बड़ी के कारण जनकपुरी, दासगढ़ टोडापुर (पश्चिमी जोन) तथा रामकृष्णपुरम, ग्रेटर कैलाश II (दक्षिणी जोन) में पानी की कमी रही ।

(3) आजाद मार्किट में फ्यूज वाल्व के खराब हो जाने के कारण 31 मई और 5 जून, 1977 को पुरानी रोहतक रोड के साथ साथ उन क्षेत्रों को पानी की कमी रही ।

(ख) इस समय दिल्ली में पानी की आम कमी है । हैदरपुर जल संसाधन संयंत्र के प्रथम चरण के चालू होने पर दिल्ली को प्रतिदिन शीघ्र ही 500 लाख गेलन अतिरिक्त पानी मिलने लगेगा । इससे स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा । इस स्थिति में और आगे सुधार होगा जब 500 लाख गैलन प्रतिदिन अतिरिक्त पानी मुहैया करने के लिए हैदरपुर संयंत्र का दूसरा चरण लगभग 1977 के अन्त तक पूरा हो जाएग ।

तिलहन

317. **श्री जी० वाई० कृष्णन्:** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सिंचित क्षेत्रों में भी तिलहनों की औसत उपज कम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई परिगोष्ठी आयोजित करने अथवा बुआई-सम्बन्धी गहन विस्तार कार्य और अच्छे पौधों की नस्ल का प्रदर्शन करने सम्बन्धी कोई कार्य-क्रम बनाने और चलते-फिरते प्रशिक्षण दलों द्वारा चर्चायें आयोजित करने और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं । सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों की औसत उपज, असिंचित क्षेत्रों की उपज से काफी अधिक है । तथापि, पैदावारों में वृद्धि करने की गुंजाइश है ।

(ख) सिंचित मूंगफली तथा अन्य तिलहनों की उपज में सुधार लाने के प्रश्न पर अखिल भारतीय तिलहन गोष्ठियों और भारतीय तिलहन विकास परिषद की बैठकों में आवधिक रूप से पुनरीक्षण करके उपयुक्त उपाय किए जाते हैं । भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित किये गये एक विशेष दल ने वर्षा पर आश्रित और सिंचित, दोनों क्षेत्रों में मूंगफली और अन्य तिलहनों के बारे में बीज उत्पादन कार्यक्रम और वनस्पति-रक्षण उपायों के गतिमान करने की सिफारिश की है । इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सिंचित मूंगफली, तोरिया और सरसों की फसल की बुवाई के क्षेत्र को बढ़ाने तथा उन्मत कृषि पद्धतियों, जिनमें उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग, उपयुक्त संख्या में पेड़-पौधों को बनाए रखना, उर्वरकों का उपयोग, कीट नियन्त्रण आदि कार्य शामिल है ।, को भी लोक-प्रिय बनाने के लिये भारत सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत की है । क्षेत्रीय प्रदर्शन और विस्तार श्रमिकों को प्रशिक्षण देना भी इस योजना का भाग है ।

वाणिज्यिक फसलों के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य

318. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य अवश्य प्राप्त हो, क्या इसके लिये सरकार ने कोई निर्णय किया है अथवा कोई मापदण्ड निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ।

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख). सरकार की नीति यह है कि नकदी की प्रमुख फसलें व महत्वपूर्ण कृषि जिन्सें पैदा करने वालों के लिये लाभकारी कीमतें सुनिश्चित की जायें। मूल्य नीति की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाये और जहां आवश्यक हो, समर्थन की प्रक्रियाओं को हाथ में लिया जाये। कीमतों को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिये कुछ अन्य उपाय भी किये जाते हैं, जिनमें, इनके अलावा, आयात निर्यात का नियमन करना व भण्डारण की सीमा का निर्धारण करना भी शामिल है।

इस समय जिन प्रमुख नकदी फसलों के कम से कम समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाते हैं उनके नाम हैं—कपास, पटसन, तिलहन (मूंगफली और सूरजमुखी के बीज)। गन्ने के मामले में, चीनी के कारखानों द्वारा देय कम से कम सांविधिक मूल्य भी निर्धारित किये जाते हैं।

नकदी-फसलों व कृषि जिन्सों की मूल्य नीति के बारे में सलाह देते समय आयोग अपने विचारार्थ विषयों के विस्तृत ढांचे के अन्तर्गत कार्य करता है और अर्थ-व्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं और उत्पादन तथा उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रख कर संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना को विकसित करने का यत्न करता है।

मूल्य नीति और तुलनात्मक मूल्य संरचना की सिफारिश करते समय, आयोग निम्न बातों को ध्यान में रखता है :—

(1) उन्नत तकनीकी अपनाने के लिये तथा उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये उत्पादक को प्रोत्साहन देने की अवश्यकता ;

(2) भूमि और उत्पादन के अन्य संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता ;

(3) मूल्य नीति का शेष अर्थ-व्यवस्था और विशेषकर निर्वाह-लागत, मजदूरी-स्तर, औद्योगिक लागत सरचना, इत्यादि पर संभावित प्रभाव।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर पाठ्य-पुस्तकें

***319. श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री के 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में बनाये गये कानूनों की पुस्तक को दिल्ली में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम के लिए एक पाठ्य-पुस्तक के रूप में निर्धारित किया गया था ;

(ख) क्या दिल्ली में भी 20-सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में कुछ अन्य पुस्तकें कुछ अन्य कक्षाओं के लिए स्वीकार की गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस विषय का अध्ययन चालू रखने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम के लिए या अन्य कक्षाओं के लिए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर कोई पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है।

तथापि, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के स्कूलों में कक्षा IX और X के लिए एक पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर 'प्रगति के पथ पर' नामक एक पुस्तक दिसम्बर, 1976 में इस अनुदेश के साथ निर्धारित की थी कि उक्त पुस्तक में से 5 अंक के प्रश्न निर्धारित किए जाने चाहिए। बाद में, दिल्ली प्रशासन ने ये अनुदेश 24 मार्च, 1977 को वापस ले लिए थे।

केरल में कल्लड बांध के निर्माण-कार्य की प्रगति

*320. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कल्लड बांध के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस बांध की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) इस बांध के निर्माण-कार्य में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केरल में कल्लड सिंचाई परियोजना में कल्लड नदी के ऊपर पराप्पर में एक चिनाई बांध तथा ओट्टाक्कल में बांध स्थल के अनुप्रवाह में 4.6 किलोमीटर दूर वाम एवं दक्षिण पट की नहरों के साथ एक पिक-अप वीयर का निर्माण करना परिकल्पित है। बांध की नीवों संबंधी कार्य पूर्ण हो गया है और बांध का 30 प्रतिशत चिनाई एवं कंक्रीट कार्य भी पूरा हो गया है। ओट्टाक्कल में पिक-अप वियर का काम भी लगभग पूरा हो गया है। विभिन्न पहुंचों में 53 कि० मी० तक दक्षिणी नहर के निर्माण के कार्य को हाथ में ले लिया गया है और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ख) और (ग). इस परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 73.60 करोड़ रुपये है। मई, 1977 के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग 12.62 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके थे।

कालेजों को दिये जाने वाले विकास अनुदानों की समीक्षा

*321. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कालेजों को दिये जाने वाले विकास अनुदान की समीक्षा के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निदेश जारी किये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) चालू वर्ष में उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार के अनुरोध पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों को अनुदान देने से सम्बन्धित मानदण्डों का पुनरीक्षण करने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है। इस मामले पर विचार करने के लिए आयोग की कालेजों के विकास सम्बन्धी स्थायी समिति की बैठक 7 जुलाई, 1977 को बुलाई गई है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने योजना गत बजट में 1977-78 के दौरान कालेजों के विकास के लिए 685 लाख रुपये का अस्थायी आवंटन किया है।

कृषि के वैज्ञानिक तरीकों की किसानों को शिक्षा

322. **श्री अरविन्दबाला पजनौर** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के वैज्ञानिक तरीकों की किसानों को शिक्षा देने की विद्यमान सुविधायें कौन-कौनसी हैं ;

(ख) शिक्षा के ऐसे तरीकों के प्रभाव के बारे में यदि कोई समीक्षा की गई है, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) कृषि स्नातकों तथा कृषि स्नातक से कम योग्यता वालों को ऐसी शिक्षा के साथ कहां तक सम्बद्ध किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक प्रशिक्षण और शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में स्थापित 126 कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों में कृषकों तथा फार्म महिलाओं को अल्प-कालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषकों को आदान-प्रदान के कार्यक्रम के माध्यम से भी प्रशिक्षण सुविधाएं दी जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने वर्ष 1976–77 के दौरान कृषकों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी में दक्षता का प्रशिक्षण देने के लिये 18 कृषि-विज्ञान केन्द्र भी स्थापित किए हैं।

(ख) कृषक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में पांच मूल्यांकन अध्ययनों का आयोजन किया गया। इना अध्ययनों से पता चलता है कि यह प्रशिक्षण किसानों के ज्ञानवर्धन और खेती की वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने में लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार देश में कृषकों के आदान प्रदान के कार्यक्रम के संबंध में दो मूल्यांकन अध्ययन भी किए गए जिनसे पता चला है कि प्रशिक्षित कृषकों को इससे खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है।

कृषि विज्ञान केन्द्र एक नई योजना है और अभी इसकी स्थापना हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में कोई संमीक्षा नहीं की गई है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि स्नातक और पूर्व-स्नातक चर्चा मण्डलों के पयोजकों, कृषक कार्यात्मक साक्षर कक्षाओं के अध्यापकों और कृषि नेताओं और प्रगतिशील कृषकों के रूप में कृषक, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम से निकट तथा सार्थक रूप से सम्बद्ध रहे हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले ज़िलों के कृषि स्नातकों और पूर्व-स्नातकों का प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षक के रूप में इस कार्यक्रम से निकट तथा सक्रिय सम्पर्क रहा है।

पंजाब में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त गेहूं

*323. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में असामयिक वर्षा होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जो उपयोग के लिए अनुपयुक्त है ; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं की कितनी मात्रा क्षतिग्रस्त हुई है और इसके निपटान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). इस संबंध में कोई ठीक-ठीक अन्दाज़ा नहीं लगाया गया है । तथापि, वसूली के रुख से दिखायी देता है कि मानव उपयोग के अयोग्य की गई मात्रा केवल नाम मात्र की होगी ।

Construction of Dam on Banas River

2438. Shri S. K. Sarda : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) Whether Ajmer district, particularly Ajmer city Beawar, Kishangarh, Nasivabad, Kekari towns etc. have been facing drinking water scarcity for many years and several schemes in this regard were formulated on papers but were not implemented; and

(b) if so, the time by which the scheme of the Central Water Power, Commission for constructing a dam on the Banas river is likely to be implemented so that the scheme formulated for the supply of water is executed without delay and drinking water is made available to the people of Ajmer districts ?

The Minister of Steel and Mines (Fhri Biju Batnaik) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

सर्व हितकारी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली

2439. **श्री निहार खाल्कर** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्व हितकारी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली के कार्य के प्रबन्ध के लिये कोई प्रशासक नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो सदस्य सूची को अन्तिम रूप देने और सदस्यों को प्लाट आबंटित करने के मामले में क्या प्रगति हुई ; और

(ग) सदस्यों को विकसित प्लाटों का अन्तिम रूप से आदंटन कब तक कर दिया जायगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) . प्रशासक को कुछ महीनों के भीतर सदस्यों की सूची को अन्तिम रूप दे दिय जाने की आशा है । जब सदस्यों की अन्तिम सूची तैयार हो जाएगी और समिति को आबंटित भूमि का डिमार्केशन तथा सेट बेक प्लान स्वीकृत हो जाएगा तो विकसित प्लाटों को पात्र सदस्यों को आबंटित कर दिया जाएगा ।

केरल को बाढ़ राहत के लिए आवंटित धन

2440. **श्री वयालार रवि :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977–78 के दौरान केरल को बढ़ राहत को तथा समुद्र–कटाव को रोकने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) इस अवधि के दौरान किस प्रकार का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से राहत कार्यों में धन लगाना पड़ता है और उनकी 'मार्जन मनी' की अनुमति दी जाती है। केरल के लिए 30 लाख रुपये की 'मार्जन मनी' मंजूर की गयी है। एन्टी सी इरोजन कार्यों के लिए केरल राज्य को सहायता देने के लिए 1977–78 हेतु केन्द्रीय बजट में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने अपने चालू बजट में इन कार्यों के लिए निम्नलिखित आवंटन किया है :—

1.	बाढ़ राहत कार्य (अकाल सहायता के अन्तर्गत)	—(क) 20 लाख रुपये निशुल्क सहायता के अन्तर्गत (ख) 9 लाख रुपये राहत कार्यों के लिए
2.	बाढ़ से होने वाले नुकसान से सम्बन्धित कार्य	45 लाख रुपये
3.	एन्टी सी-ईरोजन कार्य	286.93 लाख रुपये (200 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है।)
4.	बाढ़ नियन्त्रण संबंधी कार्य	49.80 लाख रुपये

(ख) राज्य सरकार का निम्न कार्यों को शुरू करने का प्रस्ताव है :—

एन्टी सी-ईरोजन कार्य

समुद्री तट के 12 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड डिजाइन की समुद्री दीवार का निर्माण करना।

बाढ़ नियन्त्रण कार्य :

तटबन्धी बाढ़ रोकने वाली दीवारों, बांधों आदि के माध्यम से लगभग 750 हेक्टर भूमि की सुरक्षा करना।

बाढ़ राहत सम्बन्धी कार्य

सड़कों की मरम्मत और लघु सिंचाई कार्य आदि।

पोर्ट ब्लेयर में तमिल माध्यम से शिक्षा देने वाले उच्चतर/हाई स्कूल

2441. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में तमिल माध्यम से शिक्षा देने वाले उच्चतर/हाई स्कूल के लिये मांग की गई थी ; यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या हाड्डी सीनियर बेसिक स्कूल में सीनियर बेसिक तक शिक्षा तमिल माध्यम से दी जाती है और काफी संख्या में तमिल भाषी विद्यार्थियों को उच्चतर/हाई स्कूल स्तर तक तमिल भाषा के माध्यम से शिक्षा न देने के कारण कठिनाई हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तमिल भाषा भाषी बच्चों के लिए तमिल भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था न करने के क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) जी, हां । हाड्डी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, पोर्ट ब्लेयर में एक तमिल माध्यम अनुभाग खोलने के लिए स्वीकृति पहले से ही दी जा चुकी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांग संस्थान में कुप्रबन्ध

2442. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विकलांग संस्थान में 1974 से कुप्रबन्ध के आरोपों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो संस्थान के प्रबन्ध को सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) कुछ वर्षों से वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों के कारण भूतपुर्व जवाहर लाल नेहरू संस्थान समूह के कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा कामगरों ने जुलाई, 1973 में हड़ताल की थी । श्रम मंत्रालय और इस विभाग के हस्तक्षेप से हड़ताल समाप्त की गई । प्रबन्धकों और हड़तालियों के बीच सितम्बर, 1973 में समझौता हुआ । प्रबन्धक ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया बल्कि इसे निष्क्रिय समझा । अप्रैल, से अगस्त 1974 की अवधि के दौरान संस्था के बारे में अनेक लेख निकाले गये । "ध्यान आर्कषण प्रस्ताव" के आधार पर इस संस्था समूह के कुप्रबन्ध के आरोपों के बारे में 4 सितम्बर, 1974 को राज्य सभा में बहस हुई ।

(ख) संस्था के कुप्रबन्ध के आरोपों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 मई, 1975 को भूतपूर्व जवाहर लाल नेहरू संस्था समूह का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया । संस्था के कार्य निष्पादन में सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार ने "विकलांग संस्थान" के नाम से एक स्वायत्त सोसाइटी के प्रबन्धक को इसे सौंप दिया जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक के अधीन पंजीकृत है ।

मन्त्रि-परिषद के सदस्यों के निवासों पर व्यय

2443. **डा० सुरली मनोहर जोशी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 से मार्च, 1977 तक भूतपूर्व मंत्रि-परिषद् के प्रत्येक सदस्य ने अपने निवास तथा कार्यालय के (क) नवीकरण, (ख) सजावट, (ग) अतिरिक्त उपकरणों की खरीद पर वर्षवार अलग अलग कितनी रायशा खर्च की ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Pulses in Stock with Government

2444. **Shri Raghavji** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state the quantity of pulses in stock with Government as on 15th June, 1977 ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjet Singh Barnala) : The Food Corporation of India held a stock of 30.2 thousand tonnes of Pulses including gram, as on 15th June, 1977. These purchases have been made for supply to the Army Purchase Organisation.

जंगलों के काटने से भूमि कटाव, बाढ़ और सूखा

2445. **श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जंगलों के काटे जाने की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में भूमि कटाव, बाढ़ और सूखे में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा जिस से प्राकृति वास समाप्त होने व जैसी अन्य बातें उत्पन्न हुई है जिसमें वन्य जीव जीवित रह सकते है ; और

(ख) यदि हां. तो इस बार म सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पता चला है कि पिछले कुछ समय में वानिकी और वन्य प्राणियों की आवश्यकता के अलावा नदी घाटी परियोजनाओं, शरणार्थियों के पुनर्वास, औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कृषि आदि के लिए वन क्षेत्र की कटाई की गई है इस से देश के विभिन्न भागों में भूक्षरण बढ़ा है और जल अपवाह से बाढ़ों में तेजी आई है । इसके परिणामस्वरूप वन्य प्राणियों की आवादी में भी कमी आई है ।

(ख) कृषि और सिंचाई मंत्रालय का वानिकी प्रभाग शुरू से ही अन्य उद्देश्यों के लिए वन्य भूमि निर्युकुत करने का विरोध करता रहा है । इस प्रकार से वनों की कटाई को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य संघ क्षेत्र सरकारों को निदेश दिया है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्वसमिति के बिना वन भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । इसमें केवल उन्हीं क्षेत्रों को छूट दी गई है जिनमें परम्परागत रूप से खेती की जाती है । परन्तु आशा है कि संबंधित राज्य सरकारें इस विनाशक पद्धति को कड़ाई से हल कर लेगी । नदी घाटी परियोजना क्षेत्रों के ऊपरी प्रवण क्षेत्रों में (जिनमें हिमालय प्रदेश के प्रवण क्षेत्र भी शामिल है) बड़े पैमाने पर वनरोपण की योजना बनाई गई हैं ताकि भू-क्षरण और नदी तल में गाद भरने की समस्या पर नियंत्रण करके बाढ़ों के प्रकोप को कम किया जा सके । अकृष्य भूमि और अवक्रमित वनों में दो केन्द्रीय प्रायोजित

योजनाओं के अन्तर्गत फिर से वृक्ष लगाए जा रहे है और सरकार ने ऐसी योजनाओं के लिए अपने अन्तरिम बजट में 370 लाख रुपए निर्धारित किए थे जिसे 1977–78 के अंतिम बजट में बढ़ाकर 770 लाख रुपए कर दिया गया है। पुनर्वनरोपण की ऐसी योजनाओं की विचारण, प्रक्षेपण और कार्यान्वय किया जा रहा है जिन से ग्रामीण रोजगार उपलब्ध हों और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के संतुलित विकास के लिए भूमि से बहुविध उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके साथ ही वे भू-क्षरण को रोकने तथा जल अपवाह को संतुलित करने के लिए अपेक्षित वृक्ष और घास और कुछ उपयुक्त वन्य प्राणि उपलब्ध करेंगे।

गंगा-कावेरी को जोड़ने के लिए दस्तूर योजना

2446. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगा-कावेरी को जोड़ने के बारे में कुछ वर्ष पूर्व दस्तूर योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में क्रियान्विति के लिये दस्तूर योजना सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) श्री दस्तूर की योजना में औसत समुद्र तल से 3000 फुट की सतत ऊंचाई पर सतलुज से चिरापूंजी तक 2300 मील लंबी, 1000 फुट चौड़ी और 30 फुट गहरी हिमालय नहर तथा औसत समद्र तल से 1500 फट की सतत ऊंचाई पर 5,500 मील लंबी दक्षिणी और केन्द्री गारलैंड नहर के, जो प्रायद्वीप भारत के चारों और घूमते हुए जाए, निर्माण की परिकल्पना की गई है।

हिमालय की नदियों से संचित जल को गारलैंड नहर में व्यपरिवर्तित करने के लिए इन दोनों नहरों को 12 फुट व्यास वाले 10 पाइपों द्वारा आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है। इस योजना में हिमालय नहर के तट के साथ-साथ 0.5–0·5 मिलियन एकड़ फुट की जल-संचय क्षमता वाले 300 जलाशय गारलैंड नहर के तट के साथ-साथ इसी क्षमता के 600 जलाशय 40 वर्ग मील क्षेत्र में 300 फुट ऊंचे बांध के निर्माण से राजस्थान में नागौर के निकट 300 मिलियन एकड़ फूट जल के संचय और सोन पर 100 मिलियन एकड़ फुट के जल संचय की भी व्यवस्था है। इस स्कीम पर 14,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है ;

सरकार को दस्तूर योजना और अन्य ऐसी स्कीमें प्राप्त हो गई है जिनमें देश के अन्दर विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इस बात को देखते हुए कि देश में वर्षापात का वितरण अपर्याप्त है और एक जैसा नहीं है, देश में सिंचाई की

एक एकीकृत प्रणाली का होना जरूरी समझा जाता है। लेकिन इस प्रकार की दीर्घकालीन स्कीमों को हाथ में लेने से पहले यह जरूरी है कि विभिन्न बेसिनों, उप-बेसिनों और क्षेत्रों में फालतू जल और जल की कमी की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया जाए और सूखा प्रवण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल के अन्तर्बेसिन और अन्तर्क्षेत्रीय ट्रांसफर की संभावनाओं का पता लगाया जाए। केन्द्रीय जल आयोग में इस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है।

नर्सरी स्कूल के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन

2447. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मुद्रणालय के कर्मचारियों के आवास के स्थानों पर कर्मचारियों के लाभ के लिये स्कूल स्थापित करने हेतु सामान्यतया क्या क्या सुविधाएं दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को पैरियन कैनपालायम, कोयम्बतूर स्थित भारत सरकार मद्रणालय के कर्मचारियों से उनके रिहायशी क्वार्टरों के निकट नर्सरी स्कूल के निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि का आवंटन करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई, भूमि कब तक आवंटित कर दी जायेगी ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जहां कहीं आवश्यक समझा गया, प्रेस कालोनियों में स्कूल भवनों की व्यवस्था की गई है।

(ख) तथा (ग) जी, हां। गवर्नमेंट कालोनी रेजिडेन्शियल एसोसिएशन के संयोजक से स्कूल भवन के स्थल के आवंटन के लिये अनुरोध प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है और निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की भावना है।

केरल में कारखाना कर्मचारियों के लिये आवास योजना

2448. **श्री के० कुबुन्हम्तु** :
श्री वयालार रवि :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कारखाना कर्मचारियों के आवास के बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटा नागपुर की जनजाति क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में चल रही केन्द्रीय सिंचाई परियोजना

2449. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर जनजाति क्षेत्र धनवाद-गिरिडीह क्षेत्र में कोई केन्द्रीय सिंचाई परियोजना चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने एकड़ भूमि को लाभ हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पर्वतीय भूमि में सिंचाई के लिये भविष्य में कोई परियोजना विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं । सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के आयोजन, अन्वेषण, तैयार करने, निर्माण, प्रचालन तथा उनकी वित्त व्यवस्था करने का काम राज्य सरकार द्वारा स्वयं दिया जाता है ।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हजारी बाग और धनवाद जिलों के क्षेत्रों के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए बिहार सरकार ने एक बृहत तथा दो मध्यम सिंचाई स्कीमें प्रस्तावित की है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लागू (हजार हैक्टेयर में)
बृहत् सिंचाई स्कीम		
कोनार व्यपवर्तन स्कीम	1143.00	70.00
मध्यम सिंचाई स्कीम		
1. गोबई बराज स्कीम	188.41	4.95
2. खुदिया स्कीम	188.28	4.53

केन्द्रीच जल आयोग में इन स्कीमों की रिपोर्टों की तकनीकी जांच की जा रही है।

मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड द्वारा रोड-रोलरों की बिक्री

2450. **श्री मधु लिमये** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड ने विभिन्न राज्य सरकारों के सार्वजनिक निर्माण विभागों को बहुत ऊंचे मूल्यों पर रोड-रोलरों की बिक्री की थी ;

(ख) क्या बेचे गये कुछ रोड-रोलर वही रोड-रोलर थे जो वाही रोड-रोलर कांड में अन्तर्ग्रस्त थे, जिसकी जांच चौथी लोक सभा की एक संसदीय समिति ने की थी ;

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों पर नाजायज दबाव डाला गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या मारुति तथा संजय गांधी से संबधित मामलों से जांच करने वाला जांच आयोग इस मामले की भी जांच करेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां। अभ्यावेदन प्रधान मंत्री को मिला है। राज्य सरकारों द्वारा की गई उक्त खरीद पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से नहीं की गई थी, और न ही पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड से कोई रोड-रोलर खरीदे है।

(ख), (ग) और (घ) : ये मामले, मारुति से संबंधित संगठनों के कार्यों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच आयोग के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत शामिल हैं।

Water in Milk Supplied to Hospitals

2451. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the daily 'Hindustan' dated 19th April, 1977 under the caption "Aspatalon Ke Doodh Mein Adha Pani" (Half the quantity of water in the milk supplied to hospitals); and

(b) if so, the nature of action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) Yes, Sir. On 18th April, 1977, four employees of Delhi Milk Scheme on duty in a milk van were apprehended while adding water to milk cans meant for supply to hospitals. The field officer who detected this ordered the entire quantity of milk in the van to be sent to Central Dairy of the D.M.S. for analysis. The milk van driver concerned with the incident has been suspended and disciplinary proceedings inititated against him. The three daily paid workers have been removed from service.

Possession of Land Distribution

2452. Shri Hargovind Verma : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether possession of the land, allotted in the cases of land distribution, has since been given; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister fot Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) According to information available with the Government of India, nearly 20 lakh acres of ceiling surplus lands have been taken possession of by the States and the Union Territories and, of these, nearly 12,05,000 acres have already been distributed. In addition to ceiling-surplus lands, surplus wastelands are also allotted by the State Governments/Union Territory Administrations. Delivery of possession is given by the State Government/Union Territory Administation concerned. Delay in giving delivery of possession of may be due to the following principal reasons :

(i) legal proceedings; and

(ii) delay in the demarcation of the allotted land.

शराब की खपत के बारे में सर्वेक्षण

2453. **श्री के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुया सरकार ने विभिन्न राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि शराब की खपत में कमी हुई है अथवा वृद्धि और क्या अधिक दुकानें भी खोली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में भूमि के आवंटतों को केन्द्रीय सहायता

2454. **डा० बापू कालदत्ते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1975 में अतिरिक्त भूमि के आवंटितों को वित्तीय सहायता देने के लिये कोई योजना मंजूर की थी :

(ख) महाराष्ट्र सरकार की इस बारे में वस्तुत: क्या मांग थी और महाराष्ट्र को वास्तव में कितनी धनराशि दी गई :

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि योजना को 1977–78 में भी जारी रखा जाये ; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त, 1976 तक की अवधि के लिए 4,25,00,000 रुपये की धनराशि की मांग की थी । भारत सरकार ने 13,00,000 रुपये की धनराशि मंजूर की थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस प्रयोजन के लिए बजट की व्यवस्था उपलब्ध होने पर ही इस राज्य की मांग पर अन्य राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की मांगों के साथ विचार किया जाएगा ।

Talks with Newzealand for Dairy Development

2455. **Shri Krishna Kumar Goyal :**
Shri Ugrasen :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether talks are being held with the Newzealand regarding development of dairy industry ; and

(b) if so, the progress of these talks ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में सहकारी बैंक

2456. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कुल कितने सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) 1 जून, 1977 को ऐसे प्रत्येक बैंक के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी ;

(ग) दोषी सदस्यों के विरुद्ध बैंक-वार न्यायालयों में कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(घ) सरकार दिल्ली में सहकारी बैंकों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखने तथा उसमें सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) व (ख). संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 1 राज्य सहकारी बैंक तथा 16 प्राथमिक सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं। 1 जून, 1977 को इन बैंकों के नाम तथा प्रत्येक बैंक के सदस्यों की कुल संख्या अनुबंध 'क' में दी गई है।

(ग) बैंकवार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किए गए मध्यस्थता के मामलों की कुल संख्या अनुबंध 'ख' में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 601/77]

(घ) (1) सहकारी बैंक बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट, 1949 द्वारा भी नियंत्रित किए जाते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण-टिप्पण में बताई गई त्रुटियों को उपचारी उपाय करने के लिए संबंधित बैंक के ध्यान में लाया जाता है।

(2) ऋण की जल्दी वसूली सुनिश्चित करने के लिए 1 अधिकारी केवल मध्यस्थता और वसूली संबंधी मामलों पर कार्यवाही करता है जो इन मामलों में से पंच निर्णय से संबंधित मामलों के लिए मध्यस्थों के साथ तथा देयों की वसूली से संबंधित मामलों के लिए वसूली अधिकारी के साथ अनुशीलन हेतु भरसक प्रयत्न करता है।

(3) बैंकों की ऋण-नीतियों को सरल भी बनाया गया है तथा बैंकों को ऋण मंजूर करने के मामले में बैंक के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए कहा गया है।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशक बोर्ड के लिए ऋण मंजूर करने पर प्रतिबंध भी लगाए हैं।

(5) बैंकों की वार्षिक लेखा-परीक्षा का प्रबंध अधिकृत हिसाब परीक्षकों द्वारा भी कराया जाता है तथा लेखा परीक्षा की टीका-टिप्पणियां बैंकों को शीघ्र कार्यवाही हेतु भेज दी जाती हैं।

(6) जहां यह पाया जाता है कि बैंकों के निर्देशक बोर्ड ने लगातार अपना कर्त्तव्य निभाने में त्रुटि की है वहां बैंक के प्रबंध-मंडल को कानून के अनुसरण में निष्प्रभावित किया जा सकता है जैसा कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि० के मामले में किया गया है।

(7) सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रगति की भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों तथा राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक पुनरीक्षा की जाती है।

(8) संघ शासित क्षेत्र में वर्तमान 249 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों का 54 सक्षम इकाइयों में पुनर्गठन किया जा रहा है।

कार्य के लिये खाद्य

2457. **श्री पी० रामगोपाला नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कितना गेहूं "कार्य के लिये खाद्य" के रूप में उपयोग में लाया जाना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : केन्द्रीय सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बनाए रखने पर राज्य सरकारों संघ शासित प्रदेशों के वर्तमान खर्चों के धन के मूल्य में 30 प्रतिशत के बराबर उन्हें गेहूं और माइलो के विशेष आवंटन मुफ्त दिये जाएंगे और इनका गर्मी के कमी वाले महीनों में ऐसे निर्माण कार्यों पर लगे मजदूरों को उनकी मजदूरी के एक भाग को अथवा सारी मजदूरी गेहूं और माइलों के रूप में देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों ने अब तक चालू वर्ष के लिए लगभग कुल 38,000 मीटरी टन गेहूं की मांग की है।

संसद् सदस्यों को बंगलों का आवंटन

2458. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों को बंगले आवंटित किए जाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) छटी लोक सभा के सदस्यों को आवंटित किए गए बंगलों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कितने सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने भाग (ग) में उल्लिखित सभा में अपने दो कार्यकाल या इससे अधिक पूरे कर लिए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सामान्य पूल से बंगलों के आवंटन के लिए लोक सभा के 10 सदस्यों के अनुरोध निलम्बित पड़े हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न सूची में दिए गए हैं ?

(ग) सामान्य पूल वास के बारे में, सूचना संलग्न (अनुलग्नक-II) में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 602/77] लोक सभा पूल में बंगलों के बारे में सूचना, लोक सभा सचिवालच से उपलब्ध होगी।

(घ) यह लोक सभा सचिवालय से सम्बन्धित है।

विवरण

1. श्री एल० के० डोले
2. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया
3. श्री दौलत राम
4. श्री आर० वेन्कटरामन
5. श्री के० सूर्यनारायण
6. श्री राम प्रकाश त्रिपाठी
7. श्री माही लाल
8. श्री शिव सम्पत्ति राम
9. श्री शतीश अग्रवाल
10. श्री के० सी० हेगड़े

विवाह के लिये बगलों का आवंटन

2459. **डा० सरदीश राय : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) विंडसर प्लेस, नई दिल्ली स्थित खाली पड़े बंगले विवाह आदि के लिए जिन विभिन्न व्यक्तियों को दिए गए थे, उनसे किराए के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(ख) विवाहादि समारोहों के लिए ऐसे सरकारी बंगलों को देने का नियम क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) 1976–77 की अवधि के दौरान विवाह के प्रयोजनों के लिए आबंटित विंडसर प्लेस, नई दिल्ली के बंगलों से 7,570.03 रुपए मार्किट किराए के रूप में एकत्र किए गए थे।

(ख) ऐसे बंगले, जिन्हें गिराया जाना उद्दिष्ट हैं, संसद् सदस्यों और सरकारी वास के लिए पात्र अधिकारियों को विवाह, और ऐसे अन्य उत्सवों के लिए मार्किट किराए की अदायगी पर लगभग एक सप्ताह के लिए अस्थायी तौर पर आवंटित किए जात हैं।

दण्डकारण्य कर्मचारी संस्था का संकल्प

2460. **श्री समर मुखर्जी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दण्डकारण्य कर्मचारी संस्था (अराजपत्रित) की 17 अप्रैल, 1977 को कौंडागांव तथा 16 अप्रैल, 1977 को पाखलौर में हुई आम सभाओं में पारित संकल्पों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) 17 अप्रैल, 1977 को दण्डकारण्य कर्मचारी संस्था की कोंडागांव में हुई आम सभा में पारित संकल्प की प्राप्ति हुई थी और इस बारे में परियोजना प्राधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगी गई है। 16 अप्रैल, 1977 को पाखनजोर में हुई सभा का संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है।

विकलांग संस्था को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने की सुविधायें

2461. **श्री रेणुपद दास :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग संस्थान, नई दिल्ली विवरणिका में कहा गया है कि यह संस्थान मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होने के लिए संस्थान को सुविधाएं न दिए जाने का क्या कारण हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) संस्थान की विवरणीका में इस बात का तो उल्लेख है कि यह मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा इर्विन अस्पताल से सम्बद्ध है परन्तु "दिल्ली यूनिवर्सिटी" शब्द वहां पर नहीं है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज तथा शहर के अन्य सामान्य एवं विशिष्ट प्रकार के अस्पतालों के प्रोफेसर एवं अन्य स्टाफ सदस्य दोनों पाठ्यक्रमों से सम्बन्धितत मेडिकल विषयों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने अपने विशिष्ट विषयों में लेक्चर देते हैं। छात्रों को इर्विन एवं जी०बी० पन्त में क्लीनिकल प्रशिक्षण सुविधाएं मिली हुई हैं। तथ्य केवल कालेज से सम्बद्ध होने का नहीं है बल्कि अस्पताल से है जिससे प्रतीत होता है कि यह केवल व्यवहार्य अनुरक्ति है। दरअसल, संस्थान स्वयं डिप्लोमा देता है और इस प्रयोजन के लिये मौलाना आजाद मैडिकल कालेज प्राधिकारी नहीं है।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संस्थान सम्बद्ध नहीं है, ऐसे सम्बन्धन को सुविधाएं प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश चित्तूर के चेमवेदू पेद्दा चेरुवू के अन्तर्गत आयकुटदारों से ज्ञापन

2462. **श्री विजय मोदक :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के चमवेदू पेद्दा चेरुवू के अन्तर्गत आयकुटदारों से सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की श्रीकालाहसकी ताल्लुके में स्थित स्वर्ण मुखी पद्धति के अधीन आने वाले 'चेमबेदू पेद्दा चेरूवू' के अन्तर्गत आयुकुटदारों ने लोक सभा याचिका समिति को सम्बोधित किये गए ज्ञापन की प्रति इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की थी ।

(ख) ज्ञापन के विषय का सम्बन्ध सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक तालाब का विस्तार करना था । यह विषय राज्य सरकार के विषय क्षेत्र में आता है । अतः ज्ञापन की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिये आंध्र प्रदेश सरकार को प्रेषित की गई थी । राज्य सरकार ने अपने उत्तर में यह जानकारी दी है कि यह मामला आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य के मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई) के सुपुर्द कर दिया गया है ।

Acreage of Fallow Land

2463. Shri Ishwar Choudhary : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any survey about the acreage of fallow land, which can be converted into cultivable land ; state-wise ;

(b) if so, the main points thereof ; and

(c) the steps being taken by Government to reclaim such land for cultivation ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b). According to the Land Utilisation Statistics compiled on the basis of the figures furnished by the State Governments, the total area under fallow land (*i. e.* land out of cultivation for a period of not less than one year and not more than five years) in 1973-74 was 8.8 million hectares which is 2.9% of the total reporting area in the country. State-wise figures are given in the Annexure.

(c) Improved agronomic practicses, better irrigation facilities, provision of inputs including credit, various programmes for assisting the small and marginal farmers, Land Utilisation legislation, improved farming economics and distribution of surplus land etc. are the steps being taken by Government. These have helped in bringing more and more fallow land under cultivation. As at result, the area of the fallow land which was 17.4 million hectares in 1950-51 (6.1 of the total reporting area in the country) came down to 8.8 million hectares in 1973-74 (2.9% of the total reporting area).

Statement

State	Acreage of fallow land (land lying fallow for 2 to 5 years) in 1973-74
	(In '000 hectares)
1. Andhra Pradesh	996
2. Assam	153
3. Bihar	912
4. Gujarat	399
5. Haryana	(a)

State	Acreage of fallow land (land living fallow for 2 to 5 years) in 1973-74
	(In '000 hectare)
6. Himachal Pradesh	4
7. Jammu & Kashmir	20
8. Karnataka	635
9. Kerala	22
10. Madhya Pradesh	898
11. Maharashtra	723
12. Manipur	—
13. Meghalaya	252
14. Nagaland	—
15. Orissa	185
16. Punjab	(a)
17. Rajasthan	1884
18. Tamil Nadu	587
19. Tripura	2
20. Uttar Pradesh	643
21. West Bengal	330
Union Territories	183
Total	8,828

(a) Below 500 hectares.

शुष्क खेती

2464. **श्री एस० डी० सोममुन्दरम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शुष्क खेती का कितना विकास हुआ है;

(ख) इस सम्बन्ध में लक्ष्य, उपलब्धियां एवं भावी प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) यह पद्धति किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लगभग 680 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को, जो देश में बोए गए कुल निवल क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत है, बारानी क्षेत्र माना जा सकता है क्योंकि इसमें 375 मि० मी० से 125 मि० मी० तक वार्षिक वर्षा होती है। 128 ज़िलों में से 25 ज़िलों में हर साल 375 से 750 मि० मी० वर्षा होती है और सिंचित क्षेत्र केवल 5 प्रतिशत है जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान, सौराष्ट्र महाराष्ट्र, तथा कर्नाटक के पश्चिमी घाटों के वर्षा से सिंचित

प्रदेश शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सबसे अधिक अस्थिरता पाई जाती है और कठिन समस्याएं पैदा हो जाती हैं। 91 जिलों के लगभग 420 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हर साल 750 मि० मी० से 1125 मि० मी० तक वर्षा होती है। इस प्रकार ये विशिष्ट बारानी खेती का क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश राज्यों और हरियाणा तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं ।

बारानी भूमि की समस्याओं को हल करने के लिए अनुकूलतम प्रौद्योगिकी का पता लगाने के उद्देश्य से बारानी खेती से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना हैदराबाद (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्) के अधीन 23 शुष्क भूमि अनुसन्धान केन्द्र / उपकेन्द्र चल रहे हैं कृषि मंत्रालय ने 1970–71 में 'समेकित शुष्क भूमि कृषि विकास' की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की थी इस योजना के अन्तर्गत 24 मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो संभावत: प्रचालनात्मक हैं और शुष्क भूमि अनुसन्धान केन्द्रों (सूची अनुबन्ध 1 के रूप में संलग्न हैं) से सम्बद्ध है ।

(ख) वर्ष 1976–77 तक समेकित शुष्क भूमि कृषि विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लगभग 119413 हैक्टेयर क्षेत्र था, जबकि लक्ष्य 122400 हैक्टेयर का रखा गया था। 1977–78 और 1978–79 के प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य 19200 हैक्टेयर रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1.70 करोड रुपए की व्यवस्था की जा चुकी है।

(ग) बारानी खेती की प्रणाली के मुख्य घटक ये हैं—फसलों की सूखा-रोधी, अल्पकालीन और अधिक उपज देने वाली किस्मों की उन्नत पद्धति से खेती करना, उर्वरकों का प्रयोग तथा वनस्पति रक्षा के उपाय करना, भूमि और जल सम्भरण, भूमि सुधार, जल उपयोग, लघु सिंचाई, फार्म औजार तथा प्रदर्शन विशेषकर छोटे तथा सीमान्त कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए इसमें पशुपालन कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है ।

मार्गदर्शी परियोजना के क्षेत्रों में बारानी खेती की जिन तकनीकों की जांच की जा रही है उन्हें राज्य सरकारों के विस्तार कर्मचारियों के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है ।

विवरण

मार्गदर्शी परियोजना जिलों और भारतीय कृषि अनसन्धान परिषद् के अनुसंधान केन्द्रों की सूची

राज्य	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुख्य और उप केन्द्र	1970–71 के दौरान जिन मार्गदर्शी परियोजना जिलों में कार्य शुरू किया गया	1971–72 के दौरान जिन मार्गदर्शी परियोजना जिलों में कार्य शुरू किया गया
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	1. इब्राहिमपटनम (हैदराबाद)	1. हैदराबाद	1. अनन्तपुर
	2. अनन्तपुर		
2. बिहार	3. रांची		2. पालामाऊ

1	2	3	4
3. गुजरात	4. आनन्द	2. राजकोट	3. अमरेली
	5. राजकोट		
4. हरियाणा	6. हिसार	3. हिसार	4. महेन्द्रगढ़
5. जम्मू और कश्मीर	7. जम्मू		5. जम्मू
6. मध्य प्रदेश	8. इन्दौर	4. इन्दौर	6. रीवा
	9. रीवा		
7. महाराष्ट्र	10. अकोला	5. शोलापुर	7. अकोला
	11. शोलापुर		
8. कर्नाटक	12. हिब्बल	6. बैलारी	8. बंगलौर
	13. बैलारी		9. बीजापुर
	14. बीजापुर		
9. पंजाब	15. लुधियाना		
10. राजस्थान	16. जोधपुर	7. जोधपुर	10. उदयपुर
	17. उदयपुर		11. चित्तौड़गढ़
11. तमिलनाडु	18. काविलपट्टी	8. तिरुनिलवेली	12. पुटूकोटाई
12. उत्तर प्रदेश	19. झांसी	9. ललितपुर	13. आगरा
	20. वाराणसी		14. मिर्जापुर
	21. आगरा		
	22. देहरादून		
13. उड़ीसा	23. भुवनेश्वर		15. मयूरभंज

Unauthorised Colonies in Delhi

2465. Shri Yagya Datta Sharma : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of unauthorised colonies in Delhi upto March, 1977 ;

(b) whether Government propose to regularise them ; and

(c) if so, the outlines of the plan in this regard ?

The Minister of Steel (Shri Biju Patnaik) : (a) No detailed information regarding the number of unauthorised colonies in Delhi upto March, 1977 is available. On the basis of surveys conducted upto 1974 by Delhi Development Authority and Municipal Corporation Delhi, the number of unauthorised colonies is reported to be 297.

(b) & (c) Government orders have already been issued to regularise all unauthorised colonies in accordance with the terms and conditions stipulated, subject to change of land use on merits being effected.

बारपेटा आसाम स्थित केन्द्रीय कृषि फार्म की प्रगति

2466. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बारपेटा (आसाम) में स्थित केन्द्रीय कृषि फार्म की प्रगति का मूल्यांकन करने के कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें कृषि वर्ष 1975–76 के सम्बन्ध में कामरूप जिले के उप-प्रभाग बारपेटा में कोक्किलाबाड़ी फार्म के कार्य निष्पादन के परिणाम तथा 1976–77 के सम्बन्ध में कृषि की सम्भावनायें दी गई हैं।

विवरण

केन्द्रीय राज्य फार्म, कोक्किलाबाड़ी (असम) का कार्य निष्पादन :

	1975–76	1976–77
1. कृषि क्षेत्र (हैक्टार)	640.20	699.69
2. फसल क्षेत्र (हैक्टार)	668.14	936.85
3. राष्य सघनता	104 प्रतिशत	134 प्रतिशत
4. उत्पादन (क्विंटलों में)	6047	खरीफ : 9963 रबी : *
5. बीज उत्पादन (क्विंटलों में)	3653	खरीफ : * रबी : *
6. प्रमुख फसलों की औसत उपज (क्विंटल हैक्टार)		
खरीफ :		
धान	10.75	28.34
रबी		
गेहूं	14.33	*
7. वित्तीय परिणाम (लाख रुपयों) :		
(1) आय	10.67	18.45
(2) व्यय	21.17	23.43
(3) कुल लाभ/हानि (+) (—)	(—) 10.50	(—) 4.98

*अभी उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के प्रशासकीय ढांचे में परिवर्तन

2467. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने वाला एक विधेयक गत वर्ष पारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मामले पर विचार किया जा रहा है। तथापि पुस्तकालय के एक नए निदेशक की नियुक्ति की गई है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वर्गीय कमलकान्त चड्ढा के निकटतम सम्बन्धियों को नौकरी देना

2468. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय कमलकान्त चड्ढा के निकटतम सम्बन्धियों को नौकरी देने का है जो विकास मीनार के 17वीं मंजिल से गिर कर मर गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) तथा (ख) स्वर्गीय श्री कमलकान्त चड्ढा, की बहन को 22 जून, 1977 से दिल्ली विकास प्राधिकरण में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप नियुक्त किया गया है ।

Small Farmers' Development Agency in Bhandara, Maharashtra

2469. Shri Laxman Rao Mankar : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Small Farmers Development Agency in Bhandara district in Maharashtra was scrapped because no progress was made thereunder ;

(b) the reasons for not implementing the scheme properly and whether any responsibility was fixed in this matter ; and

(c) whether the new Government propose to undertake again this scheme in that district ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) No. Sir, The Small Farmers' Development Agency (S.F.D.A.) Bhandara was set up in the Fourth Plan. The Five year project period of this Agency ended on 31st March, 1976. The Agency was, however, given extension for a period of one year, i.e., upto the 31st March, 1977, on a request from the State Government to enable it to complete some of the coummunity lift irrigation schemes that were already under implementation.

In the fifth Plan, Maharashtra State was sanctioned 12 S.F.D.A. projects and the State Government was given the option to continue the programme in the districts already covered under SFDA in the Fourth Plan and to select new districts out of those suggested by the Government of India for locating the SFDA Projects. The State Government, while making selection of districts, dropped Bhandrara district and suggested shift ing of the programme to a new district. Accordingly, programme implementation has been initiated in Chandrapur district with effect from the 1st April, 1977 after closure of the SFDA—Bhandara Project.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

विषय: – विस्तार कार्यों के लिए शिक्षित किसान

2470: श्री वसन्त साठे:

क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्तार कार्यों के लिये शिक्षित किसानों का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है: और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिये कितना परिव्यय प्रस्तावित/स्वीकृत हुआ है और विभिन्न राज्यों में चुने गए प्रायोगिक क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)

(क) विस्तार कार्य के लिए विशेषकर शिक्षित किसानों की सेवाओं से लाभ उठाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, किसानों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा प्रगतिशील किसानों की सेवाएं कृषकों के चर्चा मंडलों के रुप में उपयोग में लाई जा रही हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

SECURITY OF HISTORICAL PLACES

†**2471. Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether incidents of idol thefts always take place at important and historical places, such as Khajuraho and Bharut in former Vindiya Pradesh in Madhya Pradesh ;

(b) whether Government propose to make arrangements for the security of all these places so that idol thefts may be checked there ; and

(c) whether Archaeological Department has conducted a survey of those aras which have idol treasures and always have a danger of their being stolen ?

The Minister of Education , Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) (a) Though there have been cases of thefts of idols from important sites like Khajuraho, the majority of such thefts are from unprotected or inadequately guarded temples located in different parts of India.

(b) The Archaeological Survey of India as already taken adequate steps for the security of archaeological sites and donuments under their care by strengthening the watch-and-ward staff and posting armed police guard at important sites and museums like Sanchi, Khajuraho, Sarnath, etc. Further more, loose sculptures from various sites are being collected and kept at places of safety.

(c)Archaeological Survey of India,in collaboration with the State Departments of Archaeology and the Universities, is undertaking a programme for conducting surface explorations of potential areas.

Number of Different Types of Government Quarters in Delhi-New Delhi

2472. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state;

(*a*) the number of Government quarters of different types in Delhi/New Delhi at present for Central Government employees;

(**b**) the number of different types of Government quarters constructed during the past three years; years-wise; and

(*c*) the number of new Government quarters which will be constructed and be ready for allotment during the current years?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik): (*a*) (**b**) and (*c*) : Residential acommodation constructed and mintained by the Ministry of works and Housing is known as general pool accommodation. A statement givening the number of quarters available at present in general pool in Delhi, the number of quarters constructed during the last three financial years and the number of quarters which would be completed and would be available for allotment during the year 1977-78, is attached.

STATEMENT

Statement showing number of quarters available in General Pool in Dehli, number of quarters constructed during the last three years and number of quarters which will be completed and ready for allotment during the current year.

	TYPE OF QUARTERS								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Total
1. No of quarters available at present .	12,954	15,358	5,498	5,261	1,786	504	126	48	41,545
2. No. of quarters constructed during :									
(a) 1974-75		148	264	70	..	..	..	..	482
(b) 1975-76 .	112	288	336	346	..	..	..	..	1,082
(c) 1976-77		164	..	64	..	..	..	..	228
3. No. of quarters which will be constructed and ready for allotment during 1977-78	505	402	766	84		..		..	1,757

Price of Fertilizers

2473. Shri Hukamdeo Narain Yadav : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of chemical fertilizer produced in the country and the quantity thereof imported ;

(b) the production cost as also the sale price of indigenous fertilizers ;

(c) the price at which they are imported and the price at which sold ; and

(d) the basis for determining the fertilizers price ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) During the period from April, '76 to March, 1977, 19 lakh tonnes of N and 4·80 lakh tonnes of P^2O^5 were produced in the country. During the same period, 7·50 lakh tonnes of N, 0·23 lakh tonnes of P^2O^5 and 2·78 lakh tonnes of K^2O were imported.

(b) The cost of production of fertilizers varies from grade to grade and from plant to plant depending upon such factors as feedstock used, process adopted, age of the plant, locatioin, cost of utility etc.

The retail prices of the three main nitrogenous fertilizers *viz.* urea, calcium ammonium nitrate and ammonium sulphate are statutorily controlled. Presently their retail prices are :

	Rs. per tonne
Urea	1650
Calcium Ammonium Nitrate	
25 per cent N—indigenous	1015
26 per cent N—imported	1060
Ammonium Sulphate	
100 kg. packing	925
50 kg. packing	935

The prices of phosphatic fertilizers are not under statutory control. However, in terms of the price support scheme in vogue from March, 1976, the maximum selling prices of complex phosphatic fertilizers have been fixed by Government. These prices in respect of some of the major fertilizers are indicated in Annexure. The prices of single superphosphate for different units are fixed by the Fertilizer Association of India in accordance with a formula approved by Government.

(c) The per tonne value of different types of imported chemical fertilizers varies for different contracts and for different sources of supply depending upon international demand and supply position at the time of the transaction. It will not be in public interest to disclose these.

As stated in reply to part (b) above, the maximum retail prices of urea, calcium ammonium nitrate and ammonium sulphate are statutorily controlled as indicated above. Potash is wholly imported and the retail price of muriate of potash is Rs. 795 per tonne, (for 100 kg. packing) and Rs. 805 for 50 kg. packing. The retail prices of some of the major imported phosphatic and complex fertilizers are indicated in the statement (Annexure) referred to reply to part (b) above.

(d) In respect of fertilizers, the prices of which are fixed by the Government, the retail prices are determined after taking into account the no-profit-no-loss price of imported fertilizers, the cost of production of domestic industry and the paying capacity of the farmer. The retail prices of single superphosphate are fixed by the Fertilizer Association of India in accordance with a formula approved by the Government. In respect of phosphatic fertilizers, indigenously produced, the Ministry of Chemicals and Fertilizers fixes the maximum selling prices, as stated above in reply to part (b) of the Question. The actual selling prices are determined by the individual manufacturers themselves.

Statement

Statement Showing the Retail Prices of some of the Major Phosphatic and Complex Fertilizers (Both Imported and Indigenous)

(Rs. per tonne.)

Grade of Fertilizer	Retail price as fixed by the Ministry of Agriculture and Irrigation, in respect of imported fertilizers	Maximum Retail price as fixed by Ministry of Chemicals and Fertilizers in respect of indigenous fertili-zers
1. Di-Ammonium Phosphate (18-46-0) .	2210	2210
2. A.N.P. (20-20-0)	1590	1845 (FACT) 1760 (F.C.I.)
3. 24-24-0 .	2045	2080 (I.F.F.C.O.) 2045 (M.F.L.)
4. 15-15-15	1520	1520 (F.C.I.)
5. 17-17-17 . . .	1810	1810 (M.F.L.)

पिपरावा और गनवारिया में भगवान बुद्ध के अवशेष

2174. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में पिपरावा तथा गनवारिया गांवों में भगवान् बुद्ध और प्राचीन नगर कपिलवस्तु के अवशेष मिले थे और भारत सरकार ने वहां पर खुदाई का कार्य आरम्भ कर दिया था ;

(ख) क्या खुदाई का कार्य रोक दिया है और उक्त स्थानों का अतिक्रमण हुआ है; और

(ग) उनके स्थानों के अतिक्रमण को रोकने और वहां पर खुदाई का कार्य आगे पुन: शुरू करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उत्तर-प्रदेश के पिप्राहवा और गनवारिया, जिला-बस्ती में उत्खनन से बौद्ध निर्माण शैली के अवशेष निकले हैं, जिनमें अभिलेखहीन स्मृति चिह्न की दो डिब्बियां स्तूप की निचली सतह से निकली हैं और इसी स्तूप से एक साभिलेख डिब्बियां सन् 1898 में मिली थी। पिप्राहवा के इस बिहार से अधिक मात्रा में मिली मोहरों पर प्रथम-दिवृतीय ईसा शताब्दी की ब्रह्मी लिपि में कपिलवस्तु का उल्लेख होने से, वहां पर प्राचीन कपिलवस्तु के होने की संभावना है ।

(ख) कार्यक्षेत्र का उपयुक्त मौसम न होने के कारण आजकल उत्खनन का कार्य निलम्बित कर दिया है । यह स्थल अतिक्रमण से मुक्त हैं ।

(ग) सर्वेक्षण ने पहले से ही आवश्यक समझे जाने वाले क्षेत्रों को अर्जित करने के लिए कदम उठा लिए हैं । केवल वर्तमान उपलिब्धयों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद सर्वेक्षण को यह निर्णय लेना संभव होगा कि इस स्थल पर आगे उत्खनन कराना आवश्यक है या नहीं ।

Lac Caltivation

2475. Shri Karia Munda : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state ;

(a) the area of land in the country undre lac cultivation ;

(b) the production of lac in the entire country ;

(c) whether Government propose to encourage lac cultivation and if so, the Government's scheme in this regard ; and

(d) the total production of lac in Bihar, particularly in Ranchi District ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Lac host trees are not grown on a plantation basis and as such information on area under lac is not available.

(b) and (d). The production of stick-lac in the country as well as in Bihar and Ranchi District in the first three years of the Fifth Plan is given below :

(Quantity in tonnes)

Year	All India production	Production in Bihar	Production in Ranchi
1974-75	24,690	14,525	5,774
1975-76	21,767	13,853	7,066
1976-77	23,869	15,559	7,846

(c) Yes. The Government of India has sanctioned a Central Sector Scheme during Fifth Plan Period with an outlay of Rs. 9.0 lakhs for the development of lac in the States of Bihar, Orissa, West Bengal, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. It envisages (i) free supply of boordlac to the lac growers (ii) free supply of prunning equipments, demonstration of improved lac cultivation practices in package blocks and maintenance of broodlac farms.

नेपाली पुस्तकों का अनुवाद

2476. श्री के० बी० चेतरी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकामी द्वारा नेपाली भाषा को मान्यता देने के पश्चात् नेपाली पुस्तकों के कितने अंतर-भाषीय अनुवाद किये गये ;

(ख) क्या सर्वश्रेष्ठ लेखकों को पुरस्कार देने के प्रयोजन से सरकार ने किसी श्रेष्ठ पुस्तक का चयन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) नेपाली पुस्तकों का अन्तर-भाषा अनुवाद अभी साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया जाना है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"Kabaddi" as International Sport

2477. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether the Government of India propose to make efforts to include the national game "Kabaddi" in international sports ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b). It is for the international sports bodies like the International Olympic Committee, Asian Games Federation, Commonwealth Games Federation etc., to accept 'Kabaddi' as a game in international sports, subject to fulfilment of certain conditions prescribed by these bodies. The Indian Olympic Association has promised to make efforts to have 'Kabaddi' included in international sports. Government has no hand in the matter.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तथा बांदा जिलों में सिंचाई सुविधाएं

2478. श्री बशीर अहमद : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तथा बांदा जिलों में कोई लाभप्रद सिंचाई योजना मंजूर नहीं की जिसके कारण उस क्षेत्र में फसल नहीं हुई; और

(ख) यदि राज्य सरकार ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं करा सकती है तो उस मामले में केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). फतेहपुर जिले में लोअर गंगा नहर प्रणाली के जरिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । तीन बृहत स्कीमों, नामश: रामगंगा परियोजना, समानान्तर लोअर गंगा नहर परियोजना तथा टिहरी बांध परियोजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनसे इस जिले के लिए अतिरिक्त सिंचाई लाभों की व्यवस्था होगी । रामगंगा परियोजना पूरी होने वाली है, समानान्तर लोअर गंगा नहर परियोजना को 1980 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है तथा टिहरी बांध परियोजना निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में है । इसके अलावा, बहुत सी लिफ्ट नहरों एवं सरकारी नलकूपों के जरिए भी सिंचाई के वास्ते पानी उपलब्ध किया जा रहा है । भूतल जल संसाधनों की उपलब्धता के बारे में, जिनको निजी सिंचाई कार्यों के साथ-साथ सरकारी नलकूपों के जरिए विकसित किया जाएगा, राज्य सरकार ने सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य किए हैं । गैर-सरकारी सिंचाई कार्यों से इस जिले में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार के प्रयत्नों में सहायता मिलेगी ।

जहां तक बांदा जिले का सम्बन्ध है इसे केन नहर प्रणाली, बरवा और चैन जलाशयों, व्यपवर्तन बीयरों, टैंकों, झीलों एवं छोटे बांधों के द्वारा सिंचाई सुविधाएं दी जा रही हैं । इसके अतिरिक्त, चिल्ली मल पम्प नहर ओगासी पम्प नहर तथा केन नहर की रीमाडलिंग की तीन स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं । राज्य सरकार ने इस जिले में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए पैयूसनी नहर स्कीम का भी प्रस्ताव किया है । इसके अलावा 9 लिफ्ट सिंचाई स्कीमों को अभी हाल में चालू किया गया है तथा एक और पर कार्य चल रहा है । इसके अतिरिक्त, 37 नलकूप चालू हैं और 6 और को शीघ्र ही बिजली दिए जाने की संभावना है । उत्तर प्रदेश सरकार सूखा-प्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत बांदा जिले में गुंटानाला एवं बरदाहा बांध परियोजनाओं को भी क्रियान्वित कर रही है । इसके अतिरिक्त, इस जिले में और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए बहुत सी सिंचाई स्कीमों का अन्वेषण किया जा रहा है ।

यमुना नदी में जल दूषण

2479. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना नदी में पानी की भारी कमी को दूर करने और जल के उत्तरोत्तर दूषण को समाप्त करने के लिए जहां से ओखला से नीचे की ओर के आगरा तथा अन्य स्थानों को पानी की सप्लाई होती है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) पानी की कमी वाले महीनों में ताजेवाला और ओखला से क्रमश: कितना-कितना पानी छोड़ा जाता है ; और

(ग) राज्यों के बीच यमुना नदी के जल के बटवारे की क्या व्यवस्था है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) यमुना नदी में पानी की कमी की समस्या कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के विचाराधीन है जो कि इसके पानी को विभिन्न तटीय राज्यों के पुन: वितरण के बारे में विचार कर रहा है । जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के राज्य बोर्डों द्वारा यमुना नदी में प्रदूषण की मात्रा के मामलों की जांच के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। केन्द्रीय बोर्ड दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अधिक प्रदूषकों के जानने के लिए भी सर्वेक्षण कर रहा है । जैसे ही यह सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(ख) ताजेवाला हेडवर्क्स और ओखला बांध से बहने वाले पानी की मात्रा नवम्बर से जून 1965–66 से 1971–72 तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे संलग्न दो सारिणयों में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1954 में पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य हुए एक समझौते के अनुसार फिलहाल, ताजेवाला से हरियाणा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली में सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए यमुना नदी से पानी लिया जा रहा है। इस समझौते के अनुसार ताजेवाला में यमुना के पानी को पंजाब (अब हरियाणा) तथा उत्तरप्रदेश के मध्य 2:1 के अनुपात में पानी का बटवारा करना है जिसमें नदी के विभिन्न स्थानों में नाममात्र का अन्तर हो सकता है । जब यमुना नदी में 10,900 क्यूसेक से अधिक पानी बहता है तो हरियाणा उत्तरप्रदेश को इस अधिक बहाव के पानी को उसी 2:1 के अनुपात में प्रयोग करने का अधिकार है । दिल्ली के पास ओखला बांध से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भूमि की सिंचाई के लिए आगरा नहर से पानी जाता है । गुड़गांव नहर जो कि मौनसून के दौरान राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी देने के लिए बनाई गई है वह भी आगरा नहर से निकली है ।

दिल्ली को पेयजल की कुछ मात्रा यमुना नदी से मिलती है । इसके अतिरिक्त राजस्थान पीने तथा सिंचाई के प्रयोजन के लिए यमुना के जल की कुछ सीमित मात्रा का उपयोग कर रहा है ।

"विवरण"

तालिका–I

नवम्बर से जून तक के महीनों के बीच ताजेवाला हेडवर्कस से पानी के बहाव की तालिका

(क्यूसक प्रतिमास)

वर्ष	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
1965–66	—	—	—	—	—	—	—	6413
1966–67	—	—	—	—	1635	—	—	—
1967–68	—	85	1922	144	1165	—	—	41
1968–69	—	—	—	—	—	—	—	—
1969–70	—	—	—	—	369	—	—	21
1970–71	—	—	—	—	—	—	—	13102
1971–72	—	—	—	—	—	525	—	—

तालिका–II

नवम्बर से जून तक के महीनों के बीच ओखला हेड वर्कस से पानी के बहाव की तालिका

(क्यूसक प्रतिमास)

वर्ष	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
1965–66	—	—	—	—	—	—	—	—
1966–67	—	—	—	—	1125	174	—	—
1967–68	217	649	2479	317	445	—	—	—
1968–69	—	—	—	—	—	—	—	—
1969–70	—	—	—	—	29	29	—	—
1970–71	—	3	—	—	—	—	—	11453
1971–72	215	—	—	264	—	42	—	—

बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बने हटमैन्टों में नागरिक सुविधाएं

2480. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बने हटमैन्टों में आवश्यक नागरिक सुविधायें देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के आवास मंत्री तथा राज्य सरकार को मई, 1977 में ये निर्देश दिये थे कि बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बने हटमैन्टों के निवासियों से हटमैंट खाली कराये जायें;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह हटमैंटों के विषय में अपने उपरोक्त रवैये पर फिर से विचार करे; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) बम्बई में केन्द्रीय सरकार की ऐसी भूमि पर जिसको संबंधित भूमि के मालिक केन्द्रीय सरकार के विभागों को उनकी विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तुरन्त आवश्यकता है, उस भूमि पर से अनधिकृत हस्तक्षेप को हटाने तथा जिन अन्य अनधिकृत हस्तक्षेपों की तुरन्त आवश्यकता नहीं है उनको न्यूनतम सुख-सुविधाओं सहित बसे रहने देने के प्रश्नों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है ; इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की किस तरीके से सहायता की जा सकती है, इस बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई की प्रतिशतता

2481. **श्री बाला साहिब बिरवे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में सिंचाई की कम प्रतिशतता (8.5 प्रतिशत) को अखिल भारतीय औसत स्तर जो 23 प्रतिशत है तक लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : महाराष्ट्र राज्य में आयोजन-अवधि से पहले सिंचाई के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 8.58 लाख हैक्टेयर था। विभिन्न योजनाओं की अवधियों में हाथ में ली गई कई सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित क्षेत्र बढ़ कर 17.6 लाख हैक्टेयर हो गया था। चौथी योजना के अन्त में यह लगभग दुगना हो गया, जो राज्य के कुल परात-क्षेत्र का लगभग 9 प्रतिशत है । पांचवीं योजना में 7.65 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई करने की परिकल्पना की गई है, जिससे सिंचाई के अन्तर्गत कुल क्षेत्र बढ़ कर 25.35 लाख हैक्टेयर हो जाएगा अर्थात् आयोजन-अवधि से पहले के सिंचित क्षेत्र से तिगना हो जाएगा ।

योजना के शुरू होने के समय, देश में कुल सिंचित क्षेत्र 22.6 मिलियन हैक्टेयर था। आशा है कि यह पांचवीं योजना के अन्त तक बढ़ कर लगभग 54 मिलियन हैक्टेयर हो जाएगा जो आयोजन-अवधि के पहले के सिंचित क्षेत्र के ढाई गुना से कुछ कम है ।

अनुमान लगाया गया है कि महाराष्ट्र राज्य में बृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों से अन्ततः 64 लाख हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता का सृजन किया जा सकता है, जो फसल क्षेत्र के लगभग 33 प्रतिशत के बराबर है । राज्य सरकार सिंचाई विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है ।

Insurance fee Charged from Each Allottee by D.D.A.

2482. Shri Ram Naresh Kushwaha : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether insurance fee was charged from each allottee by Delhi Development Authority at the time of allotment of flats in 4 C.P.S. colonies namely Jhilmil, (Vivek Vihar), Safdarjang, Greater Kailash and Pankha Road ;

(b) whether roofs of some quarters in Jhilmil Colony have breached and cracks have developed therein but no arrangement has been made by the Delhi Development Authority in this regard ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard and if no action is being taken, the reasons therefor ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) Yes, Sir.

(b) Delhi Development Authority has reported that no complaints in this regard have been received by it.

(c) The flats were offered on "as-is-where-is" basis and allotted. The responsibility for maintenance rests with the respective allottees.

Grant to M.P. Hindi Granth Akademi

2483. Shri Chhairam Argal : Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the amount of grant provided to the Madhya Pradesh Hindi Granth Akademi during the last three years, year-wise ;

(b) the number and value of books published by the Akademi, year-wise ;

(c) the percentage of the total grant spent on writing and publishing books and the percentage spent on administrative work ; and

(d) in case the percentage of administrative expenditure is higher, the action taken by Government to check it ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a), (b) and (c) : A statement is attached.

(d) The guidelines envisage an expenditure of 5 per cent on administration. The Akademi is being contiouously advised to limit its expenses. Steps taken for this include :

(i) Surrender of 13 vacant posts.

(ii) Strict control on use of vehicle.

(iii) Surrender of one telephone line.

(iv) Vacation of one godown.

(v) Stoppage of employment of daily-wagers for casual work.

STATEMENT

(*Figures in lakhs*)

Year	Amount of grant released	No. of books published	Value of book published	Expenditure incurred on writing & publication of books	Administrative expenditure	Total (Cols. 5 & 6)	Percent of publication Expenditure to total expenditure (percent 5 : 7)	Per cent of administrative expenditure to total expenditure (percent 6 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1974-75	6·00	14	5·47	5·77	1·50	7·27	79·3%	20·7%
1975-76	9·00	14	3·85	6·91	1·56	8·47	81·6%	18·4%
1976-77	8·00	36	10·36	8·06	1·51	9·57	84·2%	15·8%

NOTES : 1. Expenditure on publication of a book is generally spread over a number of years.

2. The grants given in a particular year are also supplemented with the balance of previous years' grants as well as the sale proceeds of books which are required to be ploughed back for production of more books.

काजू के पौधे लगाकर कच्चे माल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

2484. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने काजू के पौधे लगा कर कच्चे माल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने हेतु कोई प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). भारत सरकार ने काजू का उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों के सहयोग से कच्चे काजू का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र में कई विकास कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। पांचवीं योजना के दौरान केरल में राज्य क्षेत्र योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में 72,000 हेक्टार तक की वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना है। पांचवीं योजना के दौरान केरल राज्य के केन्द्रीय क्षेत्र में 5300 हेक्टार क्षेत्र में वनस्पति प्रवर्धन द्वारा चुने हुए मूल वृक्षों से अधिक उपज वाली पौध सामग्री का उत्पादन करने के लिए 9200 हेक्टार में उन्नत पैकेज पद्धतियों के प्रदर्शनों की व्यवस्था करने तथा 120 हेक्टार में काजू के प्रजनक बागान लगाने की योजनायें लागू की जा रही हैं। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में 85,000 हेक्टार निजी भमि और 60,000 सरकारी भूमि में काजू का पौधारोपण करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत की है। इस योजना के अन्तर्गत केरल में 25,000 हेक्टार निजी भूमि और 10,000 हैक्टार सरकारी भूमि में काजू का पौधारोपण करने के लिए केरल सरकार को राज्य सहायता के रूप में 1.25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता क्रम-बद्ध ढंग से देने के लिए अनुमोदित की गई है। सरकारी भूमि और निजी भूमि के लिए राज-सहायता की धनराशि क्रमश: 500 रुपये और 300 रुपये है।

खाद्यान्न का उत्पादन

2485. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि प्रति व्यक्ति निम्नतम उपयोग के आधार पर देश में कुल कितने खाद्यान्न के उत्पादन की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में निम्नतम आवश्यक उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकास संबंधी किन प्रयत्नों की योजना बनाई गई है तथा इन प्रयत्नों के सफल होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार खाद्यान्नों की पोषण संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएं 440 ग्राम प्रतिदिन अथवा 160.6 किलोग्राम प्रति वर्ष है। इस आधार पर पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष में देशभर के लिए 1183 लाख मीटरी टन (निवल) की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है। यहां यह बता देना भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सुझाव के अनुसार न्यूनतम पोषण आहार में, खाद्यान्नों के अतिरिक्त फलों और सब्जियों, वसा एवं तेलों वाले पदार्थ, दूध और दूध से बने उत्पादों, मांस, मछली, अंडों, चीनी और गुड़ आदि अन्य खाद्य पदार्थों का भी निश्चित मात्रा

में उपयोग होना चाहिए। चूंकि हमारे देश में इस समय धान्यों के अलावा खाद्य पदार्थों की सप्लाई कम है अतः कमी को पूरा करने के लिए धान्यों की अधिक खपत के लिए व्यवस्था की जाती है। कहा जा सकता है कि देश में हाल के वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सुझाई गई न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए खाद्यान्न उत्पादन 1250 लाख मीटरी टन के संशोधित लक्ष्य से यह सुनिश्चित हो जाता है कि मानव खपत के लिए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 160.6 किलो ग्राम की न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं की अपेक्षा लगभग 170 किलो ग्राम होगी।

(ग) पांचवीं योजनावधि के दौरान फसल की बवाई के क्षेत्र में विस्तार करके, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाकर तथा फसल को पैदावार में सुधार करके खाद्यान्नों के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन और वितरण के कार्यक्रम का विस्तार करना,
2. रसायनिक उर्वरकों की खपत को बढ़ाना और उर्वरकों के उपयोग की क्षमता में सुधार करना,
3. जल प्रबंध करना,
4. संस्थागत ऋण का विस्तार करना,
5. कृषि विस्तार और प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, और
6. समस्यामूलक अनुसंधान को तेज़ करना।

गुजरात राज्य में समाज कल्याण के लिये सहायता

2486. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने राज्य में सामाजिक कल्याण के विकास के लिये पर्याप्त सहायता की व्यवस्था करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से धनराशि की मांग की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के लिये अब तक पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नही की है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा०प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग), तथा (घ) राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई विशेष प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। योजना आयोग से परामर्श किया गया है जिसके अनुसार राज्य योजना में शामिल करने के लिए "समाज कल्याण" शीर्ष के अधीन राज्य सरकार द्वारा 1977–78 के वार्षिक योजना प्रारूप में 19.50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था। राज्य सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद, यह परिव्यय

15.00 लाख रुपये रखा गया था जिसमें योजना प्राथमिकता, संसाधन प्रतिबंध तथा पिछले वर्ष समाज कल्याण पर राज्य के व्यय (12.89 लाख रुपये) को ध्यान में रखा गया था।

राज्य सरकार को केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी अनुदान दिये जाते हैं जिनकी धनराशि का परिमाण बताना इस स्तर पर कठिन होगा।

अतिथि नियन्त्रण आदेश

2487. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अतिथि नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो अशोधित आदेशों के अनुसार कितने व्यक्तियों को और किस प्रकार के भोजन को परोसने की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या उक्त संशोधन दिल्ली निवासियों की मांग के अनरूप किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में संशोधित आदेश में अब की गई व्यवस्था को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जैसाकि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है, अतिथि नियंत्रण आदेश में संशोधन करने के लिए जनता निरन्तर मांग कर रही थी और दिल्ली प्रशासन भी यह महसूस करता है कि पिछले आदेश बहुत कड़े थ और उनमें ढील देने की आवश्यकता है।

विवरण

पार्टियों आदि में व्यक्तियों की संख्या और वहां परोसे जाने वाले पकवानों के बारे में संशोधित दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश में किए गएं प्रावधान

---

(1) विवाह अथवा अंत्येष्ठि से संबंधित पार्टियों और कार्यों के मामले में :

(क) संलग्न 'परिशिष्ट–क' की अनुसूची में उल्लिखित मदों से अधिक खाद्य पदार्थ न होने की दशा में 100 व्यक्तियों तक (मेज़बान अथवा मेज़बानी सहित)।

(ख) 100 से अधिक व्यक्तियों (मेज़बान अथवा मेज़बानों सहित) के लिए चार पकवानों को परोसा जा सकता है बशर्ते कि वे वर्जित खाद्य पदार्थ न हों जिनमें से मांसाहारी पकवानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

(2) अन्य पार्टियों और उत्सवों के मामले में :

(क) जहां कहीं अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होती है (मेज़बान अथवा मेज़बानों सहित) वहां परिशिष्ट–क पर दी गई अनुसूची के अनुसार खाद्य पदार्थ परोसने की अनुमति होगी।

(ख) जहां कहीं अतिथियों की संख्या 50 से अधिक होती है (मेज़बान अथवा मेजबानों सहित) वहां केवल चार पकवानों को परोसने की अनुमति होगी लेकिन उनमें वर्जित खाद्य पदार्थ नहीं होने चाहिएं और उनमें से दो से अधिक मांसाहारी पकवान नहीं होने चाहिएं।

स्पष्टीकरण :

(1) वर्जित खाद्य पदार्थों की व्याख्या परिशिष्ट–क में की गई है।

(2) बेसन को लेपन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या पकौड़े, कटलैट, कबाब और इसी प्रकार के अन्य पदार्थों को बनाने के लिए उसका घोल तैयार किया जा सकता है।

(3) पैरा (1) (ख) और (2) (ख) में उल्लिखित चार पकवानों के अतिरिक्त निम्नलिखित मदें भी परोसी जा सकती हैं :—

फल, पापड़, अचार, चटनी, रायता परिरक्षित फल, प्याज, सेलरी, मक्खन, घी, क्रीम, दही, पनीर, मक्खन युक्त दूध, सॉस, सलाद, मसाले और इसी प्रकार के अन्य मसाले, पेय और तरल जलपान।

(4) परोसे गए पकवानों की किस्मों की संख्या का ध्यान किए बिना उपर्युक्त प्रयोजन के लिए बिस्कुटों को भी खाद्य पदार्थों की एक मद गिना जाएगा।

(5) विवाह अथवा अंत्येष्टि के सम्बन्ध में जब कोई पार्टी अथवा उत्सव किया जाता है और उसमें व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होती है (मेज़बान अथवा मेज़बानों सहित) तथा साधारण पार्टी में जहां पर व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होती है (मेज़बान अथवा मेज़बानों सहित) और 'परिष्टि–क' में दी गई अनुसूची के अनुसार भोजन नहीं परोसा जाता है उस दशा में परोसे जाने वाले मदों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबन्ध के कोई भी खाद्य पदार्थ परोसने की अनुमति होगी।

(6) चावल के अलावा अनाज के कोई भी पकवान अर्थात् डबलरोटी, चपाती, नान, पूरी, कुलचा अथवा भटूरा आदि जिनमें वर्जित खाद्य पदार्थ न हों, को पैरा (1) (ख) और (2) (ख) के अन्तर्गत अनुमेय चार मदों में से एक के रूप में परोसा जा सकता है।

विवरण

1. सूप।
2. कोई भी चार पकवान जिनमें से मछली, मांस, मुर्गे, शिकार आदि, से बने मांसाहारी पकवान दो से अधिक नहीं होंगे।
3. पुलाव अथवा चावल अथवा चावल से बने अन्य पकवान।

और

चपाती पराठा भाकरोज़ नान पूरी डबलरोटी अथवा अनाज से बने ऐसे अन्य पकवान।

4. कोई एक मिष्ठान अथवा स्वादिष्ट पकवान।

स्पष्टीकरण :

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित मदें भी परोसी जा सकती हैं :—

जैम, मुरब्बा, बर्फ में लगे फलों अथवा सब्जियों के रसों सहित फल, पापड़, अचार, चटनी, रायता, काबली चना, परिरक्षित फल, प्याज़, सेलरी, मक्खन, घी, क्रीम, दही, पनीर, मक्खन युक्त दूध, सॉस, सलाद, मसाले और ऐसे अन्य मसाले, पेय और तरल जलपान ।

"वर्जित खाद्य पदार्थों" की व्याख्या

"वर्जित खाद्य पदार्थों" में वे सभी खाद्य पदार्थ आते हैं जिन्हें अनाजों अथवा दालों से तैयार किया जाता है अथवा जिनमें अनाज अथवा दालें मिलायी जाती हैं और चना और उससे बने पदार्थों सहित सभी मिष्ठान लेकिन इनमें मीठे अथवा नमकीन बिस्कुट तथा काबली चना शामिल नहीं हैं।

Rice Procurement in Rajasthan

2488. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in one of the districts of Rajasthan rice was procured by the State Warehousing Corporation whereas in other districts rice was procured by the Food Corporation of India; and

(b) the reasons for doing so particularly when both the organisations have adopted different criteria ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir ; in the revenue district of Swai Madhopur levy rice is being procured by the Rajasthan State Warehousing Corporation as agents of the Food Corporation of India.

(b) Rajasthan State Warehousing Corporation has been working as the agents of the Food Corporation of India for the last few years and they have requisite establishment for rice procurement in Swai Madhopur district. Both the Organisations are making levy procurement of rice in Rajasthan under the Rajasthan Rice Procurement (Levy) Order 1976, and are following the same criteria and instructions.

दिल्ली के कालेजों के शासी निकायों का पुनर्गठन

2489. **श्री दुर्गा चन्द्र :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों के शासी निकायों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन शासी निकायों का पुनर्गठन कब तक हो जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रायोजित कालेजों सहित दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित और उससे सम्बद्ध कालेजों के शासी निकायों का गठन, विश्वविद्यालय की संविधियों और अध्यादेशों में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाता है और उनके सदस्य निर्धारित अवधि के लिए कार्यभार संभालते हैं। विज़िटर की सहमति से विश्वविद्यालय द्वारा इन सांविधियों और अध्यादेशों में संशोधन किया

जा सकता है। संगत संविधि में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव इस समय विज़िटर के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में अस्थाई नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनुदेश

2490. **श्री दुर्गा चन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आपात स्थिति के दौरान अनुदेश जारी किये थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में बनाये गये नये पदों पर केवल अस्थाई रूप से नियुक्तियां की जाएं;

(ख) क्या कालेजों के बनाये गये इन नये पदों पर स्थाई रूप से नियुक्तियां करके इन अनुदेशों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो इन कालेजों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन अनुदेशों का उल्लघन किया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) आपात स्थिति के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को जारी किए गए अनुदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस प्रकार के कोई निर्देश जारी नहीं किए गये थे।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

Government Employees Living in South and North Avenue Flats

2491. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Government employees who were living in South and North Avenue Flats allotted to them by the Estate office as on 1st April, 1975 ;

(b) the number of officers made to vacate these flats in 1975 and the reasons therefor ;

(c) whether flats were got vacated from some Government Officers while some were not asked to do so and the reasons for not following uniform policy ;

(d) whether it is a fact that when the said flats were got vacated from officers in 1975, some flats were already lying vacant in North and South Avenue and if so, the reasons for keeping those flats vacant and the reasons for getting the flats occupied by officers vacated ; and;

(e) whether Government propose to frame rules to put an end to this favouritism ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) on 1-4-1975, ten Government employees were living in South and North Avenues flats which were allotted to them, on the recommendations of the House Committee, Lok Sabha, on purely temporary basis on the condition that the allottees would have to vacate the flats as and when these were required for allotment to Members of Parliament.

(b) In 1975 one officer was made to vacate the flat for the reason that it was required for allotment to a Member of Parliament.

(c) Flats in South/North Avenues are allotted to Government officers on the recommendations of the House Committee, Lok Sabha. Also, these are got vacated from them on the recommendations of the House Committee. The House Committee Lok Sabha may. if it so desires, lay down a policy with regard to such allotments. However, it may be pointed out that these flats are intended for Members of Parliament and are allotted to Government officers on purely temporary basis. As and when a particular flat is required for allotment to a Member of Parliament, and the House Committee, Lok Sabha makes a recommendation to that effect, its allottee is asked to vacate the flat. At present, all Government officers occupying these flats have been asked to vacate.

(d) This question concerns the Lok Sabha Secretariat as the flats in South/North Avenues are in the Lok Sabha Pool.

(e) Does not arise.

Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha

†2492. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the grant given to the Samrat Ashok Technological Institute in Vidisha by the Central Government during the last three years, year-wise ;

(b) whether due to the resignation of the Chairman and the death of the Vice-Chairman of the Management Committee of the Institute, Government propose to urge upon the Institute to reconstitute the Committee ; and

(c) the names of the office-bearers of the Management Committee of the Institute at present ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) An amount of Rs. 1,25,000 towards building construction and Rs. 25,000 for purchase of equipment was released to the institution in 1975-76 as Central Government grant.

(b) and (c). The Governing body of the institution was superseded as per order of the State Government of Madhya Pradesh during September, 1975, and the affairs of the Institution are looked after by the Collector of Vidisha who has been appointed by the State Government, as administrator.

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या

2493. **श्री वयालार रवि** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है और राज्य तथा नगर वार संख्या कितनी कितनी है;

(ख) प्रत्येक विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं; और

(ग) कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 603/77]

(ग) 9744.

केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारियों की सेवा शर्तें

2494. **श्री वयालार रवि** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों से अपनी सेवा शर्तों के सुधार के बारे में उनकी सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनके कार्य को अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के काम के साथ तुलना करने पर कर्मचारियों की सेवा शर्तें सन्तोषजनक नहीं हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां। गैर-अध्यापन स्टाफ से इस आशय के सामान्य प्रकृति के अभ्यावेदन आए हैं कि इस वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमानों में वृद्धि संबंधी संशोधन उस गति से नहीं हुए हैं जिस गति से शिक्षण स्टाफ के वेतनमान संशोधित हुए हैं।

(ग) जी नहीं। वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तें सामान्यतः वही हैं जो ऐसे ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, विशेष रूप से संघ शासितक्षेत्र दिल्ली के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू होती हैं।

पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में बाढ़

2495. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले का इटहार ब्लाक पिछले दस वर्षों से लगातार बाढ़ से ग्रस्त होता रहा है, जिस से लोगों को भारी परेशानी होती है;

(ख) क्या यह क्षेत्र अनिवार्यतः कृषि क्षेत्र है और फसल खराब होने पर वहां के लोगों के लिए आमदनी का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं रहता;

(ग) क्या इस क्षेत्र के अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं और प्राकृतिक आपदा में उपेक्षित जीवन व्यतीत करते हुए उनकी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है; और

(घ) यदि हां, तो बाढ़ नियंत्रण करके इस क्षेत्र की कृषि का बचाव करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पश्चिमी दिनाजपुर जिले के इटहार ब्लाक का कुछ भाग नीचा है और तश्तरी के रूप में नीचे धंसा हुआ क्षेत्र है और बाढ़ों के दौरान जलमग्न हो जाता है। भारी वर्षा वाले वर्षों में यह स्थिति बड़ी भीषण हो जाती है जैसाकि पिछले दो वर्षों में हुई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र की भूमि मुख्य रूप मे कृषिगत है और इस क्षेत्र की अधिकतर जनता गरीब है। इस क्षेत्र की 1.43 लाख की कुल जनसंख्या में मे लगभग 27 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के हैं और लगभग 10 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजातियों के हैं ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा पहले मे हाथ में ली गई निम्नलिखित बाढ़ नियंत्रण स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं :—

(1) पाजोल बाढ़ नियंत्रण स्कीम;

(2) राजनगर हसुआर बील स्कीम;

(3) बुरीमंडल बील जल निकास स्कीम; और

(4) गोकर्ण बील जल निकास स्कीम।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इटहार ब्लाक सहित पश्चिमी दिनाजपुर जिले के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए महानन्दा (बरसोई शाखा) के बाएं किनारे पर तटबंध बनाने की एक स्कीम भी तैयार की है।

लोकसभा के सदस्यों को मकानों का आवंटन

2496. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान लोक सभा के उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें मकान आवंटित कर दिए गए हैं, परन्तु जिन्हें उनका कब्जा नहीं दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीज् पटनायक) : वर्तमान लोक सभा के संसद सदस्यों के नाम, जिन्हें सामान्य पूल में आवास दिए गए हैं किन्तु उन्हें उसका कब्जा नहीं दिया गया है, संलग्न विवरण में दिए गए है। लोक सभा पूल के बंगलों फ्लैटों के बारे में सूचना लोक सभा सचिवालय के पास उपलब्ध है।

'विवरण'

संसद् सदस्यों के नामों का विवरण जिन्हें सामान्य पूल से आवास दिए गए हैं किन्तु उन्हें उसका कब्जा नहीं दिया गया है : --

क्रम संख्या	संसद् सदस्यों के नाम	आवंटित आवास
	सर्वश्री	
1.	नथूनी राम	34, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड
2.	श्रीमती रानो शेज़ा	2, तीनमूर्ति लेन
3.	बिनोदभाई बी० सेठ	17, तीनमूर्ति मार्ग
4.	बी० रछैया	42, अशोक रोड
5.	वी० पी० नायक	5, सफदरजंग लेन
6.	सरत कुमार कर	सी–1/7, हुमायूं रोड
7.	राम किंकर	12,डा० बिशंभरदास मार्ग
8.	कैलाश प्रकाश	2, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड

लोक सभा के नये सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन

2497 **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :**
श्री रीतालाल प्रसाद वर्मा :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान लोक सभा के ऐसे कितने नये सदस्य हैं जिन्हें अब तक फ्लैटों का आवंटन नहीं किया गया है, क्योंकि भूतपूर्व संसद् सदस्यों ने फ्लैटों को खाली नहीं किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : लोक सभा सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन लोक सभा की आवास समिति द्वारा किया जाता है । अत: इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं हैं । यद्यपि पांचवीं लोक सभा के 78 सदस्यों ने, जो छठी लोक सभा के सदस्य नहीं हैं, संसद् सदस्य पूल में 65 और सामान्य पूल में 13 सरकारी आवास अभी भी खाली नहीं किए हैं । छठी लोक सभा के जिन सदस्यों को इनमें से कुछ आवास अलाट किए गए हैं वे अभी तक उन पर कब्जा नहीं कर सके ।

Import of Fertilizers

2498. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity and variety of fertilizers imported during the last two years ;

(b) the manner in which their prices were fixed ; and

(c) whether these fertilizers were tested on their arrival in India and if so, by whom and whether basic contents were found therein in prescribed quantity ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Quantity and variety of fertilizers imported, during the last two years as follows :—

(In lakh tonnes)

Commodity	1975-76	1976-77
1. Urea	14·59	15·96
2. Ammonium Sulphate;	0·93	..
3. Calcium Ammonium Nitrate	1·95	0.05
4. Muriate of Potash ;	3·63	4·51
5. Sulphate of Potsah	..	0·11
6. Di-Ammonium Phosphate ;	4·62	0·30
7. Nitrophosphate 20 : 20 : 0	2·44	0·35
8. Nitrophosphate 24 : 24 : 0	0·98	..
9. NPK 15 : 15 : 15 ;	2·19	0·13
10. NPK 14 : 14 : 14 ;	0·10	
11. Nitrophosphate 23 : 23 : 0	0·08	
12. NPK 13 : 13 : 20;	0·02	
13. NPK 17 : 17 : 17 ;	0·75	..
14. NPK 17 : 17: 16	0·10	..
15. Ammonium Phosphate 19 : 20	0·08	..
16. Ammonium Sulphate Nitrate	0·10	..
	32·56	21·41

(b) In respect of fertilizers, the prices of which are fixed by the Government, the retail prices are determined after taking into account the no-profit-no-loss price of imported fertilizers, the cost of production of domestic industry and the paying capacity of the farmer.

(c) Samples were drawh in respect of each of the vessels carrying MOP during the past two years at the time of unl ading of the cargo by the sworn surveyors. As regards non-potassic fertilizers testing is not required to be done unless any condition was reported which might have altered the material specifications from the prescribed standard. In such cases a survey is conducted through recognised surveyors before the material is delivered. The details of cases where the basic contents were found to be different from the prescribed quantity are being collected and will be laid on the Table of the House.

House Building Loan to Delhi University Employees

2500. Shri Hargovind Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culutre** be pleased to state :

(a) whether the Central Government advance house building loan to their employees ;

(b) if so, whether this facility is provided to the employees working in Delhi University ; and;

(c) if so, the number of Delhi University employees who have been provided this facility and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The proposal to extend this facility to the employees of all Central Universities is under consideration of the University Grants Commission.

रबी मौसम के दौरान वसूली

2501. **श्री वयालार रवि**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1977 के अन्त तक रबी मौसम के दौरान कुल कितनी वसूली की गई तथा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान की तुलना में इसका कार्य तथा वसूली लक्ष्य कैसा रहा है ; और

(ख) क्या इस वर्ष कुल वसूली में काफी गिरावट आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 30 जून, 1977 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 1977-78 के रबी विपणन मौसम के दौरान कुल 49.00 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गयी है जबकि पिछले मौसम की उसी अवधि में वसूल की गई मात्रा 62.78 लाख मीटरी टन थी। 1976-77 मौसम के लिए गेहूं की वसूली का लक्ष्य 51.98 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था लेकिन चालू रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं की वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) यद्यपि पंजाब और हरियाणा के राज्यों में इस वर्ष गेहूं की वसूली पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक हुई है लेकिन अन्य राज्यों में अपेक्षाकृत कम वसूली होने के कारण कुल मिलाकर वसूली में गिरावट आयी है। ऐसा अंशतः गेहूं का मुक्त संचलन होने और केवल सहाय्य खरीदारी के अधीन खरीदारी करने की नीति के कारण हुआ है।

Construction Ofa big Dam On Sone River At Satna District In Madhya Pradesh

2502. Shri SukhendraSingh Will the Minister of **Agriculture And Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the implementation of the Scheme under which a big dam was to be constructed on the Sone river at Satna district in Madhya Pradesh for providing irrigation facilities to many districts in the State has been suspended due to some reasons ;

(b) if so, whether any work has been done so far in this direction and the expenditure incurred thereon ;

(c) whether an agreement has been entered into for making available water for irrigation to the other States also ; and

(d) the quantum of water to be made available to Madhya Pradesh for irrigation and the expenditure to be borne by Madhya Pradesh in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (d) : The Madhya Pradesh Government have proposed construction of a dam across the Sone river at Bansagar to irrigate 2.49 lakh ha. of area in Sidhi, Satna and Rewa District of Madhya Pradesh.

In September 1973, an agreement was reached among Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh according to which storage at Bansagar and the cost of dam and appurtenant works was agreed to be shared in the ratio of 2 : 1 : 1. With the storage of 4 million acre feet in the Bansagar reservoir, the quantum of water to be utilised by Madhya Pradesh would be two million acre feet.The cost of the dam that will be borne by Madhya Pradesh would be half the total cost of these works i.e. Rs. 27·82 crores.

The Govrnment of Madhy Pradesh have now suggested construction of a dam 150 kms. down stream of the Bansagar sate, waters of which are proposed to be used by Bihar and Uttar Pradesh to enable Madhya Pradesh to utilise the entire storage at Bansagar for irrigation and power generation. The proposal of Madhya Pradesh is being examined, in consultation with the officers of the three State Governments.

Madhya Pradesh Government have incurred an expenditure of Rs. 3·2 crores up to March, 1977 on preliminary works.

राज्य कृषि विकास बैंकों के साथ राज्य सहकारी बैंकों का विलय

2504. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सहकारी बैंकों और राज्य कृषि विकास बैंकों का विलय करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) व (ख) डा० आर० के० हजारी की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति ने अपल्कालीन तथा दीर्घ कालीन सहकारी ऋण संस्थाओं के एकीकरण की सिफारिश की है । समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार मांगे जा रहे है ।

गुड़-शक्कर बोर्ड

2505. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार एक गुड़-शक्कर बोर्ड बनाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जी नहीं ।

उत्पादन में वद्धि करने के लिये राहुड़ी कोआपरेटिव शूगर मिल्स लिमिटेड को लाईसेंस

2506. डा० बापू कालदते : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला, अहमदनगर (महाराष्ट्र) की राहुड़ी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड ने अपने उत्पादन को 3250 मीटरी टन से बढ़ाकर 6250 मीटरी टन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतू अनुरोध किया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र के चीनी निदेशक ने लाइसेंस देने का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने उत्पादन वृद्ध लाइसेंस के लिए मिल का दावा स्वीकार कर लिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चीनी निदेशक महाराष्ट्र की सिफारिशों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने पिराई क्षमता का 5000 टन तक विस्तार करने की सिफारिश की है। आवेदक चीनी मिल से कुछ सूचना मांगी गई है और सूचना प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

बाढ़ आयोग की नियुक्त

2508. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में बाढ़ आने के कारणों की जांच करने के लिए सरकार ने कोई बाढ़ आयोग नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग को अभी कार्य आरम्भ करना है और अथवा बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(घ) उनके मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान बाढ़ रोकने के लिए क्या उपाय किए है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : भारत सरकार देश में 1954 से हाथ में लिए गए बाढ़ सुरक्षा उपायों की संवीक्षा करने तथा बाढ़ नियंत्रण समस्या के लिए समन्वित समेकित एवम् वैज्ञानिक तरीके तैयार करने एवं ऐसी प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हुए, जिनको निकट भविष्य में कार्यान्वित किया जा सके, राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग स्थापित किया है। आयोग ने दिसम्बर, 1976 से कार्य करना आरम्भ किया था और उससे अनुरोध किया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट दो वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करे। आयोग का कार्य अभी तक प्रारम्भिक अवस्था में है और अभी तक इसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ;

(घ) बाढ़ सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के हाथ में सूने के लिए उनके अन्वेषण, परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और क्रियान्वयन के लिए काफी समय और साधनों की आवश्यकता होती है। बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय है इसलिए राज्यों में बाढ़ सुरक्षा स्कीमें शरु करने, उनका आयोजन और कार्यान्वयन करने का काम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। 1977–78 में राज्य योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए 69.20 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। लेकिन केन्द्र सरकार ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण कार्यों और कुछ प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रही है। केन्द्र ने देश के अधिकांश बाढ़ प्रवण बेसिनों के लिए बाढ़ पुर्वानुमान प्रणाली की स्थापना भी कर रही है ।

सीमांत कृषकों के लाभ हेतु योजना

2509. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री बसन्त साठे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमांत कृषकों के लाभ हेतु कोई योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सीमांत कृषकों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता वास्तव में सीमांत कृषकों को न मिलकर केवल बड़े कृषकों को मिली है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । लघु किसान विकास एजेंसी सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी नाम की योजना जो चौथी योजना में 87 परियोजना क्षेत्रों में आरम्भ की गई और पांचवीं योजना में 160 परियोजनाओं में बढ़ाई गई थी, के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों के सीमान्त किसानों के अलावा छोटे किसान तथा कृषि श्रमिक भी आते हैं ।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) भारतीय रिजर्व तथा चुनी परियोजनाओं के अन्य स्वतन्त्र संगठनों द्वारा अब तक किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से पता चलता है कि लघु किसान विकास एजेंसी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ने, यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए, लघु किसानों तथा कृषि श्रमिकों के अलावा, सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भारत सरकार द्वारा 160 लघु किसास विकास एजेंसियों को आरम्भ से लेकर 1976–77 के अंत तक 112.79 करोड़ रुपए का सहायक अनुदान दिया गया है । इस अवधि के दौरान एजेंसियों ने 112.70 करोड़ रुपए का उपयोग किया है ।

विवरण

चौथी योजना के दौरान एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 87 परियोजनाएं आरम्भ की गई थी जिससे कि कमजोर वर्गों अर्थात ग्रामीण इलाकों में छोटे किसानों, सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाया जा सके । परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए, छोटे किसान की परिभाषा में वे आते हैं जिनके पास 2.5 से 5.00 एकड़ की भूमि की जोतें हैं और सीमान्त किसान वे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम शुष्क भूमि की जोतें हैं । कृषि श्रमिक वे है जिनके पास आवासीय भूमि है और जिन्हें 50 प्रतिशत अथवा उसके अधिक आय कृषि व्यवसाय से होती है । श्रेणी 1 की सिंचित भूमि के मामले में सीमा शुल्क भूमि के लिए निर्धारित की गई सीमा की 50 प्रतिशत है । पांचवीं योजना

में परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 160 कर दी है इनमें चौथी योजना में आरम्भ की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रत्येक परियोजना से यह आशा की जाती है कि वह परियोजना अवधि के दौरान लगभग 50,000 लाभ भोगियों को अपने अन्तर्गत लाएं। प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में लघु किसान विकास एजेंसी नाम की एक एजेंसी छोटे, सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है। पांचवीं योजना अवधि के लिए ऐसी प्रत्येक परियोजना हेतु 150 लाख रुपए का परिव्यय है।

2. इन एजेंसियों के कार्य ये हैं: निर्धारित प्राचलकों के अनुसार भागीदारों का पता लगाना, उन्नत कृषि तथा सहायक धन्धों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना, संस्थागत स्रोतों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करना और क्षेत्र स्तर पर वर्तमान सरकारी विभागों तथा विस्तार संगठन के माध्यम से कार्यक्रमों को निष्पादित कराना। उन्नत कृषि कार्यक्रमों में ये शामिल हैं--भूमि विकास, भू-संरक्षण, लघु सिंचाई, बागवानी प्रदर्शन और नई तथा उन्नत किस्मों तथा सस्ती तरीकों की शुरुआत। सहायक धन्धों में ये शामिल हैं--डेरी, कुकुट पालन, सूअर पालन, भेड़ तथा बकरी पालन और मत्स्य पालन। पशु पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जाती है जिससे कि कृषि व्यवसायों से उनकी आय बढ़ाई जा स

3. लघुसत्व किसान विकास एजेंसियां विभिन्न योजनाओं की पूंजी लागत पर छोटे किसानों को 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को 33 प्रतिशत की सीमा तक सहकारी वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋण पर उपदान उपलब्ध करती है। यह उपदान वित्तदायी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है। सामुदायिक लघु सिंचाई कार्यों के मामले में, छोटे/सीमान्त किसानों को उनकी भूमि के अंश के बराबर पूंजी लागत पर 50 प्रतिशत के उपदान की अनुमति दी जाती है। सीमान्त किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों आदि की खेती आरम्भ करने हेतु बढ़ावा देने के लिए, एजेंसियां 100 रुपए प्रति फसल मौसम अथवा अधिक से अधिक 200 रुपए दो फसल मौसमों की सीमा तक निवेश उपदान (केवल पोटासिक तथा फासफेटिक उर्वरक पर) मंजूर करती हैं।

4. पांचवीं योजना के दौरान, परियोजना क्षेत्र में आधार-भूत सुविधाओं के प्रावधान का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, एजेंसियों को दूध, अंडे आदि जैसे पशु उत्पादों के लिए एकत्रीकरण तथा विपणन प्रबन्धों में आये छोटे निर्णायक अंतरों में आर्थिक सहायता देने की अनुमति दी गई है। प्रत्येक एजेंसी सहकारी संस्थाओं को परियोजना अवधि के दौरान कुल व्यय 10.00 लाख रुपए के भीतर रखते हुए ऐसी सुविधाओं के सृजन हेतु 50 प्रतिशत का उपदान उपलब्ध कराएगी एजेंसियों सहकारी बैंकों को अतिरिक्त अल्पकालीन ऋणों तथा कुल मध्यकालीन ऋणों पर 6 प्रतिशत और कुल दीर्घकालीन ऋणों पर 2 प्रतिशत जोखिम निधि भी मंजूर करती है ताकि उन्हें कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए बढ़ावा दिया जा सके।

5. चौथी योजना में स्थापित की गई 87 लघु किसान विकास एजेंसी परियोजनाएं जो 1971-72 में शुरू की गई थी, ने 1975-76 के अन्त में अपनी पांच वर्ष की परियोजना अवधि पूरी कर ली है। पूर्वोक्त परियोजनाओं की संख्या पांचवीं योजना में बढ़कर 160 हो गई है। इन सभी परियोजनाओं ने आरम्भ से लेकर 1976-77 के अन्त तक 122.76

लाख लघु/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों का पता लगाया था और इनमें से 50.77 लाख को सहकारी सोसाइटियों का सदस्य बनाया गया था। लगभग 4.76 लाख छोटे सीमान्त किसानों को खुदे कुओं, नलकूपों, पम्पसैटों आदि जैसी लघु सिंचाई योजनाओं से लाभ पहुंचा है। डेरी कुक्कुट पालन आदि जैसे सहायक धन्धों के कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 4.26 लाख भोगियों को लाया गया है। परियोजना क्षेत्रों में उन्नत कृषि व्यवहार्यताओं को अपनाकर 34.35 लाख तक छोटे सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचा था। सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों ने मिलकर पहचाने गए भागीदारों को वर्ष 1976-77 के दौरान 71.05 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण दिए थे। सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरम्भ से लेकर 1976-77 के अन्त तक दिए गए आवधिक ऋण, मध्य तथा दीर्घ-कालीन ऋण 184.61 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। भारत सरकार ने सभी 160 एजेंसियों को आरम्भ से लेकर 112.79 करोड़ का सहायक अनुदान दिया था और इस धनराशि में से उन्होंने 1976-77 के अन्त तक 112.70 करोड़ की धनराशि का उपयोग किया था। लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम के लिए पांचवीं योजना हेतु परिव्यय 174.50 करोड़ रुपए है। चालू वर्ष के लिए बजट प्रावधान 45.00 करोड़ रुपए है।

तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य योजना को जांच करने हेतु क्षेत्रीय समिति

2510. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य योजना की जांच करने हेतु क्षेत्रीय समिति को सम्बद्ध करने की सिफारिश की है :

(ख) क्या समिति ने विदयमान संस्थानों के एकीकरण तथा विकास, प्रयोगशालाओं तथा वर्कशाप उपकरणों आदि के आधुनिकीकरण के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मई, 1976 में अपनी बैठक में अपने अध्यक्ष को प्रत्येक राज्य अथवा कुछ राज्यों को मिलाकर विजिटिंग समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया ताकि वे समितियां सभी इंजीनियरी कालेजों और इंजीनियरी तथा प्रौदयोगिकी के विश्वविदयालीय विभागों को सुदृढ करने और उनका विकास करने के संबंध में समग्र मूल्यांकन कर सकें ये विजिटिंग समितियां अब नियुक्त की जा चुकीं है और वे उन्हें सौंपे गए कार्य को शुरू करेंगी।

कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

2511. श्री के० ए० राजन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कृषि भूमि की अधिकतम सीमा क्या है ;

(ख) क्या इस अधिकतम सीमा में और कमी करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बचनाला) :(क) कृषि भूमि की अधिकतम सीमा राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है। उनके विधान प्राय: राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धन्तों के अनुरूप होते हैं जिनमें यह तजवीज है कि श्रेष्ठ वर्ग की भूमि की (जिसमें सिंचाई की पूर्ण सुविधायें मौजूद हो और वर्ष में कम से कम दो फसलें देने योग्य हो) अधिकतम सीमा 10 और 18 एकड़ के बीच हो। निम्न वर्ग की भूमि के लिये अधिकतम सीमा बढ़ायी जा सकती है, किन्तु मरुस्थलों और पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतम सीमा 54 एकड़ सुझायी गई है।

ये अधिकतम सीमाएं 5 सदस्यों के परिवारों पर लागू की जानी है। "परिवार" शब्द में पति, पत्नी और उनके अवयस्क बच्चे शामिल हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक होने पर, 5 से अधिक प्रति सदस्य के लिए अतिरिक्त भूमि की अनुमति दी जा सकती है परन्तु उस परिवार को मिलने वाला कुल क्षेत्र 5 सदस्यों वाले परिवार के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा के दुगने से अधिक नहीं होना चाहिये। अधिकतम सीमा को लागू करने के लिए प्रत्येक वयस्क पुत्र को एक अलग इकाई माना जाना है।

(ख) तथा (ग) : जी नहीं।

चीनी का निर्यात और मूल्य

2513. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 से 1976–77 तक वर्षवार, कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की चीनी का निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1974–75 से 1976–77 तक देशीय तथा विदेशी बाजारों में (1) लेवी चीनी, (2) खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का वर्षवार, थोक तथा खुदरा मूल्य क्या क्या बिकने रहा ; और

(ग) क्या देश में चीनी के मूल्य कम करने के विचार से सरकार चीनी के निर्यात की मात्रा कम करने पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क) : वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1974–75	6.24	314.34
1975–76	11.88	468.48
1976–77	5.79	150.65

(ख) : I. **देशीय मन्डी**

(क) देश भर में इन वर्षो के दौरान उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 2.15 रुपये प्रति किलो है।

(ख) बम्बई, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता और मद्रास की पांच प्रमुख मंडियों में मुक्त बिक्री की चीनी के थोक मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

चीनी वर्ष	अधिकतम (रुपये प्रति क्विंटल)	न्यूनतम (उत्पादन शुल्क सहित)
1974–75	560	403
1975–76	550	398
1976–77 (25 जून, 1977 तक)	510	390

(ग) उपर्युक्त मंडियों में मुक्त बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

चीनी वर्ष	अधिकतम (रुपये प्रति किलोग्राम)	न्यूनतम (रुपये प्रति किलोग्राम)
1974–75	5.90	4.00
1975–76	5.50	4.00
1976–77 (25 जून, 1977 तक)	5.40	4.00

II. विदेशी मंडियां :

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, लंदन द्वारा चुनीदा देशों में 1974 और 1975 के लिए प्रकाशित मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

मूल्य यू० एस० सैंट प्रति पौंड में

देश	1974		1975	
	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा
(1) जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक	14.4	15.5	14.4	15.5
(2) स्वीडन	21.9	29.8	22.4	32.7
(3) कनाडा	39.8	41.5	29.1	37.0
(4) संयुक्त राज्य अमेरिका	32.3	34.4	—	37.16
(5) जोर्डन	—	22.2	—	80.0
(6) ट्यूनिशिया	17.2	17.7	17.2	17.7
(7) जापान	26.9	34.7	38.9	44.7
(8) बंगला देश	27.2	27.7	20.1	20.7
(9) सिंगापुर	13.9	14.8	19.1	19.7

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, लंदन ने 1976 और 1977 के लिए मूल्य प्रकाशित नहीं किए हैं।

(ग) पर्याप्त घरेलू मांग को पूरा करने, निर्यात के लिए उपलब्ध अधिशेष घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के स्तर जैसे निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों की निर्यात की मात्रा के बारे में निर्णय करते समय सरकार द्वारा बराबर समीक्षा की जाती है । हाल ही के महीनों में मुक्त बिक्री की चीनी की उदार निर्मुक्ति करने के कारण गत वर्ष में चल रहे मूल्यों की तुलना में मुक्त बिक्री की चीनी के वर्तमान मूल्य 20–72 रुपये प्रति क्विंटल तक कम हैं ।

Allotment of Accommodation to M.Ps. at Ashoka Road, Vishamhabr Das Marga and Gurudwara Rakabganj Road

2514. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Government officers living at Ashoka Road, Vishambhar Das Marg and Gurudwara Rakabganj Road ;

(b) whether a suggestion had been made earlier for allotment of these houses to Members of Parliament and Government had taken a decision that houses located at these places should be allotted to Member of Parliament only ;

(c) the number of persons living in these bungalows who are not Members of Parliament now and if so, the time by which these houses will be got vacated and

(d) the reasons for delay in getting these houses vacated and whether Government propose to get these bungalows vacated on priority basis so as to allot them to Members of Parliament?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Batnaik) : (a) 20.

(b) Such a suggestion was received long back, but was not accepted.

(c) and (d) : Seven. For non-vacation of the houses, eviction proceedings under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 had to be initiated against six of the unauthorised occupants. These proceedings take two to three months to complete. Five cases will mature for eviction during this month. In the sevent case, the occupant has requested for allotment of the house to him in his capacity as a press correspondent No decision has yet been taken on the request.

प्राचीन कला-वस्तुओं के व्यापारियों के लिए लाइसेंस

2515. श्री शिव सम्पती राम: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्राचीन कला वस्तुओं के व्यापारियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी समयावधि रखी गयी है ;

(ग) उनके लिए किन-किन वस्तुओं हेतु लाइसेंस लेना जरुरी हैं ; और

(घ) क्या निर्धारित समयावधि के भीतर लाइसेंस न प्राप्त करने वाले व्यापारियों को अपना यह व्यापार बन्द करने के लिए कहा जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति 2 अक्तूबर, 1976 के बाद बिना लाइसेंस के पुरावशेषों का विक्रय अथवा विक्रय के लिए प्रस्थापना नहीं कर सकता ।

(ग) सभी श्रेणी के पुरावशेषों के लिए, जैसा कि अधिनियम में पारिभाषित है ।

(घ) प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित तारीख के पश्चात् बिना वैध लाइसेंस के कारबार चलाना अवैध है । इस विषय में अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघन करना दंडनीय है ।

कोचीन में मत्स्य बन्दरगाह

2516. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में मत्स्य बन्दरगाह निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है , और

(घ) प्रस्तावित बन्दरगाह का निर्माण-कार्य कब तक शुरु हो जाने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) 1200 फीट की लम्बाई वाला एक घाट ;
(2) घाट के दक्षिणी किनारे पर 200 फीट का पक्का घाट ;
(3) जलमार्ग में तथा किनारे के साथ 20 फीट की गहराई तक ड्रेज ;
(4) भूमि अधिग्रहण ;
(5) 120 फीट के पानी के जहाजों को ठहराने की क्षमता वाला 'स्लिपवे' ;
(6) सड़क निकास नालियां, बिजली तथा पानी की सप्लाई जैसी तट सुविधाएं ;
(7) नीलामघर, पैकिंग हाल और अन्य भण्डारण सुविधाओं का निर्माण ।

(ग) इस परियोजना को जून, 1971 में 272.40 लाख रुपये की धनराशि पर मंजूरी दे दी गई थी । दिसम्बर, 1975 में भूमि अधिग्रहण के लिये 25.40 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी मंजूर की गई थी ।

(घ) यह कार्य 1971–72 के दौरान शुरू किया गया ।

"कपूरथला प्लाट"

2517. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि केरल शिक्षा संस्था द्वारा स्थापित केरल उच्चतर माध्यमिक स्कूल के अग्रेतर विकास के लिए कापरनिकस मार्ग, नई दिल्ली, स्थित 'कपूरथला प्लाट' का शेष भाग उसे दे दिया जाये, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान दखलकारों को वैकल्पिक वास देने के पश्चात् भूम का शेष भाग दे दिया जाएगा । वैकल्पिक आवास के निर्माण के लिए दिल्ली प्रशासन को भूमि भाग दे दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में सस्कारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस

2518. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पांच सहकारी चीनी कारखानें स्थापित करने के लिए लाइसेंस की समय सीमा बढ़ाये जाने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला (क) जी हां,

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

बाढ़ों को रोकने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

2519. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण फसल को भारी नुकसान होता है तथा बड़ी संख्या में जाने जाती हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्थक उद्देश्य के लिए बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा कार्यक्रम न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार फसलों, मकानों और जन-सुविधाओं को पहुंचने वाली क्षति के कारण देश में प्रति वर्ष अनुमानत: 200 करोड़ रुपए से अधिक की औसत हानि होती है । इसमें से लगभग 70 प्रतिशत हानि फसलों को होने वाली क्षति के रूप में होती है । प्रतिवर्ष औसत रूप से 761 व्यक्तियों और 51,470 पशुओं की जानें चली जाती हैं ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने नवम्बर, 1970 में हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजनाएं तैयार करनी चाहिएं और निर्माण-कार्यों का ऐसा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जो 1981 तक पूरा किया जा सके । राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के जून-जुलाई, 1972 में हुए छठे

सम्मेलन ने भी सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को जितनी जल्दी हो सके बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजनाएं तैयार करनी चाहिएं, प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों का अन्वेषण करना चाहिए और निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन और अनुरक्षण करने वाले संगठनों को सुदृढ़ बनाना चाहिए और पांचवीं योजना के दौरान बाढ़ सुरक्षा कार्यों की गति को बढ़ाने के लिए जोरदार कार्रवाई करनी चाहिए ताकि 1981 तक बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को सुरक्षा प्रदान की जा सके। ये सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेज दी गई थीं जिन्हें व्यापक योजनाएं तैयार करनी हैं। राज्य सरकारें इस समय व्यापक योजनाएं तैयार करने के लिए अन्वेषण कर रही हैं और आवश्यक आंकड़े आदि इकट्ठे कर रहीं हैं। असम और पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकारों ने व्यापक योजनाएं तैयार करने तथा समन्वित तथा कारगर तरीके से उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए विशेष संगठन स्थापित किए हैं। इसी प्रकार, गंगा बसिन के लिए केन्द्रीय सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करने और सबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन्हें चरणबद्ध और समन्वित तरीके से क्रियाजिवत कराने के लिए पटना में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है। राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए प्रस्तावों के ब्यौरे को राज्य सरकारों द्वारा व्यापक योजनाएं तैयार किए जाने और सापेक्ष प्राथमिकता निर्धारित किए जाने पर ही अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

इसी बीच, बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर होने वाले व्यय की गति में भारी वृद्धि की गई है और पांचवीं योजना में प्रस्तावित परिव्यय 345 करोड़ रुपये हैं जबकि चौथी योजना के अन्त तक 347 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया था।

भारत सरकार ने 1954 से किए गए बाढ़ सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और देश में बाढ़ नियंत्रण की समस्या के प्रति समन्वित, एकीकृत और वंज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने और ऐसी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए, जिन्हें निकट भविष्य में पूरा किया जा सके, एक राष्ट्रीय योजना तयार करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना भी की है।

शारीरिक विकलांग सस्थान के विद्यार्थियों की मांगें

2520. श्री रेणु पद दास :
श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सहित उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : विद्यार्थियों की मांगे जैसा कि उन्होंने समय-समय पर पुस्तिकाओं या अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा अभिव्यक्त की हैं, तथा प्रत्येक मांग के संबंध में जानकारी, सलग्न विवरण पत्र में दी गई है। हड़ताली विद्यार्थियों के प्रतिनिधि कई बार मुझे मिले हैं और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर विधिवत विचार किया जायेगा।

विवरण

1	2	3
	1. संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संबंद्ध किया जाना चाहिए और परीक्षाए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ही आयोजित की जानी चाहिये ।	दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ संस्थान को सबंद्ध करने का प्रश्न दीर्घकालीन उपाय है जो सम्थान पर निभर नहीं करता। प्रश्न में अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की संवीधा, अन्तग्रहण अहर्ताए तथा अध्ययन मंडल से संबंधित दूसरे मामले शामिल हैं। संस्थान ने पहले ही अध्ययन मण्डल की स्थापना की हुई है। केवल विश्वविद्यालय ही अन्तिम रूप से, इस प्रश्न पर निर्णय कर सकता है।
	2. प्रस्तावित परीक्षा के नियमों को समाप्त किया जाए ।	इन नियमों के बारे में, 'प्रस्ताव' रखा गया था और इसलिये किसी भी वस्तु को, जो केवल प्रस्ताव स्तर पर ही, समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। यह सत्य है कि प्रस्तावित नियमों का अभिप्राय प्रशिक्षण स्तर को ऊंचा उठाना है जिसके अन्त में विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होने में सहायता मिलेगी। फिर भी, कोई कार्यवाई करने से पहले अध्ययन मण्डल इन प्रस्तावित नियमों पर विचार करेगा।
	3 डिप्लोमा 3 वर्षीय शारीरिक औषधी एवं पुनर्वास की डिग्री में बदला जाए ।	यह तभी सम्भव है जबकि संस्थान विश्वविद्यालय के साथ संबंद्ध हो जाए और इस संबंध में सम्बन्वित प्राधिकारी अपना निर्णय लें।
	4. कम से कम लेक्चररों से मेडिकल कक्षाएं तत्काल चालू की जाए जिनमें सर्जिकल का उचित प्रदशंन हो ।	इस प्रयोजन के लिए यह संस्थान मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के डाक्टरों पर आश्रित है जिनकी इस कामों के प्रति विशेषरूचि नहीं है। फिर भी इस संबंध में 6 मई, 1977 को संस्थान की स्थायी समिति की बैठक में दीर्घ कालीन उपायों के बारे में विचार किया गया था और मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के प्राधिकारियों के साथ रूपरेखा तैयार की जा रही है। भरसक प्रयत्न करने से

1	2	3
		मेडिकल कक्षाएं प्रथम वर्ष के लिए 24 अप्रैल, 1977 और द्वितीय वर्ष के 10 मई, 1977 को शुरू की गई। यह दुर्भाग्य की बात है कि काफी कठिनाइयों के साथ मैडिकल कक्षाएं शुरू करने के पश्चात् छात्रों ने हड़ताल करने का रास्ता अपनाया।
5	लड़के और लड़कियों के लिए अलग होस्टल।	भूमि और धनराशि के अभाव के कारण होस्टलों के निर्माण के लिए संस्थान के पास कोई तात्कालिक योजना नहीं है।
6.	व्यवसायिक अध्यापन स्टाफ कम से कम स्नातकोत्तर होना चाहिए और समय सारणी का सख्ती से पालन करना चाहिए।	वर्तमान अध्यापन स्टाफ सुशिक्षित है। भारत में फिजियों तथा व्यावसायिक चिकित्सा में कोई स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है। फिर भी, संस्थान का नया निदेशक, जो पूर्ण कालिक कार्य करेगा और जिसने 21 मई, 1977 से संस्थान का कार्यभार संभाला है, अध्यापन स्टाफ की पर्याप्तता का मूल्यांकन करेंगे।
7.	पूरक परीक्षा की फीस किसी भी मामले मे 50 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।	अन्य बातों के साथ-साथ पूरक परीक्षा की फीस में कमी करने के प्रश्न पर भी अध्ययन बोर्ड द्वारा ही विचार किया जायेगा।
8.	छात्र संघ स्वतन्त्र होनी चाहिये, सरकार द्वारा वित्तपोषित एवं छात्रों द्वारा निर्वाचित होनी चाहिये।	यह ठीक तरह से समझ में नहीं आता कि "छात्र संघ स्वतन्त्र होनी चाहिए" से क्या तात्पर्य है। यह देखा गया है कि हाल हीं में प्रबन्धक के हस्तक्षेप के बिना संघ के पदाधिकारियों के लिये छात्रों का चुनाव हुआ था। स्पष्ट है कि संघ को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा सकती।
9.	सभी प्रकार की सत्र संबंधी छुट्टियां दी जाए।	साधारणतः कोई भी संस्था सत्र संबंधी छट्टियों के प्रबन्ध हेतु प्रयत्न करेगी लेकिन इस प्रश्न का संबंध कक्षाओं में नियमित उपस्थिति तथा मेडिकल कक्षाओं के प्रबन्ध से जुड़ा हुआ है।

10.	सप्ताह सप्ताहों के लिए गैरहाजिरी लगाने, कक्षा से बाहर निकालने जैसी सजाएं नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक परीक्षा के बाद विस्तृत अंक सूची प्रदान की जाए और कोई आन्तरिक मूल्यांकन न किया जाए।	ये बहुत छोटे मामले हैं जिनका समाधान बहुत सरलता से निदेशक द्वारा किया जा सकता है।
11.	इन्टरनीज को कुछ मिलना चाहिए और पर्याप्त कलीनिकल अनुभव हेतु आऊस जोब शरू की जानी चाहिए।	इस पर एक बार और अध्ययन बोर्ड द्वारा विचार किया जाना चाहिए लेकिन फिर भी यह एक दीर्घकालीन उपाय है।
12.	अध्यापन स्टाफ में परिवर्तन।	इस मांग पर आंशिक रूप से ऊपर निर्दिष्ट मद संख्या 6 पर विचार-विमर्श किया गया है। कुछ बैठकों में हड़ताली छात्रों ने भी यह मांग की थी कि आगे से अध्यापन स्टाफ को बदलना चाहिये लेकिन अध्यापकों की सेवा संबंधी शर्तों तथा अधिकारों पर विचार किये बिना ऐसे कदम नहीं उठाये जा सकते।

आवास के लिए वित्तीय सहायता

2521. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976–77 में आवास के शिए राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना जो कि केन्द्रीय क्षेत्र में है, के अतिरिक्त अन्य सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। सभी राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए जिसमें आवास भी शामिल है, केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को "समेकित ऋणों" तथा "समेकित अनुदान" के रूप में दी जाती है जो किसी योजना अथवा विकास शीर्ष विशेष से सम्बन्धित नहीं होती। राज्य सरकारें आवास सहित राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों के नियतन में अपनी आवश्यकता तथा प्राथमिकताओं के अनुसार स्वतन्त्र हैं। बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 1976–77 के दौरान 80.00 लाख रुपये (46.00 लाख रु० ऋण के रूप में और 34.00 लाख रुपये अनुदान के रूप में) दिए गए थे। बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत दिए गए केन्द्रीय समेकित सहायता और निधियों के अतिरिक्त, निर्माण और आवास मन्त्रालय ने वर्ष 1976–77 के दौरान राज्य सरकारों को उनकी विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के निष्पादन के लिए जीवन बीमा निगम से 17.75 करोड़ रुपये की राशि के ऋण का नियतन किया। इसके अतिरिक्त, 1976–77 में आवास तथा नगर विकास निगम ने भी आवास बोर्डों, स्थानीय निकायों आदि जैसे राज्य के अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई 71.74 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाओं के लिए ऋण मंजूर किए और 39.48 करोड़ रुपये की राशि मुक्त की।

कवर किए जाने वाले अतिरिक्त स्थान को नियमित करना

2522. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित सामुदायिक केन्द्र ईस्ट आफ कैलाश वाणिज्यिक समूह के कुछ प्लाट-धारियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए नक्शों का उल्लंघन करते हुए नीचे की छतों का निर्माण किया है और इस प्रकार कवर किया जाने वाला अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्राधिकारी निर्माण कार्य चरण में इस उल्लंघन को रोकने में असफल रहे थे, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अतिरिक्त स्थान से उन्हें अतिरिक्त किराया मिल रहा है; और

(घ) इन प्लाटधारियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक अथवा अन्य कार्यवाही करने का विचार है और यह कवर किया गया अतिरिक्त स्थान किस प्रकार से नियमित किया गया है अथवा किए जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । इसके विपरीत दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्माण के दौरान ही उल्लंघनों का पता चल गया था और निर्माण के दौरान जहां कहीं भी ऐसे उल्लंघन देखे गए सैनेटरी लाइन्स आदि के नक्शों को रद्द कर दिया गया ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अभी तक अतिरिक्त मेजानीन फर्शी क्षेत्र को नियमित नहीं किया गया है क्योंकि यह दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए भवन उपनियम और मानक नक्शों का उल्लंघन है । प्लाटधारियों को यह निदेश दिए गए हैं कि वे उल्लंघनों को ठीक करें ताकि वे मानक नक्शों के अनुरूप हो जाय । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई है ।

विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय बीज परियोजना का मूल्यांकन

2423. **डा० बापू कालदते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने हाल ही में राष्ट्रीय बीज परियोजना का मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया है;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि 'राष्ट्रीय बीज निगम की नई भूमिका की सम्भावित उपयोगिता का मूल्यांकन करना कठिन है . . . राष्ट्रीय बीज निगम के पास बहुत से कर्मचारी फालतू हो जायेंगे . . . ,

(ग) यदि हां, तो कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालने सम्बन्धी कोई नोटिस दिए गए हैं; और

(घ) तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, हां । विश्व बैंक ने मार्च, 1966 में एक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ।

(ख) मूल्यांकन प्रतिवेदन के सम्बन्धित उद्धरण, जिनमें राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारी-वर्ग के बारे में उल्लेख किया गया है, नीचे पुनः प्रस्तुत किये जा रहे हैं :--

"राष्ट्रीय बीज निगम की नई भूमिका का मूल्यांकन करना कठिन है. . . उत्तरदायित्वों में परिवर्तन होने से राष्ट्रीय बीज निगम के पास बहुत से कर्मचारी फालतू हो जाएंगे । कर्मचारियों को नई उद्भव होने वाली संस्थाओं में भर्ती करने के लिये हर तरह से प्रयास किया जाएगा परन्तु इसकी कोई गारण्टी नहीं हो सकती ।"

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अनुसरण में निगम के किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं गया है, हाल ही में निगम के 27 तदर्थ कर्मचारियों को, जिन्हें छह महीने वार्षिक आधार पर नियुक्त किया गया था और जिनकी सेवा की अवधि 30 जून, 1977 को समाप्त होनी थी, नौकरी से निकालने के लिये नोटिस दिया गया ।

राष्ट्रीय बीज निगम की बदली हुई स्थिति में, जिसके अन्तर्गत उसे बीज प्रमाणीकरण आदि कुछ क्रियाकलाप छोड़ने हैं और गैर-खाद्यान्न फसलों के बीजों के उत्पादन, अन्तर्राज्यीय विपणन, बफर स्टाकों के रख-रखाव, इत्यादि के लिये विस्तृत भूमिका निभानी है, इसके कर्मचारी-वर्ग की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है । इसके पूरे होने तक तदर्थ कर्मचारियों को दिए गए नोटिस वापिस ले लिये गए हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के लिये भारतीय समिति का प्रतिवेदन

2524. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष समिति ने फरवरी, 1976 में अपना सत्र समाप्त होने के पश्चात् अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विश्वविद्यालयों के पास पड़े हुए इलेक्ट्रानिक उपकरण

2525. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक आयोग द्वारा गठित किये गये अध्ययन दल ने पता लगाया है कि भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध 30 से 35 प्रतिशत इलेक्ट्रानिक उपकरण बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बहुमूल्य उपकरणों का उपयोग करने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां, श्रीमान् । इलेक्ट्रानिक्स आयोग द्वारा गठित एग्री-इलेक्ट्रानिक उपकरण के पेनल की सितम्बर, 1976 में प्रकाशित रिपोर्ट मे कहा गया है कि कृषि संगठनों में उपलब्ध समस्त उपकरणों के लगभग 30 से 35 प्रतिशत उपकरण निष्क्रय पड़े हैं ।

(ख) रिपोर्ट में केवल कुछ प्रमुख उपकरणों का ही विवरण दिया गया है, उन सभी उपकरणों का नहीं जिन्हें बेकार पड़ा हुआ बताया गया है ।

ये उपकरण अनेक कारणों से बेकार पड़े हैं जिनमें कुछ कारण हैं--अनुपयुक्त चयन, अधूरा प्रबन्ध, चलाने की जानकारी का अभाव, अपर्याप्त रखरखाव आदि ।

(ग) सरकार को इस स्थिति की जानकारी है । अधिकांश कृषि विश्वविद्यालयों ने इन उपकरणों के रखरखाव व मरम्मत के लिए अपने यहां पहले से ही उपकरण सेल स्थापित कर लिए हैं । अब इन उपकरणों के चयन, प्रबन्ध व उन्हें लगाने के मामले में सावधानी बरती जा रही है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इन उपकरण सेलों की स्थापना हेतु कृषि विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान दे रही है । इस समस्या पर मार्च, 1977 में हुई कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की गत बैठक में विचार विमर्श किया गया था और उसमें इलेक्ट्रानिक आयोग की सहायता से इस विषय पर शीघ्र ही एक ग्रीष्मकालीन संस्थान आयोजित करने का निर्णय किया गया था । कृषि विश्वविद्यालयों के विज्ञानी तथा तकनीशियन, ग्रीष्मकालीन संस्थान के दौरान, इन उपकरणों के संचालन, रखरखाव व अन्य पहलुओं का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

गृह निर्माण ऋण पर लगने वाले ब्याज दर को उदार बनाया जाना

2526. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को मिलने वाले गृह निर्माण ऋण पर ब्याज की दर अगस्त, 1975 से बढ़ा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जानती है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को भारी कठिनाई हुई है; और

(ग) क्या सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और ब्याज की दर उदार बनाएगी जिससे यह दर राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे सरकारी गारंटियों के समकक्ष आ जायें ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी हां । इससे पूर्व $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष समान ब्याज की दर थी । 6 अगस्त, 1975 से ये इस प्रकार परिशोधित की गई :--

(i) 25,000 रुपये तक की अग्रिम के लिए $6\frac{1}{2}$ प्र०श० प्रतिवर्ष ।

(ii) 25,001 रुपये से 50,000 रुपये के मध्य अग्रिम राशि पर 8 प्र०श० प्रतिवर्ष ।

(iii) 50,001 से 70,000 रुपये के मध्य अग्रिम राशि पर 10 प्र०श० प्रतिवर्ष ।

(ख) 25,000 रुपये या 25,000 रुपये तक अग्रिम लेने वाले कर्मचारियों के लिए ब्याज की दर में कोई वृद्धि नहीं थी। अन्यों के लिए दरों में संशोधन का अर्थ दरों में वृद्धि से है किन्तु स्लैब-रेट आधार पर उसी अग्रिम पर विभिन्न ब्याज की दरें ली जा रही हैं, समस्त ऋण पर देय औसतन ब्याज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले ब्याज से कम है। इस प्रकार 70,000 रुपये की उच्चतम अनुमेय राशि पर भी सामान्य ब्याज की दर 8.03 प्र०श० ही होगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह निर्देश दिया है कि अधिक ब्याज वाली राशि का समायोजन पहले किया जाये। अतः इससे ब्याज का भार और कम हो जाएगा।

(ग) आवास तथा नगर विकास निगम और अपेक्स कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी के ब्याज की दरों का अध्ययन किया गया। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए हडकों की ब्याज की दर को छोड़ कर जिसकी आमदनी 350 रुपये प्रतिमास अथवा इससे नीचे है और जिनके लिए ब्याज की दर $5\frac{1}{4}$ प्र० श० प्रतिवर्ष है, सरकार की ब्याज की दर इन वित्तीय संस्थाओं की ब्याज की दर की तुलना में अपने कर्मचारियों के लिए अधिक अनकूल है। बैंक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के होस्टलों के लिए सीमित मात्रा में तथा ग्रामीण आवास के लिए जिसके लिए ब्याज की दर कम है, को छोड़ कर आवास के लिए आम तौर पर ऋण नहीं देते। विभिन्न बैंक अपने कर्मचारियों को विभिन्न दरों पर, कुछ बहुत ही रियायती दरों पर, ऋण देते हैं परन्तु सरकार का इसे अपने ब्याज की दर के समकक्ष करने के लिए इसके पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 के अधीन अधिसूचना

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं श्री सिकंदर बख्त की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखे गये, देखिये सं० एल० टी० 590/77]

(2) स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 4226 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** सं० एल० टी० 591 77]

उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन, आदेश 1977, खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1977, भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 278 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 592 77]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 192 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 593 77]

(3) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(4) उपर्युक्त मद (5) में उल्लिखित पत्रों को (एक) सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब और (दो) उनके हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 594 77]

(5) भारतीय स्टेट फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 595/77]

*प्रतिवेदन 13 जून, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(6) राष्ट्रीय कृषि आयोग के निम्नलिखित अन्तरिम प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण)* की एक-एक प्रति तथा उनमें की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश :—

(एक) सामाजिक वानिकी

(दो) कृषि मूल्य नीति ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 596/77]

वर्ष 1974–75 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखे, पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के लेखे, वर्ष 1975–76 के लिए खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लायब्रेरी पटना का वार्षिक प्रतिवेदन ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 597/77]

(2) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त पत्रों का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(तीन) उपर्युक्त मद (2) (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 598/77]

(3) खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लायब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लायब्रेरी, पटना के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

---

*इन प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण क्रमश: 16 अगस्त, 1973 और 13 मार्च, 1975 को सभा पटल पर रखे गये थे ।

(12) खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लायब्रेरी, पटना के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(13) उपर्युक्त मद (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 599/77]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त तथा राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(14) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 210 77–सी० ई० और 211 77––सी० ई० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 4 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 600 77]

अनुदानों की मांगे 1977–78––जारी

कृषि और सिंचाई मंत्रालय, ––जारी

अध्यक्ष महोदय : कृषि और सिंचाई मंत्रालय के लिए 12 घंटे नियत किये गये थे । हमने 14 घंटे और 15 मिनट लगा दिये हैं । इस से नौवहन, नागर विमानन और योजना से सम्बन्धित मांगों पर अब चर्चा न हो सकेगी । यदि हमने और अधिक समय लगाया तो अन्य मांगों पर भी चर्चा न होगी । अब मंत्री जी से मैं उत्तर देने का अनुरोध करूंगा ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आपने आश्वासन दिया था कि एक नक्सलवादी लड़की को फांसी देने के मामले पर चर्चा की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो मामला उच्च न्यायालय में भी नहीं गया । जब तक उच्च न्यायालय सजा का अनुमोदन नहीं करता तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता । अन्तिम रूप से अभी फैसला नहीं हुआ है । (**व्यवधान**)

SHRI UGRA SEN (Deoria): Sir, The Minister should tell us about the action Central Government propose to take regarding construction of dams on Ghagra, Karnali rivers and at Bhalugaon and Pancheswar on rapt rivers?

अध्यक्ष महोदय। इसप्रकार तो आपलोग बोलते रहेंगे। कोई उन्हें रोक नहीं सकता। (**व्यवधान**)

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : इस मंत्रालय का पद-भार ग्रहण करने पर जिन सदस्यों ने मुझे बधाई दी है मैं उनका धन्यवाद करता हूं । कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर स्वस्थ आलोचना की है और कइयों ने अच्छे सुझाव दिये हैं । हम उन से लाभ उठायेंगे ।

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार खाद्यान्न और कृषि के मामले को राजनीति से ऊपर रखेगी । हम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे तथा कृषि में त्वरित विकास लाना और जन सामान्य के, विशेषकर निर्बल वर्गों के कल्याण का संवर्द्धन करना हमारा उद्देश्य होगा । कृषि का विकास निर्धनता का उन्मूलन करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों का विकास कार्य दृष्टि में रखते हुए ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में किया जायेगा । सरकार की नीतियां और कार्यक्रम उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति में बनाये जायेंगे ।

हमने विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उत्पादन, लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य बाधाओं का पता लगाने तथा उनके समाधान के प्रयास किये हैं । उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हमने उन स्थानों पर जहां सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, धान के संवर्धन गृह बनाने का कार्य आरम्भ किया है जिससे किसानों के लिए खरीफ की फसल काटने के बाद रबी की फसल बोने के लिए रोपण काल बढ़ाया जा सके ।

हम मोटे अनाज के उत्पादन की ओर भी ध्यान दे रहे हैं । ज्वार के मामले में हम सघन क्षेत्रों में अधिक उपज वाली ज्वार की खेती बढ़ाने के लिए कीटों और बीमारियों पर कारगर रूप से नियंत्रण करने के लिए कदम उठा रहे हैं । जहां तक मक्का का सम्बन्ध है उस का उत्पादन करने वाले मुख्य जिलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस उपाय किये जा रहे हैं । बाजरा का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है ।

जहां तक दालों और तिलहनों का सम्बन्ध है, इनकी कमी है तथा इनका उत्पादनब ढ़ाने की जरूरत है । इस दिशा में पिछली सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया । हाल ही में दालों, तिलहनों और कपास की उत्पादन समस्या का अध्ययन करने के लिए एक विशेष अन्तर विभागीय दल गठित किया गया है । इस दल ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक अल्पकालिक और मध्यम-कालिक उपाय किये हैं । हमने उन पर अमल करना शुरू कर दिया है ।

पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं । आसाम और त्रिपुरा में भारी वर्षा और बाढ़ आदि के कारण पटसन के उत्पादन में बहुत कमी हुई । पश्चिम बंगाल में देरी से बुआई हुई थी । सघन पटसन के जिला कार्यक्रम से उत्पादन में वृद्धि की आशा है ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी एक बुनियादी जरूरत है । बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष में 950 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । यह सच है कि कुछ मुख्य सिंचाई परियोजनाएं कुछ समय से लम्बित हैं । इनमें राजस्थान नहर, नागार्जुन सागर, कोसी और गंडक परियोजनाएं शामिल हैं । इन्हें शीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जायेंगे । थीन बांध के पूरा न होने से भी काफी पानी मार्च, 1970 से पाकिस्तान के पास जा रहा है । मैं शीघ्र ही इस विषय में मुख्य मंत्री सम्मेलन बुला रहा हूं । अन्तर्राज्य विवादों और मतभेदों को शीघ्र निपटाने की महत्ता पर भी कुछ सदस्यों ने बल दिया हैं । इनके हल के लिए मैं जोरदार प्रयास करूंगा । आशा है राज्य सरकारें भी हम से सहयोग करेंगी । सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जिन मामलों में न्यायाधिकरण गठित हो गये हैं उनको छोड़कर शेष परि-योजनाओं के पूरा होने में विलम्ब न हो ताकि लाभ प्राप्त होने लगे । न्यायाधिकरणों के सम्मुख विचाराधीन विवादों के सम्बन्ध में भी ये प्रयास किये जा रहे हैं कि पारस्परिक समझौतों से कुछ परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो जाये ताकि उनसे जनता को लाभ होने लगे ।

कई सिचाई परियोजनाएं पुरानी पड़ गई हैं और आधुनिक खेती की मांगों को पूरा नहीं कर सकतीं । इन में सुधार की बहुत जरूरत है ।

जहां तक बाढ़ों का सम्बन्ध है,सरकार ने इस समस्या की गहराई से जांच करने तथा बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ठोस प्रस्ताव देने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया है । गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग भी है । लेकिन बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं पर एकाकीपन में विचार नहीं किया जा सकता । इसे जल संसाधन के बहुद्देशीय विकास का एक अंग बनाना है । इस से उन नदियों के जल से, जो विनाश करती हैं, जन समुदाय को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जा सके ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सिंचाई नहरों के राष्ट्रीय कार्य और गंगा-कावेरी सम्पर्क, दस्तूर योजना आदि का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में प्रत्येक सुझाव पर तकनीकी, सामाजिक-आर्थिक तथा अन्य सभी पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए गम्भीरता से विचार किया जायेगा । केन्द्रीय सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में एक नया एकक बनाया गया है । राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार की जायें । इन योजनाओं की क्रियान्वित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ।

लघु सिंचाई, विशेषतया सतह जल विकास के महत्व के बारे में प्रश्न पूछा गया है । लघु सिंचाई कार्यक्रमों की भूमिका के महत्व को दृष्टि में रखते हुए इनके अधिकतम रूप में कार्यान्वयन पर बल दिया जा रहा है । सरकार क्षेत्र के परिव्यय के अलावा संस्थागत निधियों द्वारा लघु सिंचाई के लिए योजना परिव्यय को पुष्ट करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक कमांड का उल्लेख किया गया है । नहर प्रणाली के कमांड क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण करने की यह स्वीकृत नीति है ताकि सिंचाई की सघनता में वृद्धि हो और पानी के जमाव को नियंत्रण में लाने के लिए शारदा सहायक कमांड क्षेत्र में सतही जल सिंचाई को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ।

जैसा सदस्यों को ज्ञात है कि दशाब्दियों से चल रही योजनाओं के बाद भी अनेक गांवों में पेय जल की कमी है । कुछ समय पहले बताया गया था कि 1.16 लाख गांवों में पेय जल उपलब्ध नहीं है । पीने के पानी की कमी मुख्यत: सदैव सूखाग्रस्त रहने वाले तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहती है । केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा भूमिगत जल की खोज का कार्य किया जा रहा है । इस कार्य के लिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पीने के पानी की सप्लाई कम है ।

एक प्रस्ताव किया गया है कि ऊसर भूमि को फिर से खेती योग्य बनाकर उसमें खेती कार्य किया जाये । हमारा अनुमान है कि भूमि में खारे और नमक की स्थिति पैदा होने से लगभग 70 लाख हेक्टेयर उपजाऊ भूमि ऊसर हो गई है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाल ही में विकसित नई प्रोद्योगिकी द्वारा 7 करोड़ रुपये के परिव्यय से 64,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त 1.20 लाख हेक्टेयर अम्लीय भूमि के सुधार के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

उत्पादिता के भारी अंतर को कम करने तथा सिंचित और असिंचित क्षेत्रों वाले किसानों की आय में विषमता दूर करने के लिए भारत सरकार ने शुष्क खेती का एक कार्यक्रम शुरू किया है। 12 राज्यों में 24 मार्गदर्शी परियोजनाएं लागू की जा चुकी हैं और ये परियोजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शुष्क भूमि अनुसंधान केन्द्रों के निकट हैं। व्यापक रूप से प्रदर्शनी करके तथा किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे आधुनिक तथा स्वीकृत तरीकों को अपनाएं। इसके अतिरिक्त 74 सूखाग्रस्त जिलों में अधिकतम भूमि का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा हैं । यह प्रयास किया जा रहा है कि भूमि पर सूखे का अधिक कुप्रभाव न पड़े ।

कई माननीय सदस्यों ने किसानों को ठीक समय पर अच्छी किस्म के बीजों की सप्लाई करने के महत्व का उल्लेख किया है । मंत्रालय ने किसानों को ठीक समय पर तथा उचित मूल्यों पर अधिक उपज देने वाले बीजों को उपलब्ध करने के लिए कई कदम उठाये हैं। जिन राज्यों में अच्छे बीज उत्पादन की अनुकूल कृषि दशाएं हैं उन्हें बीज उद्योग का विकास करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें राज्य बीज निगमों की स्थापना करने के लिए कहा जा रहा है । इससे प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के बीजों का उत्पादन किया जायेगा।

कृषि उत्पादिकता को बढ़ाने में उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है । पहले उर्वरकों के अभाव के बारे में शिकायतें की जाती थीं। हर्ष की बात है कि नियमित प्रयासों के फलस्वरूप यह समस्या काफी हद तक हल हो गई है। हाल के वर्षों में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नाइट्रोजन तथा फास्फेट वाले उर्वरकों का उत्पादन 1974–75 में 15.18 लाख टन था जो कि 1976–77 में बढ़कर 23.8 लाख टन हो गया। जो कुछ कमी रह जाती है उसे हम आयात द्वारा पूरी कर लेते हैं। आशा की जाती है कि हम शीघ्र ही अपनी जरूरत स्वदेशी निर्मित उर्वरकों से पूरी कर लेंगे ।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हम अच्छे किस्म की उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक दवाइयां किसानों को सप्लाई करने के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम सभी राज्यों में इसी योजना के दौरान 36 उर्वरक किस्म नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करने जा रहे हैं। जहां तक उर्वरकों के मूल्यों के स्तर का सम्बन्ध है, हम निश्चय ही इन मूल्यों की समीक्षा करेंगे किन्तु हाल ही में खरीफ की फसल के लिए उनमें समायोजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कुछ सदस्यों ने जनजाति तथा पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरकों की सप्लाई करने की समस्या का उल्लेख किया है । चूंकि वहां रेल मार्गों की सुविधा नहीं है, अतः उन क्षेत्रों में उर्वरक सड़क यातायात द्वारा पहुंचाना पड़ता है ।

अधिक उपज वाली फसलें उगाने से पौधा संरक्षण उपायों का बहुत महत्व बढ़ गया है। हर्ष का विषय है कि गत कुछ महीनों में कीटनाशक दवाइयों के मूल्यों में गिरावट आई है।

कुछ सदस्यों ने कृषकों को विशेषकर कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋण की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार का मुख्य प्रयास यह है कि संस्थागत ऋण

की राशि में वृद्धि की जाये ताकि मूल स्तर पर समेकित ऋण ढांचा बनाकर सेवाओं के स्तर में सुधार किया जा सके ताकि किसानों को आवश्यक धन, सेवाएं तथा सप्लाई ठीक समय पर की जा सके। सरकार का ध्येय कृषक समुदाय के कमजोर वर्ग को सहायता पहुंचाना भी है। सहकारी समितियों द्वारा दिया जाने वाला अल्पावधि फसल ऋण वर्ष 1977–78 तक 1200 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा। आशा है कि दीर्घावधि ऋण की राशि इस वर्ष 410 करोड़ रुपये हो जायेगी। कृषि ऋण देने वालों में वाणिज्यिक बैंकों का दूसरा स्थान है।

कृषि ऋणों की सप्लाई बढ़ाने के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक भी रियायती दरों पर ऋण देता है। बैंक अल्पावधि ऋणों पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करते हैं।

ग्रामीण समाज के आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन में भूमि सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि सुधार सम्बन्धी नीति कई वर्ष पूर्व बनाई गई थी और राज्यों ने इस नीति के अनुसार विधान भी तैयार किए। कई सदस्यों ने शंका व्यक्त की है कि भूमि सुधार की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि भूमि सुधार की ओर तत्काल ध्यान दिया जाये। यद्यपि विधान बनाये गए किन्तु उनका कार्यान्वयन उतने सशक्त ढंग से नहीं किया गया, जितना कि किया जाना चाहिए था।

जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है कि हम फालतू भूमि भूमिहीन लोगों में बांट देते है किन्तु केवल उन्हें भूमि देने से ही कुछ नहीं होगा, इसके लिए उन्हें इस योग्य बनाना पड़ेगा ताकि वे अपनी भूमि पर कृषि कार्य कर सकें। भूमि विकास तथा अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता करेगी। इस वर्ष हम ने इस कार्य के लिए 7.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य ऋण संस्थाओं से भी इसके लिए धन की व्यवस्था की जाएगी।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अनुभवों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जोतों की चकबन्दी उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। सिंचाई परियोजनाओं के सभी कमांड क्षेत्रों में जोतों की चकबन्दी के लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है। यह कार्यक्रम भूमिगत जल संसाधनों की खोज, उचित वितरण, जल और अन्य कृषि सामग्री के उपयोग में सहायक होगा।

कई माननीय सदस्यों ने अनुसंधान के महत्व पर बहुत अधिक बल दिया है। अनुसंधान द्वारा कम से कम भूमि में अधिकाधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सकती है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। जबकि हमने इस वर्ष कृषि अनुसंधान के आवंटन में वृद्धि की है फिर भी देश में किया जाने वाला समग्र अनुसंधान हमारी मुख्य फसलों, खेती के काम में आने वाले पशुओं और आंतरिक तथा तटीय मत्स्य उद्योग की विशाल और विभिन्न समस्याओं के अनुरूप नहीं है। इस वर्ष हम दालों, तिलहनों और छोटे तथा मध्यम रेशे वाली कपास के बारे में अनुसंधान पर अधिक बल देंगे। कृषि आस्तियों जैसे मिट्टी, पानी, पशु, पौधे इत्यादि के संरक्षण की ओर समुचित ध्यान दिया जायेगा।

जहां तक मत्स्य क्षेत्र के विकास का सम्बन्ध है, सरकार ने मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने, उनके भंडारण, उनके परिष्करण और उनकी बिक्री के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण उपाय किये हैं।

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

चालू वर्ष के दौरान मत्स्य विकास के लिए परिव्यय में तिगुनी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन निधि की उपलब्धता को मत्स्य उद्योग के विकास में बाधक नहीं बनने दिया जायेगा।

कुछ सदस्यों ने बड़े पैमाने पर वन रोपण की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करने का प्रश्न विचाराधीन है। व्यवस्थित वन रोपण, कटाई, वन उत्पादों को निकालना तथा बेचना तथा उद्योग की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए 13 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में वन विकास निगम बनाये गये है। वन ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें वनों से रोजगार तथा अनुपूरक आय ही नहीं मिलती अपितु इनके दैनिक जीवन में ईंधन की आवश्यकता भी पूरी होती है। सामाजिक वन कार्यक्रम के अन्तर्गत फालतू भूमि में बागान लगाये जा रहे हैं। राजस्थान नहर में भी वन रोपण की एक योजना आरम्भ की गई है। किसानों, व्यक्तिगत लोगों तथा विभिन्न संस्थाओं को बड़े पैमाने पर पौधे उपलब्ध किये जा रहे हैं। एक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये इस सुझाव को भी मैंने ध्यान में रख लिया है कि अन्य पेड़ों की तरह फलों के वृक्ष भी लगाये जायें। नदी, घाटी परियोजनाओं के ऊपरी तटों में मिट्टी संरक्षण तथा वनरोपण का एक समेकित कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। इसके लिए हम पहले की भांति वन-महोत्सवों का भी आयोजन करेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मुर्गी-पालन के विकास की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। हम ग्रामीण विकास में इस कार्यक्रम के महत्व को स्वीकार करते हैं। हमने मुर्गी पालन द्वारा छोटे एवं सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की आय में वृद्धि करने के लिए कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसान के घर पर उपादानों तथा वस्तुओं को पैकट रूप में पहुंचाने की व्यवस्था की है।

देश के सामने बेरोजगारी की मुख्य समस्या है। इस समस्या को यथासंभव न्यूनतम समय के अन्दर दूर करने की आवश्यकता को मानते हुए सरकार ने चालू वर्ष में नई पहल की है। आधार भूत ग्रामीण ढांचे को मजबूत बनाने तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजनाएं तैयार करने हेतु कुछ बजट व्यवस्थाएं की हैं। इनमें से एक योजना स्थानीय लोगों के सहयोग से गांवों में सड़कें बनाने के बारे में है। स्थानीय संसाधनों तथा राज्य सरकारों से अतिरिक्त सहायता लेकर गांवों में सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए चालू वर्ष में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने के बारे में केवल सोचने से काम नहीं बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करके और विशेषकर छोटे तथा सीमान्त कृषक एवं खेतिहर मजदूरों के लाभार्थ गांवों में काम आने वाली वस्तुओं को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी है तथा समेकित ग्रामीण विकास योजना को नया रूप दे रही है। ताकि यह ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का सही अर्थों में साधन बन सके।

देश की खाद्यान्न सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक है। देश के सभी भागों में अनाज उपलब्ध है। अप्रैल, 1977 से अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ है। इसका श्रेय नई सरकार को जाता है। सरकारी एजेन्सियों की कार-गुजारी से 1976–77 की फसल में 1 करोड़ टन अनाज की वसूली होने की संभावना है। इतने बड़े भंडार के रहते सरकार वर्षा न होने के कारण अगले वर्ष उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है।

पिछले कुछ सप्ताहों में देश के कुछ भागों में अनाज के मूल्य में वृद्धि हुई है। हम इस पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं और अनाज का मूल्य उचित स्तर पर रखने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

अनेक सदस्यों ने उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने पर जोर दिया है। सरकार की मल्य नीति का मुख्य उद्देश्य किसान को लाभकारी मूल्य देना है। हमने गेहूं का वसूली मूल्य पहले ही 5 रुपये बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि खाद आदि के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। वसूली मूल्य से मूल्यों को न गिरने देने के लिए बड़ी मात्रा में वसूली की गई है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि व्यापारियों द्वारा अनाज के लाने-ले-जाने पर से भी प्रतिबन्ध हटा दिये जायें। इस समय धान और चावल के अलावा किसी भी अनाज के लाने-ले-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। धान और चावल के सम्बन्ध में सितम्बर में खरीफ की फसल की मूल्य नीति निर्धारित करते समय कोई निर्णय लिया जायेगा।

अनाज का बहुत बड़ा भंडार रखना अधिक खर्चीला काम है तथा इससे अनेकों समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। किन्तु क्योंकि इसका रखना कृषि अर्थ-व्यवस्था और देश की अर्थ-व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसलिए भंडार बनाने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार करना होगा और उनके हल के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे।

चीनी सम्बन्धी नीति का उल्लेख करते हुए कुछ सदस्यों ने कहा है कि चीनी पर से नियंत्रण हटा दिया जाये। चीनी सम्बन्धी नीति निर्धारित करते समय सरकार को गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं और इस उद्योग के हितों को ध्यान में रखना होगा। सरकार इन सब पहलुओं पर विचार करके एक नीति का निर्णय करेगी, तथा वह देश के लिए लम्बे समय तक हित में होगी और इससे गन्ने और चीनी दोनों का उत्पादन बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखूंगा।

कुछ माननीय सदस्य **खड़े हुए।**

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा समाप्त हो चुकी है और मंत्री जी ने यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं। अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव पेश किये गए और अस्वीकृत हुए।

The Cut Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि मंत्रालय की वर्ष 1977-78 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुईं।

The following Demands for Grants of Ministry of Agriculture in respect of year 1977-78 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु० Rs.	रु० Rs.
1.	कृषि विभाग Department of Agriculture	1,65,82,000	
2.	कृषि Agriculture	135,70,33,000	272,72,02,000
3.	मीन उद्योग Fisheries	15,38,22,000	9,94,47,000
4.	पशुपालन और डेयरी विकास Animal Husbandry and Dairy Development	35,84,02,000	7,87,00,000
5.	वन Forest	16,09,03,000	1,93,33,000
6.	खाद्य विभाग Department of Food	381,99,58,000	28,23,32,000
7.	ग्रामीण विकास विभाग Department of Rural Development	105,96,02,000	11,86,14,000
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग Department of Agricultural Research and Education.	5,09,000	..
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय Payments to Indian Council of Agricultural Research	37,39,50,000	..
10.	सिंचाई विभाग Department of Irrigation	15,76,01,000	4,94,51,000

अनूदानों की मांगें 1977-78
DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78

रक्षा मन्त्रालय

Shri P.V. Narasimha Rao (Honom Konda) : In this House we have a very good tradition of keeping defence above party politics. All parties will uphold this healthy tradition in future as well.

In our childhood we were taught that our frontiers were impregnable. It was thought that no one could come from accross the Himalayas in the North and that the existence of oceans on the other three sides had given our country complete security. But this does not hold good today. It is a matter of great satisfaction that we have formulated our defence policy in accordance with the changed situation and we are going ahead with it.

The Minister of External Affairs had recently stated that our foreign policy was based on non-alignment. In our opinion non-alignment to be effective, should also mean non-dependence on foreign assistance. If we continue to take aid from some quarter it will be incompatible with our policy of non-alignment. Therefore, if we wanted to carry forward the policy of non-alignment, we would have to give up dependence on others.

So far as defence is concerned, it is correct that cent per cent self-reliance is not possible and therefore it would be meaningless if we try for it. Even then, we must try to achieve as much self-reliance as is possible. If we accept some material from any quarter we should also be in a position to give something in return.

It was also the logic of our foreign policy that we became self-reliant as early as possible and we raised our industrial potential for this purpose. There was no alternative but to raise our industrial potential in order to achieve self reliance on a long term basis. We had to produce in our own country these materials which were necessary to attain self-sufficiency.

So far as our defence policy is concerned, it appears that our attitude had been too negative. We get disturbed at minor incidents in our neighbouring countries. It was not proper. to work on the basis of such reaction-oriented policy. It was not fair that a country as big as ours was not in a position to play a positive role in world affairs. The problem like Diego Garcia could be easily solved if we were in a position to shoulder responsibilities in the Indian Ocean. So long as we did not lay down a comprehensive strategy for Indian Ocean Zone, we would only be regarded as a localised power, though we have a potential to become a major power in this area.

In regard to defence, we were generally too much apologetic for incurring expenditure on it. Whatever expenditure was required for defence purposes, it should not be slashed down. We should not be hasitant to spend on defence because it benefited the entire nation. Our defence production Units had created an atmosphere of industrialisation in the country. One could not see any justification for slashing down the demands for defence by Rs. 58 crores. If this amount was used for constructing the hous s for jawans, nobody would object to it.

The report of the Ministry did not present a clear picture about nuclear capability. It had been said even earlier that secretiveness is on the increase but the Minister should take the House into confidence and state the factual position in this regard. We were being prevented to join the nuclear club, but without involving into any controversy, we should increase our strength. ;

As regards our defence production, we had to adhere to perspective planning and a time-bound programme should be drawn up to manufacture sophisticated equipment. Nothing specific had been mentioned in the report in this regard.

So far as our defence production is concerned, we have to adhere to perspective planning. A time-bound programme should also be drawn up for manufacturing sophisticated equipments. There is no mention about this in the report of the ministry.

As regards servicemen it has been said that there is no land to be allotted to them. Certain states have provided by law that in the allotment of land which is in excess of ceiling, ex-servicemen will be given priority. The Central Government should issue directives to all the State Governments to take up follow up action in that regard. Those states which have not made such a provision should be asked to enact legislation to that effect. Efforts should also be made to see that reservation made for them are allowed to them in all the States. I hope Government will pay necessary attention towards the suggestions given by me.

रक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
22	1	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	रक्षा सेवाओं के लिये नियतन में 56 करोड़ रुपये की भारी कटौती।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	21	श्री पी० के० कोडियान	रक्षा योजना बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 100 रुपये कर दी जाए।
,,	22	,,	तीनों सेवाओं की मुख्य हथियार प्रणालियों और उपकरणों की आवश्यकता के डिजाइन, विकास और उत्पादन के देशीकरण में तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	,,
,,	23	,,	तीनों सेवाओं के मुख्य उपकरणों के लिये फालतू पुर्जों के देशीकरण की समस्या को सर्वोत्तम महत्व देने की आवश्यकता ताकि उनकी सप्लाई के लिये विदेशी स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े।	,,
,,	24	,,	आयुध कारखानों तथा सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता।	,,
,,	25	,,	आयुध कारखानों तथा सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के कार्यकरण तथा प्रबन्ध में कर्मचारियों का अधिक कारगर योगदान सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
22	26	श्री पी० के० कोडियान	रक्षा सेवाओं के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित सामान का उचित निरीक्षण कराने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 100 रुपये कर दी जाय।
23	27	,,	थल सेना में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के बीच विषमता कम करने की आवश्यकता।	,,
,,	28	,,	थल सेना के निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिये अधिक रिहायशी मकानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	29	,,	भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये कारगर तंत्र बनाने की आवश्यकता ताकि भ्रष्टाचार के मामलों का भण्डाफोड़ करने वालों को संरक्षण प्रदान किया जा सके।	,,
,,	30	,,	सैनिकों और उनके परिवारों के लिये कल्याण उपायों में सुधार और उनका विस्तार करने की आवश्यकता।	,,
,,	31	,,	थल सेना के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बीच सामाजिक पृथकता दूर करने की आवश्यकता।	,,
,,	32	,,	भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये इस समय उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं की जांच करने और उनमें सुधार का सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकत ताकि भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम सहायता दी जा सके।	,,

1	2	3	4	5
23	33	श्री पी० के० कोडियान	मैस तथा मनोरंजन के मामले में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बीच विषमताएं दूर करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 100 रुपये कर दी जाय।
,,	34	,,	भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों और अभ्यावेदनों को निपटाने में होने वाली देरी समाप्त करने में असफलता।	,,
24	35	,,	नौ सेना के लिये कारगर वायु अंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	36	,,	नौ सेना के बढ़े हुए समुद्री कार्यों और उत्तरदायित्वों को दृष्टि में रखते हुए नौ सैनिक बेड़े के विस्तार के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	37	,,	वायु सेना को दूर तक मार करने वाले विमान उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	,,
,,	38	,,	वायु सेना में एक कारगर परिवहन प्रभाग बनाने की आवश्यकता	,,
,,	49	,,	अनेक रक्षा उत्पादन एककों में रक्षा कर्मचारियों को कार्मिक संघ अधिकारों से वंचित रखना।	,,
,,	50	,,	उन आयुध कारखानों, वर्कशापों तथा एम० ई० एस० को जहां कार्यभार कम हो गया है, अधिक कार्य देने की आवश्यकता।	,,
,,	51	,,	रक्षा एककों के कर्मचारियों को जिनकी सेवायें विशेष शक्तियों	

1	2	3	4	5
			या अस्थायी सेवा नियमों के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई थीं, बहाल करने की आवश्यकता ।	
,,	52	,,	आयुध कारखानों के पर्यवेक्षी तथा अन्य सम्बद्ध श्रेणियों के वेतन-मानों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता ।	,,
	53		आयुध कारखानों तथा अन्य रक्षा उत्पादन एककों में बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध सुनिश्चित करने के लिये स्थायी वार्ता तंत्र को बहाल करने की आवश्यकता ।	,,

Shri Yagya Datt Sharma (Gurdaspur) : It is the Defence Committee of the Cabinet in our country that consider all defence affairs earlier but since the emergency, the political committee of the cabinet has been assigned that task. It is hoped that the Defence Minister will reactivise this Defence Committee of the Cabinet.

Necessary measures should be taken to bring about greater coordination among the three wings of defence services. If a fourth post of Chief of Staff is created to bring about that coordinatjon, it will create more healthy conditions. Then, the present term of Chiefs of staff is three years. If it could be raised to four years it will be advantageous from the view point of individual efficiency, originality and new direction of thinking.

It is not correct to say that nothing has been done in the field of defence production. We have made remarkable progress in that field, but it is unfortunate that scientists and technocrats in our country received no encouragement.

We should take some revolutionary measures to speed up our defence production. A high standard in defence production should be set up. We should also remain vigilant to see that some vested interests do not affect our policy of giving encouragement to defence productjon.

It is without basis to say that our defence forces have not delivered goods. In fact, they have shown to the world that they have strategy and leadership of the highest order. However, we have to take into account the realities of the situation and all efforts have to be made to strengthen the power of our naval and air forces.

Jawans of the armed forces should be given all facilities to maintain their standard of physical health. Then, social security must also be provided to ex-servicemen. Some definite plan should be chalked out in this regard to help the ex-servicemen.

It is high time for us when we can make an important place for us in the Arabian sea.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा): पहले हमें अपने व्यय पर ध्यान देना है । यदि हम बजट को देखें तो ज्ञात होता है कि अधिक व्यय रखरखाव पर होगा । दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन, नये विकास, नये पूंजी उपकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से आने वाली चुनौतियों

[श्री डी० डी० देसाई]

का सामना करने के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया गया है । 275 करोड़ की राशि में एक सीमित व्यवस्था की गई है । मेरा सुझाव है कि एक समिति बनाई जाए जिस में हमारे सेवानिवृत्त स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मानकशाह को भी शामिल किया जाए, जो यह देखें कि पड़ौसी देशों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर हो । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए की हमारी लड़ने की शक्ति बेहतर हो । हमें इस को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि युद्ध होता है, तो हम शत्रु को कैसे खदेड़ सकते हैं । इस बारे में पूरा-पूरा ध्यान किया जाना चाहिए ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक वायु सेना का सम्बन्ध है, पाकिस्तान की स्थिति हम से कहीं बेहतर है । उनके पास हम से अधिक आधुनिक विमान हैं । हमें परम्परागत दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, अपितु हमारे पास आधुनिकतम उपकरण होने चाहिएं जिन से हम शत्रु का मुकाबला कर सकें । हमें हर प्रकार से व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । यदि रखरखाव पर अधिक व्यय होता है, तो उस मामले में पुरानी वस्तुओं का परित्याग करना बेहतर होगा । जैसाकि हमारे पास कुछ पुराने कैनवरा और हंटर हाज हैं रखरखाव के उद्देश्य से हमारी लेखा पुस्तकों में उनको हमेशा दर्ज किया जाता है । हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनको बनाए रखना क्या हमारे हित में है ?

हमें अपनी रक्षात्मक और मारक शक्ति का सामरिक अध्ययन से मूल्यांकन करना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में अवश्य सतर्कता बरतेंगे ।

पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है । उसकी कुल जनसंख्या और कुल राष्ट्रीय उत्पादन हमरी कुल जनसंख्या और कुल राष्ट्रीय उत्पादन का दसवां भाग है, लेकिन उनकी सैन्य क्षमता हमारे बराबर है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । हमारे पास 25 डिवीजन हैं और उनके पास 13 डिवीजन हैं । हमारे 10 डिवीजन माऊंटेन डिवीजन आदि बन्द पड़े हैं और इस प्रकार वास्तव में हमारे पास उनके 13 डिवीजन की तुलना में केवल 15 ही डिवीजन हैं । इस तरह हम उनसे केवल नाम मात्र ही बेहतर हैं ।

नैट लड़ाकू विमान को "अजीत" में बदला जा रहा है । हम आशा करते है कि "अजीत" की क्षमता हमारी अपेक्षताओं से बहतर होगी । हमारे पास भेदक लड़ाकू विमानों की कमी है । हमने देखा है कि पिछली बार फेंटम से वे बम्बई और कई अन्य नगरों पर मार कर रहे थे । अतः मेरा सुझाव है कि हमें अधिक प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण करना चाहिए । भारत डायनमिक्स द्वारा बनाए जाने वाले प्रक्षेपणास्त्र इस प्रकार के आक्रमणों का सामना करने में समर्थ नहीं है । क्योंकि लक्ष्य पर बिल्कुल ठीक निशाना बांधने के लिए हमारे पास आवश्यक उपकरण अथवा इलक्ट्रानिक्स डिवाइस और मार्गदर्शन नहीं है । हमारे देश का आधार भूत ढांचा बहुत शानदार है । हमने इंटेगरेटिड सर्किट्स का निर्माण पहले ही कर लिया है । हमारे पास अपार जन क्षमता है । जिस का प्रयोग किया जा सकता है ।

दुर्भाग्यवश हमारे लड़ाकू सैनिकों और गैर-लड़ाकू कर्मचारियों का संतुलन ठीक नहीं है । हमारे लड़ाकू सैनिकों की संख्या कम है और प्रशासनिक कर्मचारियों की भरमार है। प्रशासनिक नियंत्रण को ढीला किया जाना चाहिए और रक्षा सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए निजी और सरकारी उद्योगों की सहायता ली जानी चाहिए ।

आज विश्व में क्रूज प्रक्षेपणास्त्रों का विकास हो चुका है । उनके सम्बन्ध में काफी आधार सामग्री भी उपलब्ध है । क्रूज प्रक्षेपणास्त्र एंटीना के साथ नीचे की ओर जा सकते हैं और वे नक्शे भी ठीक तरह से पढ़ कर बिल्कुल लक्ष्य पर निशाना बांध सकते हैं । हम अपने देश में भी इनका विकास कर सकते है । यह पांच दस वर्ष का मामला है, परन्तु इसके अनुसंधान और विकास हेतु कुछ राशि आवंटित की जानी चाहिए ।

जैसा कि आप को ज्ञात है विश्व में आधुनिक इलैक्ट्रनिक उपकरणों का विकास हो चुका है और हम भी उन का उपयोग कर रहे है । हमें अपनी पनडुब्बियों और वायुयानों के लिए उनकी जरूरत है । उनके निर्माण के लिए बहुत कम राशि की जरूरत है । मैं जोरदार सिफारिश करता हूं कि देश में उनका निर्माण तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए । कई उद्योग इन उपकरणों का निर्माण करने को तैयार हैं ।

आज विश्व में पनडुब्बी प्रेक्षेपणास्त्रों का बहुत प्रयोग किया जा रहा है और हो सकता है कि युद्ध के समय शत्रु इन प्रक्षेपणास्त्रों का प्रयोग करे । हमें अपने देश में उनका निर्माण करना चाहिए और यह कोई कठिन काम नहीं है । यदि आवश्यकता पड़े तो आणविक अस्त्रों का भी निर्माण किया जाना चाहिए ।

लैंड माइन्स का विकास किया जा चुका है । इनका आकार पिंग पांग गेंद से बड़ा नहीं होता । यदि हम इनका निर्माण शुरू कर दें, तो रक्षा तैयारियों में हमें इनसे बहुत सहायता मिलेगी ।

अन्य क्षेत्रों में जहां हमें कठिनाइयां हो रही हैं, हमें चालक रहित विमानों तथा स्वचालित हल्के वजन वाले हथियारों के बारे में कुछ करना चाहिए, ताकि हर मौसम में तथा रात्रि में प्रकाश के बिना हम अपनी कार्यवाही कर सकें । हमें इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए तथा इन में से कुछ के निर्माण की सुविधायें हमारे देश में उपलब्ध हैं । भारत इलैक्ट्रानिक्स राडार बना रहा है लेकिन जब वर्षा हो रही हो अथवा मौसम खराब हो तो ये राडार गलत संदेश भी दे देते है । अतः हमें नये किस्म के फिल्टर वाले राडार बनाने चाहिएं, जिन पर मौसम का प्रभाव न हो ।

Dr. Murli Manohar Joshi (Almora) : The defence budget has been reduced. There is no justification for a cut in the defence budget. As a matter of fact it should have been increased with a view to strengthening our defence preparedness.

Generally it is assumed that defence expenditure is umproductive and it does not lead to development of the country. But it is an old way of thinking. I humbly submit that it is wrong to assume that defence expenditure is at the cost of developmental activities of our country.

My first submission is that there must be proper co-ordination between our defence policy and our defence budget. There are many factors which influence our defence efforts, the most important among them are the presence of the military in Indian ocean, built up in Pakistan, atomic explosion in China and the detente between China and America. All these factors must be taken into consideration before formulating our defence policy. We are now living in an era of missiles and satellite technology. Laser beam which could destroy anything is being developed. All this should be borne in mind while planning for our defence preparedness.

It is a well known fact that countries like U.K., U.S.A., U.S.S.R and France are spending huge amounts for their defence. Compared to these countries Indian defence expenditute is negligible. Therefore we must expand our defence efforts and our allocation for defence purposes should be increased.

Next I would like to say that our defence production can go a long way in giving a boost to industrial activities. Our industrial production can be increased and our technical development can be accelerated only if we are able to link our defence efforts with them. Therefore, the Research and Development Organisation of Defence should be organised in a way that its defence production could be linked to industrial production in our country.

The Scientific Adviser of Defence Services is also the head of the Research and Development organisation of the Defence Ministry. He is not only an *ex-officio* Chairman of Bharat Electronic and also Chairman of Electronic Commission. He is also conn eted with the programmes of space research. I wonder how a single individual however capable and competent one might be do justice to all these responsibilities ?

Our defence production limit should be mad an integral part of our national plan. This will avoid duplication and wastage of money. Efforts should be made to co-ordinate research work carried on in various defence laboratories and to see that corrupt practices are not resorted to in those Government institutions.

A committee should be appointed to see if the allocation made for defence laboratories and departments is being properly used and to exercise some control and supervision on our defence expenditure.

The teeth to tail ratio of our defence expenditure is 30 : 70, while it should be just the reverse. This should be looked into.

In this connection I would like to mention 'Project Devil' which was conceived in 1971 to prepare a copy of missile which was used as early as in 1950. Ultimately, such a futile project had to be abandoned. Responsibility must be fixed on the person whose brain wave cost the nation 10 crores of rupees.

I come from a constituency where a large number of persons served in armed forces. There are thousands of persons in my district who have been retired from army. But condition of those army pensioners is far from satisfactory. They received paltry pension and for this they had to travel a long distance from their villages. Arrangements should be made to send pension money through money orders.

Involvement of people in our defence efforts is necessary. For this we have to create a conviction among our people that what they are fighting for are essential principles of morality and justice.

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : I rise to support these demands.

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए

Shri Dhirendranath Basu in the Chair

It is regrettable that during the last 30 years, we have been neglecting our borders. That is why we have lost about 20,000 sq. miles of our territory. Now we are fortunate to have Shri Jagjivan Ram as our Defence Minister and it is hoped that the mistakes committed in the past will be rectified.

The cut made in the Defence budget is not proper. The Defence Minister who has great sympathy for the poor and the downtrodden should also seriously think about the defence of the country. He should ensure that no one may even raise a finger on our present borders. He should also consider how we can get back the 20,000 square miles area which we had lost in the past. If the new Government does not think in this perspective, it will be failing in its duty.

The word 'Jawan' smacks of inferiority and it should be done away with. The Minister should find out some better word.

It is strange that the defence personnel are retired at the age of 40-45 when they have to attend to their family responsibilities. Government should pay attention to the needs of those people and take the responsibility of fulfilling those needs.

श्री पी० वी० जी० राजु (बोबिली) : सेना और नौसेना के कर्मचारी 55 और 53 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं । इस विशाल देश में जब हम 75 या 80 वर्ष के व्यक्ति को राजनीतिज्ञ के रूप में योग्य मानते है तो कोई कारण नहीं कि सेवारत किसी नौसैनिक को जो शारीरिक रूप में हमसे कहीं अधिक योग्य है, भारत सरकार को सलाह देने के लिए क्यों नहीं सक्षम एवं योग्य माना जाता है ।

इंगलैंड में रक्षा मंत्रालय को दो भागों में विभाजित किया गाया है। एक विभाग है सामान्य सुरक्षा और दूसरा है नौसैना सुरक्षा । इसी तरह हमें भी नियमित सेना, वायु सेना और नौसेना सुरक्षा अनुभाग बनाने चाहिए तथा एक योजना अनुभाग भी होना चाहिए जिसे कि योजना आयोग के साथ सम्बद्ध किया जा सके ।

जनरल चौधरी महान मानवशास्त्री और चिकित्सा इतिहास के विद्धान थे । ऐसे विद्धान और प्रसिद्ध व्यक्ति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नहीं बनाने का कोई कारण ही नहीं है ।

इसी प्रकार सेवानिवृत्त सेनाध्यक्षों, वायुसेनाध्यक्षों और नौसेनाध्यक्षों को योजना आयोग में सलाहकारों के रूप में लेकर उनका लाभ उठाना चाहिए । योजना आयोग को रक्षा आयोजना के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नाम से एक स्कन्ध रक्षा विभाग में खोलना चाहिए । इसे परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभाग के साथ जोड़ा जा सकता है । परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं का इस योजना विभाग में उपयोग किया जा सकता है ।

परमाणु ऊर्जा को दो अनुभागों में विभाजित कर देना चाहिए । परमाणु ऊर्जा और प्रक्षेपणास्त्र विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । हम इतने अधिक नैतिक हो गए है कि हम परमाणु बम बनाने के लिए तैयार ही नही होते । हम नैतिक बनने की अपेक्षा व्यवहारिक बनना चाहिए और परमाणु-शस्त्रों का विकास करने के लिए तयार हो जाना चाहिए । हममें परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है । हम सार्वजनिक तौर पर यह तथ्य स्वीकार नहीं करते, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम परमाणु बम बना सकते है ।

हम उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश की अराकू खाड़ी में परमाणु ऊर्जा और प्रक्षेपणास्त्र को प्रथम श्रेणी का अनुसन्धान केन्द्र बनाना चाहिए । यह क्षेत्र विशाखापत्तनम से लगभग 65 या 70 मील दूर है और विशाखापत्तनम तथा अराकू खाड़ी के बीच के समूचे क्षेत्र का विकास किया जा सकता है और वहां इलैक्ट्रानिक उद्योग का आधार या अड्डा तैयार किया जा सकता है तथा समूची अराकू खाड़ी का प्रक्षेपणास्त्र प्रयोगात्मक केन्द्र के रूप में विकास किया जा सकता है ।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : इस वर्ष रक्षा व्यय में कटौती की गई है । लेकिन यह बहुत कम है ? लेकिन फिर भी हमें आशा है कि यह नाममात्र की कटौती हमारी सुरक्षा सेवाओं, कर्मचारियों और रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को कम करके नहीं की जायेगी ।

यदि कोई देश आर्थिक रूप से पिछड़ा है, और वहां की जनता में असन्तोष व्याप्त है तो वह रक्षा के मामलों में शक्तिशाली नहीं हो सकता । इसलिए देश के आर्थिक विकास और देश के विकास के लिए संसाधनों को खर्च करने पर तरजीह दी जानी चाहिए ।

[श्री शिवाजी पटनायक]

रिपोर्ट में बताया गया है प्रतिवर्ष 50,000 से 60,000 सैनिक सशस्त्र सेना से सेवानिवृत्त किए जाते है । सभी पुनर्वास प्रबन्धों को दृष्टि में रखते हुए हम 15,000 से अधिक लोगों का पुनर्वास नहीं कर पाते है । शेष बेरोजगारों की संख्या बढ़ाते है । इस मामले की जांच की जानी चाहिए ।

सुरक्षा उद्योगों में श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है । दूसरी ओर सरकार सुरक्षा का सामान तथा सेना के प्रयोग में आने वाला सामान गैर-सरकारी साधनों से खरीद रही है । उदाहरणार्थ, हाल ही में आगरा की मांस फैक्टरी बन्द कर दी गई है और डिब्बे बन्द मांस गैर-सरकारी फर्मों से खरीदा जा रहा है । यह उचित नहीं है ।

ई० एम० ई० वर्कशापों के कर्मचारियों को निरन्तर नौकरी से निकाला जा रहा है । हाल ही में बंगलौर स्थित 515 ई० एम० ई० वर्कशाप में 300 कर्मचारी फालतू घोषित किए गए है । भ्रष्ट सेना अधिकारी गैर-सरकारी ठेकेदारों से काम करवा कर और उनसे रिश्वत लेकर ई० एम० ई०, वर्कशापों में कार्यभार कम दिखाते हैं । इस मामले की जांच की जानी चाहिए ।

हमारे देश में रक्षा उद्योग सबसे बड़े औद्योगिक नियोजकों में से है । लेकिन जब रेलवे में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है वहां रक्षा उद्योगों में केवल 7 दिन का ही अवकाश दिया जाता है । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद अभी तक सिलेक्शन ग्रेड के पद नहीं है । इससे निम्नतम श्रेणी अर्थात् मजदूरों तथा सफाई कर्मचारियों में पूर्ण गतिरोध हो गया है जो एक ही वेतनमान में सेवानिवृत्त हो जाते है। ऐसा भेदभाव समाप्त होना चाहिए ।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुसार अन्य सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों में रात्रि सेवा भत्ता बढ़ा दिया गया है जबकि रक्षा मंत्रालय में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है । मंत्री महोदय इसे शीघ्र लागू करें ।

स्थायी परामर्शदात्री व्यवस्था जो 1960 की हड़ताल से पहले कार्य करती थी और जिसे हड़ताल के बाद समाप्त कर दिया गया था, अभी तक फिर से नहीं बनाई गई है । इसे फिर से बनाया जाए ।

भारत के विभिन्न राज्यों में 17 सैनिक स्कूल हैं और इनमें 30 शिक्षक हैं, जो 250-800 के वेतन मान में औसत वेतम प्राप्त कर रहे है । सेना अधिकारी सिविल कर्मचारियों से दासों की भांति व्यवहार करते है । सरकारी तौर पर स्थायी बनाये गए सिविलियन कर्मचारियों की सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है । 1961 से सिविलियन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया ही नहीं गया है । इन मामलों की भी जांच की जानी चाहिए ।

पिछली सरकार की भांति इस सरकार को हड़ताल तोड़ने और पक्षपात के उद्देश्य के लिए सशस्त्र सेनाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए ।

Shri Durga Chand (Kangra) : There are about 40,000 ex-servicemen residing in Himachal Pradesh. But there are several categories of ex-servicemen who do not get family pension and as a result, a number of women and the families are deprived of any pension, though their husbands rendered military service and died due to some illness in active service. The Defence Minister should amend the rules and provide that anyone has served in defence services even for a day will be entitled to family pension, though he might have died due to some ailment or any other reason.

The disability pension is given in proportion to the percentage of disability of the ex-servicemen. It causes him mental harassment. The Defence Minister should look into the matter and should provide that disability pension is granted for whole life.

The recruitment from Himachal Pradesh to defence services was 4·49 per cent earlier. Now the rules have been so amended that the recruitment of Dogra is now only ·64 per cent. This amendment has very adversely effected the people and it is a great injustice to the people of Himachal Pradesh and Jammu. The Defence Minister should take measures to restore the earlier position.

Shri Yadvendra Dutt (Jaipur) : I rise to support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Defence.

It appears that our concept of security and modes of defence are so far based on *ad-hocism*. We have so far provided only for optimum defence of the country. Now the need of the hour is to arrive at a political decision about the nature of our defence strategy and defence objective. Our country requires maximum defence.

As our country is surrounded by water on three sides, we have to lay down clearly the strategy for naval defence. First of all, the limits of territorial waters have to be fixed. Then, we should have close friendship with littoral countries. It means that we should have a blue water navy, while we have today only a coastal navy. Our naval strength today is much lesser than that of neighbouring countries and our submarines are out-dated and not equipped with missiles. In order to develop a blue water navy, we have got to modernise it with latest submarines. If we have to build up a strong naval base in our seas. we can make Andaman-Nicobar Islands a strategic defence base on the one side and Laccadive Islands on the other. But for that purpose, we ourse lves have to build up submarines. We can make them in our country with the collaboration of other countries. If we cannot develop ourselves within a period of five years, we would remain only at the level of optimum defence therefore, there should be a time-bound programme, not exceeding a period of five years.

We should also equip our forces with nuclear weapons so that no foreign power could blackmail us on that score. It is most essential from the view point of defence and we must not avoid it. We have to build up an army which is superior in strategy and quality and which is well-versed in the technique of modern warfare. Our army should be organised on the concept of mobility, speed and surprise. It should be highly mobile and armed with the latest weapons.

The number of army personnel has also got to be increased. Our present army personnel is 5 per cent of the total male population in the country, whereas it should be about 10 per cent. Our strategic standing army should not be less than 2·5 million. For that purpose, military training should be made compulsory. The existing army organisation is based on the principle of three. Now it should be raised to five because every war is a local engagement whether fought in line or in depth or anywhere. Every organisation in the army should be trained on the basis of 5. To get a local superiority in any action, it is necessary that we change our organisation from 3 to 5.

There is a great hue and cry that we spend 3 per cent of our G.N.P. on defence. But even a small country like Egypt spends 7 per cent of their G.N.P. Therefore, at least 10 per cent of the GNP should be spend on defence. There should be no excuse regarding lack of funds in regard to defence. It is a false economy to economise on defence production. We should make our defence so strong that no enemy should even dare to cross our borders. To achieve this, we must have our army well equipped with the latest nuclear weaponry, nuclear arms and atom bombs.

As regards our navy, we should not have a coastal navy as at present. Rather we should develop blue-water navy. As regards our Air Force we have today only 725 planes whereas Pakistan and China together have 4,000 planes. Therefore, we should have at least 400 first class fighter planes. If possible, we can also have megaton bombs. Government should equip the Air Force within a period of five years.

So far as our infantry is concerned, we should have a large number of he vy, medium and small tanks in order to attain mobility, speed and surprise. Then, we should also have armoured personnel carriers. Our army should not be an *ad-hoc* army, but it should be a well-balanced army with the heaviest punch. Our army personnel should be trained in actual battle conditions using live ammunition.

[Shri Yadvendra Dutt]

With a view to boosting the morale of our army personnel, the high military officers should be given the same payas is given to IAS or ICS officers. There should be reservation in Government jobs for ex-servicemen. The higher officers and the jawans of the defence forces have to play a dangerous role while performing their duty. They know how to behave with human beings. An I.A.S. officer simply sitting in one room works with pen and papers. Therefore, in order to do away with labour trouble, people of humanitarian approach, humantarian attitude)should be given opportunity to handle labour trouble.

श्री एस० आर० रेड्डी (गुलबर्गा) : प्रतिरक्षा का सम्बन्ध हमारे राष्ट्र की प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता से है । हमें देश में भली भांति प्रशिक्षित रक्षा बलों की आवश्यकता है ताकि कोई भी शक्ति कोई भी देश, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, हमारे देश पर बुरी नजर न डाल सके । इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

भारत का बहुत लम्बा तटीय क्षेत्र है । इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी नौसेना सशक्त हो । आधुनिक युग में हवाई हमले का अत्यधिक खतरा रहता है, अतः ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए हमारी वायु सेना भी मजबूत होनी चाहिए । वायु सेना किसी भी खतरे के लिए तैयार रहनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह खतरे का सामना कर सके ।

भारत की थल सेना विश्व की थल सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ है और रक्षा बलों के इस विंग महत्व के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

मैं माननीय रक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह रक्षा बलों को आधुनिक हथियारों के साथ निरन्तर प्रशिक्षण देने के लिए क्या प्रबन्ध कर रहे है; ताकि हमारी सेनाए भली भांति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें ।

यह कहना सत्य है कि पड़ौसी देशों के साथ सुधर रहे हमारे सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सीमाओं पर आकस्मात किसी प्रकार के आक्रमण की शंका नहीं होनी चाहिए । किन्तु यदि हम अपने अतीत के अनुभव से कुछ सीखें तो हमें अपने आपको हमेशा तैयार रखना पड़ेगा ।

आजकल महा शक्तियों ने परमाणु शक्ति का उपयोग करना आरम्भ कर दिया है और वे इस तरह के परमाणु शस्त्रों का स्टाक जमा कर रहे है । इसके बावजूद भी वे परमाणु अस्त्रों की सीमा निश्चित करने की बात कर रहे है मेरा रक्षा मंत्री से अनुरोध है कि वह अपने रक्षा मंत्रालय को आधुनिकतम बनाने का प्रयास करें । शक्ति संतुलन का जो पुराना सिद्धांत या उसने आतंक संतुलन का रूप धारण कर लिया है । समय आ गया है कि जब हमें अपनी परमाणु नीति पर पुनः विचार करना चाहिए ।

मैं यह नहीं चहाता कि भारत परमाणु शस्त्रों का निर्माण करे । इस दिशा में की गई कार्यवाही मूखर्तापूर्ण होगी क्योंकि आज भी पांच पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद हमारी जनता लाखों की संख्या में निर्धनता के स्तर से नीचे का जीवन बिता रही है । फिर भी हमारा परमाणु अनुसंधान कार्य इस ढंग से होना चाहिए कि जरुरत पड़ने पर हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उसे कार्य में ला सकें ।

पोखरान में भूमिगत शांतिपूर्ण विस्फोट के पश्चात् महाशक्तियों के बीच हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है । हमारे पास वैज्ञानिक योग्यता है किन्तु हमने जानबूझकर शांति का मार्ग अपनाया है । हम विध्वंसक हथियारों का निर्माण नहीं करना चाहते । हमारी राष्ट्रीय नीति यही है ।

भारत ने पाकिस्तान के साथ तीन युद्धों में सफलता प्राप्त की है । बंगला देश को मुक्त करने में भी भारत ने अपनी सफल भूमिका निभाकर सम्मान प्राप्त किया है । आज चीन भी इस बात को महसूस करता है कि भारत को धमकी देकर नहीं डराया जा सकता । हमने यह रक्षा क्षमता तथा मनोबल वर्षों के अथक प्रयास के फलस्वरूप प्राप्त किया है । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इसमें ढील न आने दें ।

आजकल के परमाणु युग में सशस्त्र बलों का ही नहीं वरन् आम जनता के मनोबल को ऊंचा रखना है और उनमें देशभक्ति की भावना और भरनी है । ऐसा हम नवयुवकों में अनुशासन पैदा करके तथा विभिन्न प्रकार का अर्द्ध-सैनिक प्रशिक्षण देकर ही कर सकते हैं । ताकि जरूरत के समय ये प्रशिक्षित नवयुयक देश की सुरक्षा के लिए काम में आ सकें ।

हमारे सशस्त्र सैनिकों को आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए पूरा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इन शस्त्रों द्वारा प्रशिक्षण देने में काफी समय लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों को चलाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

नौ-सेना तथा वायु-सेना के लिए आधुनिकतम उपकरण प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? क्योंकि सेना के इन दोनों अंगों का मजबूत होना भी नितान्त आवश्यक है ।

कोई भी देश उधार मांगे गए हथियारों से अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता । इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने ही देश में हथियारों का निर्माण हो । रक्षा मंत्री हमें बताएं कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

रक्षा एक राष्ट्रीय समस्या है, इस पर दलगत दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिए । मंत्री महोदय हमें अनुसंधान और विकास विंग तथा रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित हथियारों के बारे में पूरी तरह अवगत करायें ।

भूतपूर्व सैनिकों की भी देखभाल की जानी चाहिए । सरकार को सुनिश्चित करना चाहिएं कि भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य शिक्षण संस्थाओं में रोजगार दिया जाये ताकि वे देश के नवयुवकों को प्रशिक्षण दे सकें ।

श्री रूडोल्फ रोडरीक्स (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : विश्व में पहले ही लाखों परमाणु अस्त्र हैं । अकेले यूरोप में 10,000 परमाणु अस्त्र हैं तथा 600 परमाणु अस्त्र समूचे पश्चिमी यूरोप को समाप्त कर सकते हैं यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जिस किसी देश में बड़ी मात्रा में परमाणु अस्त्र बनाए हैं, वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं । अतः मैं अपने देश में परमाणु अस्त्रों के निर्माण के सर्वथा विरुद्ध हूं ।

[श्री रूडोल्फ रोडरीक्स]

हमारी सुरक्षा की मुख्य कमजोरी यह है कि हमारा गुप्तचर विभाग कमजोर है । जनरल हेन्डरसन ने अपनी पुस्तक में चीनी आक्रमण के समय हमारी हार का मुख्य कारण सनिक गुप्तचर सेवा की असफलता बताया है । हमारी सैनिक गुप्तचर सेवा की असफलता का कारण यह है कि इसमें ऐसे लोग हैं जो उस कार्य को करने के इच्छुक नहीं तथा उन्हें यह पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं ? इस सेवा का लाभ उठाने वालों का इसी बात को अन्तिम माना जाए कि उन्हें क्या जानकारी लेनी है तथा उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए ?

हमारी रक्षा नीति की एक और कमी यह है कि वह हमारी विदेश नीति से बन्धी हुई है । उदाहरणतः 1950 से 1959 तक हमारी चीन के प्रति सौहार्दपूर्ण नीति थी और इस कारण हमने तिब्बत को छोड़ दिया । राजनीतिक दृष्टि से यह एक सही कदम था, किन्तु सैनिक दृष्टि से यह गलत था ।

इन सब बातों के बावजूद भी 1971 में हम विजयी हुए, किन्तु यह कमी हम बिना लड़ाई लड़े भी आसानी से सम्पन्न कर सकते थे । यदि रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर हमने पश्चिमी सीमा पर थोड़ी सी भी सैनिक गतिविधि रखी होती तो याह्या खां पूर्वी पाकिस्तान को इतनी बड़ी संख्या में सेना के डिवीजन न भेजता । हम समझते हैं कि बंगला देश में हमारे घुसने का कोई और गहरा कारण था ।

मेरा सुझाव है कि सैनिक नीति के एक अंग के रूप में हमारी विदेश नीति इस उप महाद्वीप को आर्थिक और सांस्कृतिक बंधनों में इस प्रकार बांध दिया जाए कि हम एक दूसरे से युद्ध न कर सकें । यह उपमहाद्वीप एक है तथा इसकी सिद्धि के लिए हमें अपनी विदेश नीति में तदनुसार परिवर्तन करना चाहिए । मैं पुनः यह दोहराना चाहूंगा कि हमारी निदेश नीति हमारी रक्षा नीति की प्ररेक शक्ति होनी चाहिए किन्तु उसमें वास्तविकता का पुट होना आवश्यक है ।

रक्षा नीति के सम्बन्ध में हम सब की एक राय है । इसमें दल अथवा व्यक्तिगत हित का प्रश्न ही नहीं उठता । देश की रक्षा के लिए यदि हमें शैतान को भी दोस्त बनाना पड़े तो उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए ।

हमें अपनी रक्षा नीति स्वीडन की तुलना में अधिक बड़े स्तर पर अपनानी चाहिए । स्वीडन देश रक्षा पर बहुत अधिक धन व्यय करता है और रक्षा प्रबन्ध मजबूत होने के कारण वह अपने पड़ौसी देशों से नहीं डरता । यदि हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे पड़ौसी देश हम पर कभी भी आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर सकेंगे । इलेक्ट्रोनिक युद्ध साजो-सामान सस्ता है, अधिक सुरक्षित है और हम उसको बनाने की स्थिति में हैं । आजकल विश्व के 40 प्रतिशत वैज्ञानिक युद्ध सम्बन्धी हथियारों के बारे में अनुसंधान करने में लगे हैं । रक्षा तकनीक में बहुत प्रगति हुई है ।

इस समय ऐसे रसायन पर काम हो रहा है जो ऐसी लेंसर किरणें पैदा कर सके जो प्रकाश के समान गतिवान हों न हो वरन् एक सैकिन्ड के 2 अरबवें भाग में हो और 20 अरब वाट बिजली का प्रभाव पैदा कर सकें । यह प्रत्येक वस्तु का वाष्पीकरण भी कर सकेगी । ऐसे सस्ते रक्षा साधनों के सामने हमें बड़े-बड़े शस्त्रों को बनाने की आवश्यकता ही नहीं है ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि रिजर्व सैनिकों की कठिनाइयों के कारण हमें सेना की शक्ति में इतनी वृद्धि करनी पड़ती है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मेरा सुझाव है कि यदि सैनिकों की पत्नियों को कुछ प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें रक्षा कार्यों में लगाया जाए तो हमें अपनी सेना में और वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी ।

हमारे यहां अभी भी सेना के डिवीजनों की पुरानी प्रथा चल रही है । इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए । अधिक गतिशीलता तेजी और सप्लाई के लिए हमें इस समय कार्यशक्ति वाली सेना चाहिए न कि डिवीजन सेना की ।

Shri Chand Ram (Sirsa) : It is regrettable that discrimination is being practised against the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of recruitment to the armed forces even after 30 years of Independence. Youngmen belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes, even if they are otherwise fit, are not recruited to the army while others who belong to other castes are recruited. This is a sad state of affairs. I would suggest that effective steps should be taken to see that such discrimination is done away with. There is class composition in defence forces today. Although it is said that we are removing class composition in the army, yet it is not true that is very much there.

Even today the regiments in the army are named after races and castes as Jat, Mahar and Sikh etc. This practice should be di continued and the regiments must be named after our national heroes.

In order to inculcate a sense of discipline and a spirit of patriotism, we must introduce compulsory military training for our young men only those who have got necessary training should be recruited in the army, irrespective of the caste to which he belongs.

There are complaints of corruption in the matter of recruitment in the army. Steps should be taken to eliminate corruption at recruitment level.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : बचत के ख्याल से रक्षा बजट में कमी की गई है परन्तु रक्षा के प्रयत्नों में ढील नहीं होनी चाहिए । हमारे पड़ौसी देश भी आक्रमक हैं । यह सही है कि पीकिंग से गत वर्ष राजदूतों की अदला बदली के समय से चीन से हमारे सम्बध सुधरे हैं । यह भी सही है कि पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं । परन्तु हमारे प्रयत्नों के बावजूद पाकिस्तान स्वयं को आधुनिक शस्त्रों से लैस कर रहा है । 1971 में बंगला देश के आजाद कराने के बाद हम यह सोचते हैं कि पूर्वी सीमा के सम्बन्ध में हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस ओर हमारा मित्र बंगला देश हैं और हमने सोचा कि उस ओर सेना पर होने वाले व्यय को कम किया जा सकता है । परन्तु आज स्थिति यह हैं कि हमारे प्रयत्नों के बावजूद बंगला देश से हमारे सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहीं हैं ।

हमें विश्व भर की स्थिति का जायजा लेना चाहिए । इस समय भारत विश्व के बड़े देशों में से एक है जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है । हमारा समुद्र तट 3400 मील लम्बा है तथा तेल की खोज किये जाने के कारण इसका हमारे लिए बहुत महत्व है । क्या हमारे पास इन सभी हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति है ?

[श्री सौगत राय]

हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के हमारे प्रयत्नों के बावजूद अमरीका दियेगो गार्सिया में परमाणु अड्डा बना रहा है और हम अन्डमान में भी ऐसा अड्डा नहीं बना सकते, जहां जहाजों की मरम्मत तक की व्यवस्था नहीं है।

रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर वर्तमान स्थिति के आधार पर विचार नहीं करना चाहिए। इस विचार से रक्षा व्यय में कमी करना उचित नहीं।

3400 मील लम्बे समुद्र तट वाले देश की नौ-सेना के लिए 187 करोड़ रुपए की छोटी सी राशि रखी गई है जबकि हमारे बहुत से प्रतिष्ठान इसके आसपास है और हमें पता है कि सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आ चुका है, अमरीका का परमाणु अड्डा दियेगो गार्सिया में है, चीन और मलेशिया की गश्ती नौकाएं समुद्र में चक्कर लगाती रहती हैं, इस सन्दर्भ में यह राशि बहुत ही अपर्याप्त है।

हमारे पास पर्याप्त पनडुब्बी सुविधा नहीं है और न ही वायुयान वाहक जहाज हैं। इन वस्तुओं के निर्माण से निःसन्देह भारत के लोगों को बड़ी तंगी होगी, परन्तु इनका बनना आवश्यक है। नौ-सेना की क्षमता बढ़ाने की इस समय अत्यन्त आवश्यकता है।

चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के बाद रेडार के ग्रहण क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयत्न किए गए जिससे किसी भी वेमानिक गतिविधि का पता लगाया जा सके और आक्रमण का सामना किया जा सके। इस प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है कि रेडार क्षमता किस सीमा तक विकसित की गई है।

रक्षा सम्बन्धी बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में अभी हम काफी पीछे हैं। यह जानकर हमें गर्व है कि एच० ए० एल० में बनने वाले वायुयानों में 32 प्रतिशत सामान देशी है। परन्तु फिर भी हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में बहुत पीछे हैं। रक्षा सम्बन्धी विद्युत उपकरणों के सम्बन्ध में विदेशी कल-पुर्जों की प्रतिशतता 1971–72 में 26 से गिरकर 1975–76 में 22 हो गई है। तो यह स्थिति है इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और हम अब भी उनके प्रति उदासीन हैं।

इस सम्बन्ध में हम रचनात्मक समर्थन देंगे और पूरा सहयोग देंगे। हम आशा करते हैं कि मंत्री महोदय एक राष्ट्रीय रक्षा नीति बनायेंगे क्योंकि इस देश में रक्षा सम्बन्धी ज्ञान बहुत सीमित है। सेना को प्राकृतिक राजनीतिक कारणों से नागरिक जनसंख्या से अलग रखा गया है। हमें इन सब बातों के बारे में सतर्क रहना चाहिए।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : We have to build our defence capability so that we are able to defend our country in times of need. We should always be prepared to meet any aggression. World will also respect our country if we are militarily strong.

In 1962 our defence personnel were killed because we were not prepared to meet aggression. A commission of inquiry should be appointed to investigate the reasons for lack of preparedness at that time.

We should not say that we will not manufacture atomic weapons. We should keep our options open. We should strengthen our defence keeping in view the latest developments.

Punjab State has been contributing a lot for the defence of the country. During the British regime, Punjab contributed 35 per cent of the strength of the Armed Forces. Now it has come down to 2½ per cent. Punjab should be given its due share in the Armed Forces.

All students should be given compulsory N.C.C. training during summer vacations. This will make our young people disciplined and will help in strengthening our defence.

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में संसद् सदस्यों को कुछ और जानकारी दी जानी चाहिए थी । हम विशेषज्ञ और तकनीकी लोग नहीं हैं । हम सेना के बारे में और जानकारी चाहते हैं ।

हमारी रक्षा योजना में नौसेना को अब और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । यह सही है कि सोवियत संघ और अमरीका से बातचीत चल रही है कि हिन्द महासागर को सैनिक गतिविधियों से बरी रखा जाए । निकट भविष्य में इस क्षेत्र में तनाव कम होने वाला नहीं है बल्कि वह और भी बढ़ेगा और इससे हमारे देश को गम्भीर खतरा पैदा होगा । विदेशी सैनिक गतिविधियों के कारण नौसेना की जिम्मेदारी और बढ़ गई है । मंत्रालय को नौसेना के विकास की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

हमारी नौसेना के पास लम्बी मार करने वाले वायुयान नहीं हैं और न ही उसके पास पनडुब्बियों को नष्ट करने के कोई साधन हैं । नौसेना को इन दोनों से लैस किया जाए ।

वायुसेना के पास लम्बी मार करने वाले वायुयान नहीं हैं । पता नहीं देश में ऐसे वायुयानों का शीघ्र विकास करने की क्षमता है अथवा नहीं ? यदि यह क्षमता नहीं है तो हमें उन्हें विदेशों से मंगाना होगा । सेना में अधिकारियों और सैनिकों के वेतन आदि में बहुत अन्तर है । इसे कम किया जाए । हमें सेना में बन्धुत्व की भावना पैदा करनी चाहिए ।

सेना का उपयोग शांतिमय निर्माण के कार्यों में करने पर विचार किया जाना चाहिए । उनका उपयोग शान्ति संस्थान राष्ट्रीय निर्माण जैसे राजस्थान नहर आदि में किया जा सकता है जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि में रेगिस्तान न फैले ।

भूतपूर्व सैनिकों में व्यापक अन्सतोष है । सरकारी अधिकारियों की एक समिति इन लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की जांच करने के लिए बनाई जाए और वह समिति सुधारों का सुझाव दे जिससे उन्हें अधिक सुविधाएं दी जा सकें ।

विभिन्न सरकारी उपक्रमों और आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी रक्षा उत्पादन की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा देश की सेवा को यथासम्भव सुरक्षित और कुशल बना रहे हैं । उनकी उचित मांगों पर विचार किया जाए और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये ।

1972 में जारी किये गये अनुदेशों के द्वारा रक्षा कर्मचारियों को वैध कार्मिक संघ गतिविधियां जारी रखने से भी मना कर दिया गया । उत्तरी क्षेत्र में मजदूर नेताओं को अपने संगठन समाप्त करने के लिए कहा गया । अब आपात स्थिति के समाप्त होने पर वह रक्षा कर्मचारियों पर ही क्यों लागू रहें ?

[श्री पी० के० कोडियन]

अनेक आयुध कारखानों में काम का भार बहुत कम हो गया, पर साथ ही बहुत सा काम निजी क्षेत्र के ठेकेदारों को सौंपा गया है । आयुध कारखानों की कीमत पर यह काम उन्हें न दिया जाए ।

आयुध कारखानों और अन्य सरकारी रक्षा उपक्रमों में बहुत से कर्मचारी राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों तथा अस्थायी सेवा नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत नौकरी से हटा दिये गये थे । इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और उन्हें नौकरी पर बहाल किया जाए ।

1960 की हड़ताल के बाद समाप्त किए गए स्थायी वार्ता बैठक को फिर से शुरू किया जाए जिससे आयुध कारखानों में अच्छे औद्योगिक सम्बंध स्थापति हो सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कल प्रातः उत्तर देंगे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 5 जुलाई, 1977/14 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 5th July, 1977/ Asadha 14, 1899 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस० III—1971 एल० एस०—29-9-77—200

P. L. S. 48. III 20. 77. (N)

200

©1977 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और महाप्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, द्वारा मुद्रित

© 1977 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULE 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (SIXTH EDITION) AND PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI.